तृतीय माला, खंड 52, अंक 21 बुधवार, 16 मार्च, 1966/25 फाल्गुन, 1887 (शक)

Third Series, Vol. LII, No. 21 Wednesday, March 16, 1966/Phalguna 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit ... 18-6-92

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21—बुधवार, 16 मार्च 1966/25 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 21—Wednesday, March 16, 1966/Phalguna 25, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
563	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 .	4851-53
564	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi . . .	4853-56
565	बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय नागरिक	Indian Repatriates from Burma and Ceylon	4857-60
566	तार और टेलीफोन राजस्व व्यवस्था	Telegraph and Telephone Revenue System	4860-63
567	महात्मा गांधी जन्मदिवस शताब्दी समारोह	Mahatma Gandhi's Birth-day Centenary Celebrations .	4863-66

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
568	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index Numbers	4866
569	उद्योगों में अनुशासन संहिता	Code of Discipline in Industry .	4866-67
570	दण्डकारण्य परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच	Inquiry against officers of Dandakaranya Project . .	4867
571	भारत सुरक्षा विषयों के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints re: D.I.R. . .	4867
572	गांधी स्मारक के रूप में बिड़ला भवन	Birla Bhavan as Gandhi Memorial	4868
573	संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit . .	4868
574	राज्यों का पुनर्गठन	Re-organisation of States . .	4868
576	थिंगजे की बाहरी पुलिस चौंकी पर नागाओं का आक्रमण	Naga attack on Thingle Police outpost	4869
577	पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons from West Pakistan	4869
578	गांधी हरिजन स्कूल, मदनगीर	Gandhi Harijan School, Madangir	4870

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
579	ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विद्यालय, दिल्ली	Brahmakumari Ishvariya Vidyalaya, Delhi. . . .	4870
581	श्री सावरकर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Shri Savarkar	4870
582	विद्रोही नागाओं द्वारा कर वसूली	Collection of Taxes by Naga Hostiles	4871
583	प्रशासनिक न्यायाधिकरणों संबंधी समिति	Committee on Administrative Tribunals	4871
584	चौथी योजना में उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers in Fourth Plan	4871–72
585	कार्मिक संघ आन्दोलन	Trade Union Movement . .	4872
586	विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल	Cultural Delegations sent Abroad	4872–73
587	वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान	Scientific and Technological Research	4873
588	विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर	Standard of University Education	4873–74
589	भारत में नजरबन्द किये गये पाकिस्तानी	Pakistani Internees in India	4874
590	सरकारी कार्यालयों में काम करने का समय	Working Hours in Government Offices	4874–75
591	पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन क्रम	Pay Scale of West Bengal University Teachers	4875
592	डाक तथा तार बोर्ड का पुनर्गठन	Re-organisation of P. & T. Board	4876

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2184	तेलवा बाजार बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन	P. C. O. at Telwa Bazar in Bihar	4876
2185	सोनों में सार्वजनिक टेलीफोन	P.C.O. at Sono . . .	4876–77
2186	अनागमाली विद्युत् ट्रांसफार्मर परियोजना	Anagamali Electric Transformers Project	4878
2187	केरल में हथकरघा कारीगर	Handloom Workers in Kerala .	4877–78
2188	नारियल जटा उद्योग में काम करने वाले मजदूर	Workers in Coir Industry . .	4878
2189	केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता	D.A. for Kerala University Employees	4878
2190	आस्ट्रेलिया की पुस्तकों की प्रदर्शनी	Exhibition of Australian Books .	4878–79
2191	जेल सलाहकार समिति	Jail Advisory Committee . .	4879
2192	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रकाशनों की प्रदर्शनी	Exhibition of C.S.I.R. Publications	4879

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2193	पार्टिकल बोर्ड फैक्टरी	Particle Board Factory .	4840
2194	मद्रास के लिये मिट्टी का तेल	Kerosene Oil for Madras . .	4880
2195	खान निरीक्षकों के पद	Posts of Inspectors of Mines .	4880–81
2196	कपड़ा मिलों में काम करने वाले विस्थापित कर्मचारी	Displaced Textile Workers .	4881
2197	बेकार घूमने वाले लोगों के लिये रोजगार	Jobs for Vagrant Persons .	4881
2198	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वृद्धियां	Advance Increments to Central Government Employees . .	4882
2199	मट्टी तेल के भाड़े में छट	Freight Concession on movement of furnace oil . . .	4882–83
2200	टेलीप्रिन्टर मशीन	Teleprinter Machines . .	4883
2201	नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर से संदेशों का भेजा जाना	Clearance of Messages at C.T.O., New Delhi	4883–84
2202	उपग्रहों की गतिविधियों सम्बन्धी संदेश	Message for movement of Satelites	4884
2203	कम आय वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Low Paid Workers .	4885
2204	टैलीप्रिन्टरों का निर्माण	Manufacture of Teleprinters .	4885
2205	कोयला खानें	Coal Mines	4885–86
2206	काश्मीर में पाकिस्तानी एजंटो की गतिविधियों	Activities of Pak Agents in Kashmir	4886
2207	आसाम-नागलैंड सीमा	Assam-Nagaland Border . .	4886
2208	भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी	Police Officers on Deputation to the Government of India .	4887
2209	पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies . . .	4887
2210	इंजीनियर आदि का विदेशों में चला जाना	Fleeing of Engineers etc. to Foreign Countries . . .	4887–88
2211	उर्वरकों का उत्पादन	Manufacture of Fertilizers .	4888
2212	चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट	Children's Book Trust . .	4888–89
2213	काजी नजरूल इस्लाम को पेंशन	Pension to Kazi Nazrual Islam .	4889
2214	भगत सिंह का स्मारक	Memorial to Bhagat Singh .	4889
2215	दिल्ली-ताश्कंद रेडियो टैलीफोन सेवा	Delhi-Tashkent Radio Telephone Service	4889–90
2216	दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी	Co-operative House Building Societies in Delhi . . .	4890
2217	स्वतंत्र भारत मिल्स, दिल्ली	Swantantra Bharat Mills, Delhi	4890
2218	मोतिया खान, नई दिल्लीसे बरामद चोरी माल	Stolen Goods recovered from Motia Khan, New Delhi . . .	4890–91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2219	न्याय-व्यवस्था	Administration of Justice .	4891
2220	दुर्गापुर उर्वरक परियोजना	Durgapur Fertilizer Project .	4891
2221	पर्यटन महदोनिदेशक के विरुद्ध जांच	Enquiry Against D.G. Tourism	4891–92
2222	पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित कुछ व्यक्तियों के मकानों की तलाशी	Search of premises of persons connected with Punjab National .	4892
2223	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory .	4892
2224	उत्तर प्रदेश में पढे लिखे बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployment in U.P.	4892
2225	तकनीकी संस्थाओं के लिए अमरीकी ऋण	U.S.A. Loan for Technical Institutions	4893
2226	जम्मू तथा काश्मीर को सहायता	Aid to Jammu and Kashmir	4893
2227	अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	Shortage of Inland Covers	4893
2228	भेषज उद्योग	Pharmaceutical Industry . .	4894
2229	पंजाब में बरोजगार महिलाएं	Unemployed Women in Punjab	4894–95
2230	पंजाब में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति	Technical Persons Unemployed in Punjab . . .	4895
2231	दिल्ली में दूसरी राज भाषा के रूप में पंजाबी भाषा	Punjabi as Second Official Language in Delhi . . .	4895
2232	लन्दन में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centre in London	4896
2233	मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में कर्मचारियों का वेतन	Wages of Workers in Textile Mills in Madhya Pradesh . .	4896
2234	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes . .	4896–97
2235	कलकत्ता में औद्योगिक न्यायाधिकरण	Industrial Tribunal at Calcutta .	4897
2236	खान अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Mines Act .	4897
2237	बाल निधि ब्रिटेन से सहायता	Aid from Children Fund U.K.	4897
2238	गैर-सरकारी उद्योगों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Private Industries	4898
2239	तेल की स्थिति का अनुमान लगाना	Assessment of Oil Position .	4898
2240	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Tours of Ministers Abroad .	4898–99
2241	उड़ीसा में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed in Orissa	4899
2242	उड़ीसा में रिक्त पदों का अधिसूचित किया जाना और भरा जाना	Vacancies notified and filled in Orissa	4999
2243	राजस्थान में कनिष्ठ तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools in Rajasthan	4900
2244	राजस्थान के जिला गजटियर	District Gazetteers of Rajasthan	4900
2245	राजस्थान में स्कूलों तथा कालेजों में श्रोतृशालायें	Auditoriaum in Colleges and Schools in Rajasthan . .	4900
2246	राजस्थान में सांस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in Rajasthan	4901

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2247	राजस्थान में प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रताओं को सहायता	Assistance to Publishers, Printers and Booksellers in Rajasthan .	4901
2248	उड़ीसा में संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit in Orissa	4901
2249	उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Inquiries against Central and State Government Employees in Orissa	4901–02
2250	तारबाबुओं के वेतनक्रम	Pay Scales of Telegraphists .	4902
2251	प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	Primary and Secondary Education	4902
2252	भू-भौतिक वर्ष	Geophysical Year . . .	4903
2253	कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Coal Mining	4903–04
2254	खास चबलपुर औल डिगलू कोयला खानें	Khas Chabalpur and Diglu Collieries	4904
2255	दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की आर्थिक स्थिति	Finances of Delhi University Colleges	4904
2256	दिल्ली चण्डीगढ टेलीफोन सेवा	Delhi Chandigarh Telephone .	4904–05
2257	महिला मजदूरों की स्थिति	Conditions of Women Labour .	4905
2258	बांदा में हथियारों का निर्माण	Manufacture of Arms in Banda	4905–06
2259	देहरादून में छिद्रण-कार्य (ड्रिलिंग)	Drilling in Dheradun . .	4906
2260	कारों की चोरियां	Car Thefts	4906
2261	विदेशी पठय पुस्तकों की जांच पड़ताल	Scrutiny of Foreign Text Books	4906–07
2262	बेरोजगारी इंजीनियर	Unemployment Engineers . .	4907
2263	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes . . .	4907
2264	त्रिपुरा में आदिम जाति अनुसूचित क्षेत्र	Tribal Scheduled Area in Tripura	4907–08
2265	अगरताला में टेलीफोन	Telephone Connections in Agartala	4908
2266	अगरताला के मुख्य डाकघर की इमारत	G.P.O. Building, Agartala .	4908
2267	पंजाब में टेलीफोन	Telephone Connections in Punjab	4908
2268	पालम हवाई अड्डे पर पुलिस का रवैया	Police Behaviour at Palam Airport	4909
2269	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme	4909
2270	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यों के सामान्य सूचकांक	General Indices of All India Consumer Prices . . .	4909–10
2271	शरणार्थी बस्तियों में सम्पत्ति कर	Property Tax in Refugee Colonies	4910

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2272	शेख अबदुल्ला	Sheikh Abdullah . . .	4910
2273	कोलार सोने की खान में दुर्घटना	Accident in Kolar Gold Mines	4910–11
2274	दया याचिकाएं	Mercy Petitions . . .	4911
2275	भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges in India .	4911
2276	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों केलिये वर्दी	Uniforms for Extra Departmental Employees of the P. &. T. Deptt.	4911–12
2277	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता	Children Education Allowance for Extra Departmental Employees of P. & T. Deptt. .	4912
2278	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Extra Departmental Employees of P. & T. Deptt.	4912
2279	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये काम के घंट	Working Hours for Extra Departmental Employees of P. & T. Deptt.	4912–13
2280	गोआ	Goa . . .	4913
2281	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं	U.P.S.C. Examinations . .	4913–14
2282	हिन्दी में टेलीफोन निर्देशिकाएं	Telephone Directories in Hindi .	4914
2283	केरल में हड़ताल	Strike in Kerala . . .	4914
2284	विज्ञान की शिक्षा के लिये भारत और यूगोस्लाविया के बीच करार	Indo-Yugoslav Agreement for Science Education . . .	4914–15
2285	उड़ीसा का टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय	Telephone Revenue Accounts Office for Orissa . . .	4915
2286	रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा मजदूर संघ को मान्यता	Recognition of Labour Union by Rourkela Steel Plant . .	4915
2287	कारखाने में नियुक्त करके प्रशिक्षण देना	In Plant Training . .	4916
2288	नगरपालिका बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के निर्वाचन	Election to Municipal Board, Port Blair	4916
2289	निकोबार द्वीप समूह के व्यापार का पुनगठन	Reorganisation of Trade of Nicobar Islands	4916
2290	तमिल कविल कम्बर के सम्मान में डाक टिकट	Postal Stamp to honour Tamil Kambar	4917
2291	उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in U.P.	4917
2292	सरकारी स्टोरों पर नागाओं के आक्रमण	Naga Attack on Government Stores	4917–18
2293	संयुक्त परामर्श योजना सम्बन्धी समझौता	Agreement on Joint Consultation Scheme	4918

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2294	अगरताला में महिला छात्रावास	Girl's Boarding House Agartala	4918
2295	जेल संहिता	Jail Code	4918–19
2297	राजनीतिक पीड़ितों को शिक्षा के लिये अनुदान	Grants for Education of Political Sufferers	4919
2298	चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जालसाजी	Medical Bills Reimbursement Racket	4919–20
2299	पश्चिम बंगाल में पुरान प्रव्रजकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Old Migrants in West Bengal . . .	4920
2300	राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर से उजडे हुए मुसलमानों का पुनर्गठन	Rehabilitation of Muslims in Rajasthan and Jammu and Kashmir	4920
2301	उर्वरक परियोजना के लिये विश्व बैंक सहायता	World Bank Assistance for Fertilizer Projects. . . .	4921
2302	पंजाब में मिट्टी के तेल का संभरण	Supply of Kerosene Oil in Punjab	4921
2303	तेल का उत्पादन	Production of Oil . .	4921–22
2304	कोयले का कार्बनीकरण	Carbonisation of Coal .	4922
2305	देवनगर, नई दिल्ली में चोरियां	Thefts in Dev Nagar, New Delhi	4922–23
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और विरोधी दलों के सदस्यों के साथ गृह-कार्य मंत्री की बातचीत		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— Discussions by the Home Minister with the Chief Minister of West Bengal and Opposition Members	4923–25
सभा-पटल पर रखा गया पत्र		Paper Laid on the Table .	4926
राज्य-सभा से संदेश		Messages from Rajya Sabha .	4926
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति इक्यासीवां प्रतिवेदन		Committee on Private Member's Bills and Resolutions— Eighty-First Report . .	4926
सामान्य बजट, 1966—67—सामान्य चर्चा		General Budget, 1966-67—General Discussion—	
श्री थेनगोंडर		Shri M.G. Thengondar . .	4926–27
श्री स० मो० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee . .	4927–29
श्री रंगा		Shri Ranga	4929–33
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती		Shri P. R. Chakravarti . .	4933–34
श्री रामेश्वर राव		Shri Rameshwar Rao . .	4934–36
श्री लीलाधर कटकी		Shri Liladhar Kotoki . .	4936–37
श्री गौरीशंकर कक्कड़		Shri Gauri Shanker Kakkar .	4937–38
श्री अ० ना० विद्यालंकार		Shri A. N. Vidyalankar .	4938–39
श्री श० ना० चतुर्वेदी		Shri S. N. Chaturvedi . .	4939

विषय	Subject	पृष्ठ Page
श्री वै० तेवर	Shri V. V. Thevar . .	4940
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	4940–43
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . . .	4943–48
श्री ल० ना० भंजदेव	Shri L. N. Bhanja Deo . .	4948–50
श्री मौर्य	Shri Maurya . . .	4950–52
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey . .	4953–54
श्री दास	Shri C. Dass . . .	4955–56
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh . .	4956

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 मार्च, 1966/25 फाल्गुन, 1887 (शक)
Wednesday, March 16, 1966/Phalguna 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

+

*563. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की भांति प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों ने बोनस दिये जाने के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को भी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के क्षेत्राधिकार के अन्दर शामिल कर देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विभाग द्वारा चलाए जाने वाली रक्षा प्रतिष्ठानों में बोनस के भुगतान के बारे में कोई आन्दोलन नहीं है।

(ख) और (ग) : (i) वे रक्षा प्रतिष्ठान जो कम्पनियों या निगमों के रूप में चलाए जाते है। और जो निजी क्षत्र के प्रतिष्ठानों से प्रतियोगिता करते हैं, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों की परिधि में आते है।

(ii) सरकार ने हाल ही में यह निर्माण लिया है कि केन्द्रीय सरकार के सभी अप्रतियोगी सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को उतनी ही अनुग्रह पूर्वक अदायगी की जानी चाहिये जितनी कि उन्हें बोनस के रूप में करनी पड़ती, यदि वे बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिधि में आते।

(iii) इस अधिनियम या ऊपर (ii) में निर्दिष्ट निर्णय को विभाग द्वारा चलाये जाने वाले प्रतिष्ठानो पर लागू करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकार के सिविल कर्मचारियों के समान हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उनकी जानकारी के अनुसार कोई आन्दोलन है ही नहीं। क्या वह इससे अवगत है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने, जो की लगभग 3 लाख प्रतिरक्षा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, एक संकल्प पारित किया है कि यदि प्रतिरक्षा मंत्रालय और अथवा श्रम मंत्रालय से 30 अप्रैल तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो एक देश व्यापक शांत आन्दोलन चालू किया जायेगा? उनकी मांग है कि अन्य उपक्रमों की भांति आयुद्ध कारखानों में काम करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिये।

श्री शाह नवाज खां : मैं ने अपने उत्तर में जो जानकारी दी है वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत है कि प्रतिरक्षा उत्पादन एककों में विशेषतः आयुद्ध कारखानों में लगभग 10 प्रतिशत मजदूर ही जो कि मरम्मत के काम में लगे हुए हैं, प्रोत्साहन बोनस योजना के अन्तर्गत आते हैं न कि सारे के सारे मजदूर? क्या उनको भी इस योजना में शामिल करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न पर बातचीत की जायेगी।

श्री शाह नवाज खां : यह मामला तो संबंधित विभाग से ही संबंध रखता है।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रोत्साहन बोनस का प्रश्न लाभ सोफा बोनस के प्रश्न से सर्वथा भिन्न है। इस विषय को प्रतिरक्षा मंत्रालय को जानकारी में लाया जायेगा। प्रोत्साहन बोनस का प्रश्न उनकी जानकारी में लाया जायेगा। परन्तु जहां तक लाभ साझा बोनस का संबंध है यह विभाग द्वारा चलाये गये उपक्रमों पर लागू नहीं होता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान प्रतिरक्षा स्थापना के इन कर्मचारियों के रचनात्मक कार्य को ध्यान में रखते हुए क्या बोनस अधिनियम की धारा 32 का निराकरण चाहती है?

श्री शाह नवाज खां : मैने अभी कहा कि सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के सभी अप्रतियोगी सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को उतनी ही अनुग्रह पूर्वक अदायगी की जानी चाहिये जितनी कि उन्हें बोनस के रूप में करनी पड़ती यदि वे बोनस भगतान अधिनियम, 1965 की परिधि में आते। इसमें माननीय सदस्य का प्रश्न भी आ जाता है।

Shri K. N. Tiwary : Just now the Hon. Minister stated that this has been brought to the notice of the Defence Minister. What reply if any has been received from that Ministry in this connection?

Shri Jagjivan Ram : This has been passed on. I said that so far as the question of profit sharing bonus is concerned, there is no question of bringing it to their notice. This has been decided that the profit sharing bonus will not apply to departmentally run undertakings.

Shri S. M. Banerjee : Then, what will apply?

श्री बूटा सिंह : प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों की क्या संख्या है और उन पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी प्रोत्साहन बोनस आदि जैसी योजनाएं लागू करने के लिये सरकार का क्या विचार है?

श्री शाह नवाज खां : मेरे पास इस समय मजदूरों की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे अलग से इसकी सूचना दें तो मैं इसकी जानकारी दे सकता हूं।

Shri Kashi Ram Gupta : When the Bonus Bill was under consideration, two main suggestions were placed before the Governments, one was that Bonus should be applied to Government Company in corporate sector. But at that time Government did not accept it. The second suggestion was that under the law there is no provision for giving more than 4 per cent bonus by the unregistered firms. Thereafter the Government decided to apply it to public undertakings. May I know whether this provision will be put on the statute books and whether similar law will be made as regards the registered firms or whether Government will resort only to its own methods for impleting the decimensions?

Shri Jagjivan Ram : So far as companies or Corporations are concerned they are covered by the Bonus Act. But. ....

Shri Kashi Ram Gupta : This applies only to these units which are exporting 20 per cent of their products and not to others.

Shri Jagjivan Ram : The competing units are comparable. A decision has been taken that minimum bonus will be given by the non-competing units. At present there is no idea or need to give it the legal shape.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या विभाग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों तथा रेलवे, प्रतिरक्षा आदि जैसे उनके उत्पादन एकको पर बोनस व्यवस्था लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्री शाह नवाज खां : जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अधिनियम में इसका उपबन्ध है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : बोनस की अदायगी के प्रश्न के संबंध में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की ओर से किसने अभ्यावेदन दिया है और यदि वह संघ है तो क्या वह एक मान्य संघ है ?

श्री शाह नवाज : मैंने यह जानकारी अपने माननीय मित्र श्री बनर्जी से ली थी कि किसी प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने अभ्यावेदन दिया है। मुझे इसका पता नहीं है।

\+ **दिल्ली में अपराध**

*564. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० दी० पुरी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में दिल्ली में हिंसात्मक अपराधों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए पहले से क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सन् 1965 के पिछले छः मास के दौरान 1964 की तत्सम अवधि की अपेक्षा दिल्ली में हिंसात्मक अपराधों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(ख) अपराधों को नियंत्रण में रखने के लिये की गई कार्यवाहियों का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अपराध की घटनाओं को नियन्त्रणाधीन रख ने के लिये किये गये उपाय

(एक) गुंडों और अन्य समाजविरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(दो) रात की गश्त को मजबूत किया गया है। वर्तमान पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में भी गश्तों की संख्या बढ़ाने का विचार है ताकि गश्त करने वाले सिपाही अपने क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें।

(तीन) महा-निरीक्षक पुलिस तथा उप-महा निरीक्षक पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व सूचना के बिना छापे मारे जाते हैं ताकि थानों के कर्मचारियों को चौकन्ने रखा जा सके।

(चार) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में हाल ही में अपराध की जांच के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षण का एक छोटा पाठ्यक्रम चालू किया गया है। जिन उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों को जांच कार्य करना होता है उन्हें इस पाठ्य क्रम से गुजरना होता है।

(पांच) उच्च स्तर से निकट पूर्वेक्षण और अनुदेश को सुनिश्चित करने के लिये उप-महा-निरीक्षक पुलिस का एक और पद बनाया गया है।

(छः) दिल्ली पुलिस की गति शीलता को बढ़ाने के लिये उसको अधिक गाड़ियां दी गई हैं।

(सात) बम्बई पुलिस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू किया गया है और इस प्रकार अब जिलाधीश तथा जिला पुलिस पर्यवेक्षक विशेषीकृत क्षेत्र से गुंडों और अपराधियों के ग्रोहों को निकला सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि अपराध संबंधी आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस की शक्ति अपर्याप्त है जैसा कि दिल्ली के उच्चायुक्त ने प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में पर्याप्त कदम उठायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि दिल्ली के अपराध संबंधी आंकड़े सही नहीं है। जहां तक पुलिस की शक्ति का संबंध है, इसमें हाल ही में वृद्धि की गई है और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें और वृद्धि कर दी जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि हमारे अपराध के पता लगाने के तरीके बहुत पुराने हैं और उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है ? क्या सरकार अपराधियों के कारणों और दशाओं को जांच कराना चाहती है और क्या दिल्ली में हाल ही में जो गडबड़ी हुई है उसकी विशिष्ट जांच कराई जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि हमारे जांच करने के तरीके बहुत आधुनिक नहीं हैं। पुलिस कर्मचारियों को जांच के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिये हमने एक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है। वह स्कूल पहले से ही दिल्ली में हमारे पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अपराध करने के क्या कारण हैं और किन बातों से इसको प्रोत्साहन मिलता है क्या इसकी जांच की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि ऐसा करना आवश्यक समझा गया तो जांच की जायेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अपराध के किसी सामूहिक कारण का पता लगाया गया है और यदि हां, तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण होने वाले अपराध कितने प्रतिशत हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक सामाजिक प्रश्न है। अधिकाश अपराधों का कारण धन का लालच है ।

Shri Bagri : A few days back the murder of a lady took place in Vithalbhai Patel House and that has not so far been detected. Is some big man of the Ministry involved in it and if not, the reasons for not investigating that murder so far ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विशिष्ट मामले की जांच अभी चल रही है और इसलिये मेरे लिये अभी कुछ भी कहना बहुत गलत होगा। माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं लगती। परन्तु यदि उनको और अधिक जानकारी चाहिये तो वह इसकी सूचना दे दें।

श्री कपूर सिंह : क्या आपका इसमें कोई हाथ है।

Shri M. L. Dwivedi : Inspite of the efforts of the Government enumerated in the Statement laid on the Table, the incidence of scooter and car thefts and murder cases in Delhi has increased. What are the reasons for that?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : स्कूटरों और कारों की चोरी का प्रश्न इस सभा में अनेक बार उठाया गया है। युवक लड़कों का एक ग्रोह इस प्रकार की कार्यवाहियां करता था । मैंने सभा को पहले बताया था कि हमने पांच ऐसे ग्रोहो का पता लगा लिया है और उनसे कई कारें बरामद की गई हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : It is given in the statement that the number of posts of D.I.G. has been increased in Delhi and many new vehicles have also been procured. Inspite of this the incidence of crime has increased in Delhi. Does it show their inefficiency or that their strength is inadequate?

Shri Vidya Charan Shukla : The Hon. Home Minister is personally inquiring into this matter. The result of the enquiry will be made known to the hon. Members.

श्री स० चं० सामन्त : यह कहा गया है कि दिल्ली में कुछ ऐसे गुप्त संगठन हैं जो लोगो को अपराधों तथा हिंसात्मक कार्यवाही बिना पकड़े जाने के करने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि ऐसा है तो क्या अधिकारियों की संख्या में वृद्धि के इन संगठनों का पता चलाया जा सका है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है .... ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध हंसदा। I cannot allow anybody like this.

श्री सुबोध हंसदा : क्या अपराधों के बारे में कोई सविस्तर अध्ययन किया गया है कि अपराध समाज के शिक्षित वर्ग में अधिक हैं अथवा अशिक्षित वर्ग में ?

श्री हाथी : भारत में अपराधों के मामले पर सविस्तर अध्ययन किया गया है। अपराधों को दो शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है। मुख्यत: हत्या, डकैती, इत्यादि के अपराध समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा ही किये जाते हैं। अन्य आर्थिक अपराध दुसरे वर्ग

के लोगों द्वारा ही किये जाते हैं। परन्तु सही आंकड़े देना कठीन है। ऐसा भी हुआ है जहां एक वर्ग के लोगों ने हत्या का अपराध किया हो। परन्तु यदि हर प्रकार से देखा जाये तो हत्या के अपराध समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा ही किये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that cigarettes, cinema and wine give birth to 90% of the crimes in society? Has Government given thought to the proposal that if cigarettes, cinema and wine are prohibited, the incidence of crimes will automatically come to an end?

श्री हाथी : पिछले महीने विभिन्न अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें समाज सुरक्षा संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। युवकों पर शराब पीने, सिनेमा इत्यादि से पड़ने वाले बुरे असर की भी वहां चर्चा की गई थी। यह सत्य है की युवकों पर इन वस्तुओं का बुरा असर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, हमें किसी बात का उत्तर नहीं मिला है। केवल साधारण बातों का पता लगा है। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य उठे।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रश्नों पर 25 मिनिट व्यय हो चुके हैं। मुझे खेद है कि मैं और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हेम बरूआ : जेब काटने वालों में औरतें भी होती हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को औरतों की ओर उंगली उठाने का दूसरा अवसर भी मिल सकता है!

Shri Maurya : Sir, I rose at least a dozen times **(Interruptions).** I wanted to put a very important question.

Mr. Speaker : Everybody's questions were important but I did not allow anybody who was not on the list. **(Interruptions).** It is not necessary that Honourable Members not on the list may be called. Why are you so much angered.....

Shri Maurya : I rose for about 12 or 14 times.....

Mr. Speaker : It matters little even if you rise a 20 times. You never put in a notice.

Shri Maurya : There is no question of a notice being put in. I rose 12 or 14 times.....

Mr. Speaker : Even if a honourable Member rises twenty times, it is not necessary that he may be called to speak.

श्री मौर्य : जब एक प्रश्न सभा के समक्ष होता है तो हर सदस्य का अधिकार हो जाता है कि वह प्रश्न पूछ सके।

Indian Repatriates From Burma and Ceylon

+

*565. **Shri M. L. Dwivedi :**	**Shri Bibhuti Mishra :**
Shri P. C. Borooah :	**Shri Yallamanda Reddy :**
Shri Bhagwat Jha Azad :	**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Subodh Hansda :	**Shri S. M. Banerjee :**
Shri S. C. Samanta :	**Shri Prakash Vir Shastri :**
Shrimati Maimoona Sultan :	**Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ramachandra Ulaka :	**Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Dhuleshwar Meena :	**Shri Yamuna Prasad Mandal :**

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the progress made in the rehabilitation of persons of Indian origin returning from Burma and Ceylon and the number of such persons who are yet to be rehabilitated;

(b) the arrangements made for providing them accommodation, employment and other facilities and expenditure incurred thereon; and

(c) the places where they have been settled and the expenditure incurred so far on their rehabilitation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) 1,35,636 persons or 30140 families have arrived from Burma upto 5-3-1966. Of these, roughly 70% or 21100 families would require rehabilitation assistance and the balance are expected to rehabilitate themselves by their own efforts. Rehabilitation assistance has so far been given to 13778 families. Statewise break-up is given in statement No. I placed on the table of the Sabha. [**Placed in Library. See Nos. L. T. 5787 (i),(ii) and (iii).**] Rehabilitation assistance is yet to be given to the remaining 7322 families.

Repatriation under the Indo-Ceylon Agreement 1964 has not yet commenced. The question of the rehabilitation of repatriates from Ceylon does not, therefore arise at present.

(b) & (c). Measures taken for the rehabilitation of the repatriates from Burma are indicated in statement No. II placed on the table of the Sabha. [**Placed in Library. See Nos. LT5787 (i), (ii) and (iii).**]

Statewise break-up of the repatriates from Burma who have arrived by sea is given n statement No. III placed on the table of the Sabha. [**Placed in Library See Nos. L. T. 5787 (i), (ii) and (iii)**] Statewise details of repatriates who have arrived by air are not known.

A sum of Rs. 112·39 lakhs has been sanctioned to various State Governments for the rehabilitation of repatriates from Burma. Figures of actual expenditure incurred by the State Governments are, however, not available. This information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर बहुत लम्बा है तो अच्छा यह है कि वह सभा पटल पर रख दिया जाये ।

Shri M. L. Dwivedi : According to the statement laid on the Table, only 11 persons have been provided with employment whereas about 150 families came down to Delhi. So, is it a fact that the terms and conditions for providing

the Burmese refugees with relief and loan are such that they can hardly get any benefit and that they are also not allotted shops?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सारा ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये तीनों विवरणों में दिया हुआ है ।

Shri M. L. Dwivedi : I have asked for information that is not included in the details.

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक इन लोगों को रोज़गार दिलाने का प्रश्न है, रोज़गार कार्यालय ही सहायता कर सकते हैं। इन लोगों को रोज़गार कार्यालयों में अपना नाम लिखाना चाहिये। जब कुछ स्थान रिक्त होंगे, नियुक्त किया जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि करीब 150 परिवार बर्मा से यहां आये हैं। ऋण तथा दूकानों के एलाट किये जाने की व्यवस्था तो है परन्तु शर्तें ऐसी लगाई गई हैं कि इन लोगों को इन सुविधाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी सुविधायें स्वयं दिल्ली में ही क्यों नहीं दी जाती ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि 150 परिवार दिल्ली आये हैं। वास्तव में, कुछ लोगों ने दुकानों के एलाट कराने के लिये आवेदन पत्र दिये थे और इस मामले को निर्माण तथा आवास मंत्रालय को विचार के लिये भेजा गया था। चूंकि दुकानें उपलब्ध नहीं थीं, कोई दुकान एलाट नहीं की जा सकी ।

Shri M. L. Dwivedi : Has the Rehabilitation Ministry taken up the matter with the Works, Housing Ministry about several vacant shops in Ramakrishnapuram and other areas for allotment of which applications were received? Has any reply been given to the applicants? Is it a fact that no reply is received of letters sent to the Minister?

श्री दा० रा० चव्हाण : उस सम्बन्ध में जांच की गई थी और निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने सूचित किया है कि दुकानें खाली नहीं हैं ।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह तथ्य है कि दिल्ली प्रशासन ने इन परिवारों को 2,000 रुपये का पुनर्वास ऋण इस कारण नहीं दिया कि वे लोग इस असंभव शर्त की पूर्ति नहीं कर सकते थे कि उनके पास किसी प्रकार की दुकान होनी चाहिये ? यदि हां, तो इन निराश्रितों को ऋण प्राप्त करने के लिये दुकानें अथवा कारखाने किस प्रकार मिल सकते हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : ऐसे किसी मामले की मेरे पास सूचना नहीं है। यदि कोई विशेष मामला किसी विशेष संदर्भ में सामने आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : इस लम्बे विवरण के अनुसार 1,35,636 लोग आये हैं। क्या सरकार की यह सूचना सही है ? इन में से कितने लोगों ने विभिन्न प्रकार की सहायता, ऋण अथवा अनुदान के लिये प्रार्थना की है और सरकार ने कितने लोगों की प्रार्थना स्वीकार की है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह जानकारी सभा पर रखे गये विवरण में दी गई है। माननीय सदस्य विवरण देख सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने सारे विवरण देख लिये हैं ।

श्री दा० रा० चव्हाण : विवरण I में दिया हुआ है कि 13,778 परिवारों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी गई है। जहां तक रोज़गार का प्रश्न है, 3,287 लोगों को रोज़गार मिल गया है।

श्री सुबोध हंसदा : सब लोगों को पुनर्वास किये जाने के लिये उठाये गये क़दमों के अतिरिक्त क्या मंत्रालय ने स्वदेश-प्रत्यावर्तित लोगों द्वारा बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति का निर्धारण किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके आधार पर मुआवज़ा देने का विचार कर रही है?

श्री दा० रा० चव्हाण : मेरे पास जानकारी नहीं है कि यह लोग जायदाद वहां छोड़ आये हैं। इस मामले का सम्बन्ध विदेश मंत्रालय से है। मुआवज़ा दिये जाने का प्रश्न भी विदेश मंत्रालय के अधीन है।

श्री स० चं० सामन्त : किन राज्यों ने विवरण में उल्लेखित केन्द्रीय सरकार की बस्तियां बसाने की योजना को स्वीकार किया है और इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को बसाया गया है?

श्री दा० रा० चव्हाण : कुछ राज्यों ने बस्तियां बसाने की योजना स्वीकार कर ली है। सभा-पटल पर रखे गये विवरण में "अन्य अन्य" शीर्षक के अन्तर्गत 270 लिखा हुआ है। इन सब व्यक्तियों को बस्तियां बसाने की योजना तथा अन्य पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत रखा गया है।

श्री रंगा : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि क़रीब 11,000 लोगों को अपना इन्तज़ाम स्वयं ही करना है। वह इस निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुंचे हैं? चूंकि बर्मा से स्वदेश लौटने वाले इन लोगों का मूल निवास स्थान विशाखापटनम, रुड़केला और भिलाई के निकट था, क्या सरकार ने इन स्थानों में स्थापित सरकारी उपक्रमों को रोज़गार देने के मामले में इन व्यक्तियों को तरजीह देने के लिये कोई परिपत्र भेजा है?

श्री दा० रा० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य ने सभा-पटल पर रखे गये विवरण को देखा होता तो उन्हें पता चलता कि सरकार ने इन सरकारी उपक्रमों में रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है। वास्तव में हम ने तत्सम्बन्धी मंत्रालयों के अधीन इन सब सरकारी उपक्रमों को लिखा है कि वे 25 से 33-1/3 प्रतिशत स्थानों को बर्मा से स्वदेश-प्रत्यावर्तित लोगों के लिये रक्षित रखें।

श्री स० मो० बनर्जी : यह देखते हुये कि बर्मा से लौटने वाले इन विस्थापितों को 2,000 रुपये का ऋण दिये जाने की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि वे ऐसा प्रमाणपत्र दें कि उनको दुकान एलाट कर दी गई है, क्या निर्माण तथा पुनर्वास मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया था कि वह दुकानों का निर्माण करने के लिये तैयार हैं? जब इस प्रश्न को उठाया गया था तो श्री मेहर चन्द खन्ना ने कहा था कि वह दुकान बनाने के लिये तैयार हैं यदि पुनर्वास मंत्रालय धन दे। अतः इस विषय पर पुनर्वास मंत्रालय तथा निर्माण तथा आवास मंत्रालय में झगड़ा चल रहा है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुनर्वास मंत्रालय ने क्वार्टर निर्माण करने के लिये आवास मंत्रालय को पर्याप्त धनराशि दी है?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय निर्माण तथा आवास मंत्री द्वारा दिये गये जिस वक्तव्य के बारे में कहा गया है, उसे हमारे ध्यान में लाया गया है। वास्तव में उन्होंने कहा था कि यदि कुछ धनराशि निर्माण तथा आवास मंत्रालय को दे दी जायगी तो वह गृह निर्माण का कार्य कर सकेंगे परन्तु तत्समय कोई ऐसा प्रस्ताव पुनर्वास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजाराम।

श्री कन्डप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि . . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह बड़ा गम्भीर मामला है . . . .

एक माननीय सदस्य : यह श्री राजाराम नहीं हैं । यह श्री कन्डप्पन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मेरा मतलब डी०एम०के० के माननीय सदस्य से था ।

श्री कन्डप्पन : विवरण से ज्ञात होता है कि मद्रास में काफ़ी लोगों का पुनर्वास किया जायेगा । इन लोगों का पुनर्वास कब किया जायेगा ? क्या राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इन लोगों का अंडमन और निकोबार में पुनर्वास किया जाये ?

श्री द० रा० चव्हाण : प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में मुझे कहना है कि बर्मा से स्वदेश लौटाये गये अधिकतर लोग मद्रास में आ गये हैं । बर्मा से आने वाले इन लोगों का अंडमन और निकोबार में पुनर्वास करने के लिये कुछ योजनायें भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को पता है कि इन 1,30,000 के क़रीब स्वदेश लौटने वाले लोगों के अतिरिक्त, भारतीय मूल के बहुत से लोगों को तथा-कथित आर्थिक अपराधों के कारण बर्मा में रोका जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन लोगों को भी स्वदेश लौटाये जाने के लिये प्रयत्न कर रही है ?

श्री द० रा० चव्हाण : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य को जानकारी चाहिये तो वह विदेश मंत्रालय को अपना अलग प्रश्न भेजें ।

Shri Bibhuti Mishra : The statement says that 804 people have come down to Bihar. Statement No. 1 says that none has been rehabilitated in Bihar. The newspapers from Bihar report that the Burmese repatriates in that State are wandering from place to place whereas lakhs of people from Bengal have been rehabilitated there. Why these 804 people, who once went to Burma from Bihar and have now come back to their original native place, not being rehabilitated there even though the honourable Minister belongs to Bihar?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjiwan Ram): Yes, Sir. The people who have come are putting up at the railway stations. We know they are not in a proper condition. An officer has been specially sent from this place to study their condition and to negotiate with the Bihar Government. We have funds to provide them with means for starting a business or opening a shop but they want that they should be allotted land in Champaran district only . . . . . .

Mr. Speaker : Shri Bibhuti Mishra belongs to that State.

Shri Jagjiwan Ram : That is why I have specially mentioned it. Those repatriates had met me at the time of my recent visit. When I asked them to start a small business and told them that financial help would be given to them, they said they wanted land in Champaran district only. When I sent an officer to negotiate with Bihar Government, the latter curtly replied that they could not give land.

\+ **तार और टेलिफोन राजस्व व्यवस्था**

*566. **श्री बूटा सिंह :** **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री गुलशन : **श्री बागडी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री राम हरख यादव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार और टेलीफोन के राजस्वों की वसूली के बारे में ब्रिटिश लेखा परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) क्या उक्त राजस्व की चोरी को रोकने के लिए सरकार का अन्तरिक लेखापाल नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) क्या वे लेखापाल सीधे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन होंगे या डाक और तार विभाग के महानिदेशक के अधीन ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तार तथा टेलीफोन राजस्व वसूल करने के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं द्वारा की गई कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) जी नहीं। रिपोर्ट में न तो तार या टलीफोन राजस्व की चोरी की बात कही गई है और न ही उसमें राजस्व की चोरी रोकने के लिए अन्तरिक लेखाकारों की नियुक्ति का विचार प्रकट किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बूटा सिंह : ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : विशेषज्ञों ने अनेक सिफारिशें भेजी हैं। उनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यान्वित किया गया है। मैं उन सिफारिशों को सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्री बूटा सिंह : क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि कुल बकाया धनराशि क्या है और उसको वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : पिछली बार मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो 4.50 करोड़ रुपये का बकाया था। इसको वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Shri Gulshan: The honourable Minister has just said that some recommendations have been accepted by Government. Will those accepted recommendations be laid on the Table during this session?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने इस बारे में उत्तर में ही उल्लेख कर दिया है।

Shri Yashpal Singh : "Telephone" word is regarded as "neutral gender" everywhere but the honourable Minister has called it "Priyadarshini" instead of "Priyadarshan". Is it "Priyadarshani" or should it be "Priyadarshan"?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : Gender has not been differentiated.

Mr. Speaker : What objection do you have if Shri Yashpal Singh wants to make a difference on account of gender?

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह तथ्य है कि जो राशि बकाया है वह सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया है ? यदि हां, तो क्या बकाया को शीघ्र वसूल करने के लिये उन विभागों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही, जैसे टेलीफोन सम्पर्क (कनेक्शन) काटे जाना, की जा रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सत्य है कि 50 प्रतिशत बकाया सरकार सरकारी विभागों को देना उसको वसूल करने क लिए तेज़ कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रंगा : स्वयं मंत्रियों को बकाया अदा करना है।

Shri Ram Sewak Yadav : Is the report of the British Accounts Consultants regarding recovery of telephone charges or the bills have been pending in arrears? Since a heavy amount lies in arrears, how is it recovered?

Shri Satya Narayan Sinha : No special process for the recovery of the arrears has been indicated; they have submitted suggestions regarding the Telegraph and Telephone revenue system. We have accepted most of their recommendations, which will be laid on the Table of the House. Most of their recommendations relate to policy matters and we have not yet taken decision about them. They are still under contemplation and as soon as any decision has been reached about them, we will lay on the Table such of those recommendations as are accepted by us.

Shri Ram Sewak Yadav : What are the steps being taken to recover the arrears?

Shri Satya Narayan Sinha : Last time also, I had told the House that we would be disconnecting telephones of those persons who did not pay oft the arrears. There is a lot of hue and cry on account of that. What more can we do ? We cannot cut oft their necks?

Shri Ram Sewak Yadav : Will they be able to recover arrears by cutting telephone connections? I want to know as to what action has been taken by Government or is proposed to be taken in this regard? There are arrears in the case of Ministers and other big persons. In this case also, why same procedure is not adopted?

Shri Satya Narayan Sinha: I said last time also that cutting of connections was the most successful method of recovering arrears.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know as to why Government do not adopt the methods like confiscation and auction for the recovery of arrears in respect of telephone charges?

Mr. Speaker : The hon. Minister is also saying this.

श्री राम सहाय पाण्डेय : अपना-टलीफोन–लगवाइये योजना चालू की गई थी और इसके लिये 2,500 रुपये जमा कराना आवश्यक था। क्या यह योजना समाप्त की जा रही है या इसे जारी रखा जायेगा।

Shri Satya Narayan Sinha : There is no proposal of dropping it at present.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि टलीफोन के लिये अग्रिम बिल भेजे जाने लगे हैं ? इसके क्या कारण ह ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Bade : Is it a fact that the cause for arrears is that the bills are sent very late? I have received two bills for Rs. 89 and these are for 31-7-65 and 31-8-65. I was surprised to receive them after eight months. I want to know what action is being taken to ensure that the bills are sent in time?

Shri Satya Narayan Sinha : It is correct upto certain extent that some bills are not sent in time and there are discrepancies in some others. We are going to adopt the method suggested by consultants in their report. This work would be decentralised so that there is no delay.

महात्मा गांधी जन्मदिवस शताब्दी समारोह

+

*567. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री कु० कुं० चं० पन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1969 में महात्मा गांधी जन्मदिवस शताब्दी समारोह मनाने का है; और

(ख) गांधी शताब्दी समारोह सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों की रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : What progress has been made in regard to the proposed programme finalised at the meeting held on the 29th November, 1965? Was some more work also done in that meeting or only the programme was drawn up?

श्री मु० क० चागला : कार्यक्रम तैयार होने के बाद हम आरंभिक कार्यवाही कर रहे हैं । यह 1969 में है । हमने एक समिति गठित की है जो गांधीजी के बारे में एक ग्रंथसूची बनायेगी । उसका मैं अध्यक्ष हूं । हमने कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन की सेवा भी मांगी है । हमने यूनिस्को को भी लिखा है कि वर्ष 1969 को 'गांधीजी वर्ष' के रूप में मनाया जाये । संग्रहालयों के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे मनाया जाये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Apart from this, it is also proposed to celebrate Gandhiji's birth centenary in foreign countries. I want to know what action has been taken in this regard?

श्री मु० क० चागला : हम अपने दूतावासों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में आरंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है । विदेशों से लोगों को आमंत्रित किया जायेगा और गोष्ठियां आदि की जायेंगी । इस बात पर विचार हो रहा है कि किन किन को बुलाया जाये ।

Shri M. L. Dwivedi : The main aim of celebrating centenary is to preach Gandhiji's teachings, but the programme that has been drawn up shows that it would be mainly for propaganda purposes. I want to know whether any such camp would be organised where people would be taught to mould their views according to Gandhiji's principles?

श्री मु० क० चागला : मैं चाहता हूं कि लोग गांधीजी के सिद्धान्तों को तरह कार्य करें। हमें उन के संदेश का प्रचार करना है और हम आशा करते हैं कि लोग इसका अनसरण करेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि गांधीजी के संदेश को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। क्या यह कायक्रम अल्प अवधि का होगा या दीर्घ अवधि का। यदि यह दीर्घ अवधि का होगा तो अवर्ती व्यय कहां से किया जायेगा और क्या कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को भी कोई योजना है ?

श्री मु० क० चागला : यह कार्य पुस्तकों द्वारा किया जायेगा। जहां लोग निरक्षर हैं वहां यह काम मौखिक रूप से किया जायगा। चाहे यह अल्प अवधि का हो और चाहे दीर्घ अवधि का मैं आशा करता हूं कि काम इस तरीके से किया जायेगा कि इसका प्रभाव दीर्घ अवधि तक रहे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या 1969 के समारोहों के रूप में गांधीजी के मद्यनिषेध सम्बन्धी स्पष्ट सन्देश को देश के कोने कोने में लागू किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री मु० क० चागला : मैं यही कह सकता हूं कि एक कार्यक्रम गांधीजी का सामाजिक कार्यक्रम होगा। इस में गांधी जी के विचारों के अनुसार समाज में सुधार के बारे में काम होगा।

श्री सुबोध हंसदा : कार्यक्रम निर्धारित करते समय क्या जनता से भी सुझाव मंगाये गये थे और इसके लिय वित्तीय आवश्यकताएं क्या क्या होंगी।

श्री मु० क० चागला : हम जनता के सुझावों का स्वागत करते हैं। वित्तीय आवश्यकताओं का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

Shri Siddheshwar Prasad : There is no mention about Gandhiji's, ideals regarding education and language. I want to know whether it would be considered and these things would be implemented?

श्री मु० क० चागला : भाषा का इस कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। हां शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम का भाग है। शिक्षा के बिना समाज में सुधार नहीं हो सकता।

श्री दे० जी० नायक : गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ने अस्पृश्यता समाप्त करने, मद्य निषेध, बुनियादी शिक्षा आदि गांधीजी के आदर्शों के बारे में एक कार्यक्रम बनाया है। क्या गांधी जन्मदिवस समारोह सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति इस ट्रस्ट के साथ मिलकर समारोह मनाने का कार्यक्रम बनायेगी ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में उन सभी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा जो गांधी जी के संदेश को कार्यरूप देना चाहते हैं। और इस ट्रस्ट को राष्ट्रीय समिति से मिलकर काम करने को कहा जायेगा।

श्री ज० ब० कृपलानी : क्या सरकार गांधी जी की आर्थिक, राजनैतिक, और सामाजिक नीतियों को कार्यान्वित करने को तैयार है; यदि हां, तो यह कब किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : सरकार गांधी जी की इन नीतियों पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रही है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को मालूम है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की राजधानी दिल्ली में गांधीजी की कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है। क्या इस बारे में यथाशीघ्र कदम उठाये जायेंगे ?

श्री मु० क० चागला : यह शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं है। यदि सम्बन्धित मंत्रालय से प्रश्न पूछा जाये तो माननीय सदस्य को उत्तर मिल जायेगा।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has said that Government is implementing Gandhiji's principles. Gandhiji had done a great deal about the uplift of Harijans. I want to know whether there is any Central Minister who looks after this work. Gandhiji had preached that untouchability should be abolished. When this work is likely to be completed?

श्री मु० क० चागला : गांधीजी के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारा संविधान है जिस में कि अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यदि अब भी यह कहीं पर है तो हम उसे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Rameshwaranand : Swami Dayanand had also worked for the Harijans. He also worked for our country, self government. I want to know whether his 'Nirvan' would also be celebrated?

श्री मु० क० चागला : स्वामी दयानन्द की शिक्षा तथा अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगाने में कोई अन्तर नहीं है।

इस प्रश्न का सम्बन्ध गांधीजी की शताब्दी से है। जब स्वामी दयानन्द की शताब्दी का समय होगा तो हम ऐसे ही करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Government machinery was used for collecting funds for the Gandhi Nidhi. That money was to be spent for propagating Gandhiji's ideals. I want to know whether Government have investigated that that money has been properly used?

श्री मु० क० चागला : पूरे मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात पर विचार किया जायेगा कि वह धन उचित ढंग से प्रयोग में लाया जाये ?

श्री मु० क० चागला : इस के लिये न्यास अधिनियम है। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इस की पूरी कोशिश करती है कि एकत्र किये हुए धन का दुरुपयोग न हो।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार को इस सुझाव की जानकारी है कि शताब्दी समारोहों के साथ साथ मद्यनिषेध के कपट को स्थायी बनाया जाये; यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति के दुष्परिणामों को जानती है ?

श्री मु० क० चागला : मद्यनिषेध एक विवादास्पद विषय है। मेरे विचार में गांधीजी की स्मृति में हमें विवाद नहीं खड़े करने चाहियें। वह तो समाज का सुधार चाहते थे और इसके लिये उन्होंने बहुत से तरीके बताये हैं। हमें पूरी निष्ठा से उन पर अमल करना चाहिये।

Shri Tyagi : Those persons who were in contact with Gandhiji know that he did not like misuse of public money at all. In the light of this may I know whether public money would not be misused on functions and memorials etc.

श्री मु० क० चागला : मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि यदि हम गांधी शताब्दी के लिये जनता से धन एकत्र करते हैं तो हम उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जनता से धोखा नहीं होना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार गांधीजी के आर्थिक तथा राजनैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करती है। गांधीजी ने अपनी 30 जनवरी, 1948 की अन्तिम इच्छा और वसीयत में स्पष्ट संकेत दिया था कि कांग्रेस विघटित कर दी जानी चाहिये और एक लोक सेवा समिति बनायी जानी चाहिये जो मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार हो और किसी दल के नहीं। क्या गांधीजी के तथाकथित शिष्य इस सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे ? इन लोगों ने कांग्रेस को अभी भी बनाया हुआ है जिसका उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्ति था।

श्री मु० क० चागला : हम भारत के उस महान व्यक्ति, राष्ट्रपिता, का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार करें। गांधीजी ने सब से पहले कहा था कि विमति रखने का हमारा अधिकार है। उन्होंने कभी दासता वाली निष्ठा को चाहा था। यदि सरकार उनकी किसी बात से सहमत नहीं तो वह इस को पसंद करते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

***568. श्री दाजी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूर्ण संख्या में प्रकाशित किये गये हैं और भिन्नों को हटा कर पूर्णांक कर दिया गया है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत, माहवार तथा वर्षवार निकालते समय भी पूर्णांक करने का यही सिद्धान्त अपनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोयला खानों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से निकाले जाने वाले छः माही अथवा वार्षिक औसत पर भी यही सिद्धान्त लागू होता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां। श्रम ब्यूरो सारे भारत तथा विभिन्न केन्द्रों के लिए श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूर्ण अंकों में प्रकाशित करता है। इस प्रयोजन के लिए भिन्नों को हटाकर समीप का पूर्णांक कर दिया जाता है।

(ख) जी हां, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के बारे में।

(ग) इस प्रकार का कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है।

उद्योगों में अनुशासन संहिता

***569. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति कायम रखने के लिए श्रमिक वर्ग ने हड़ताल का सहारा न लेने का निर्णय किया है और सभी आन्दोलनों का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रमिक वर्ग द्वारा किये गये इस प्रकार के एक-पक्षीय त्याग का नियोजक लोग अपने हित में लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उद्योग सम्बन्धी अनुशासन-संहिता पर पुनर्विचार करें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । श्रमिकों ने सामान्यतः संयम से काम लिया है ।

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि नियोजकों ने इस संयम का लाभ उठाया है ।

(ग) संहिता के कार्यसंचालन का अगस्त, 1965 में हुए सेमिनार में पुनर्विलोकन किया गया और इस पर स्थायी श्रम समिति या भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले अधिवेशन में विचार किया जायेगा।

Enquiry Against Officers of Dandakaranya Project

***570. Shri Bagri :** **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Vishram Prasad : **Shri Yashpal Singh :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 618 on the 25th August, 1965 and state :

(a) whether the enquiry which was being conducted into the allegations made against certain officers of the Dandakaranya Project has since been completed; and

(b) If so, the details of the findings thereof as also the details of the action taken against the officers concerned?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) In five cases, investigations have been completed. In one case, on legal advice, further investigaion has been undertaken.

(b) In one case, the question of launching a prosecution against the officer is under consideration in the Central Bureau of Investigation. In four cases, the question of recommending departmental disciplinary proceedings against the officers is under consideration in the Central Bureau of Investigation.

Complaints regarding D.I.R.

***571. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a large number of representations have been received by Government to the effect that people have been detained in some States under the Defence of India Rules on the ground of enmity and for other reasons;

(b) if so, their number;

(c) whether any investigations have been made into the basis of these representations; and

(d) if so, the outcome thereof?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No such specific representation has come to the notice of the Government.

(b) to (d). Do not arise.

गांधी स्मारक के रूप में बिड़ला भवन

*572. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी–वर्ष 1969 से पहले बिड़ला भवन, नई दिल्ली को अपने हाथ में ले लेने के संबंध में गांधी स्मारक निधि के प्रधान के सुझाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Development of Sanskrit

*573. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Karani Singhji :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any special scheme has been formulated for the development of Sanskrit during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether Government have also received any suggestions for giving a place to Sanskrit in the three-Language-formula;

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d). A statement is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L.T. 5788/66]**

Reorganisation of States

*574. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Jedhe :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted in toto the principle of forming States on linguistic basis; and

(b) if so, the names of States which are proposed to be formed on linguistic basis?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

थिगजे की बाहरी पुलिस चौकी पर नागाओं का आक्रमण

*576. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बागड़ी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री काजरोलकर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के 500 व्यक्तियों के एक दल ने 7 जनवरी, 1966 को मिकिर हिल्स में थिगजे बाहरी पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया ;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) विद्रोही नागाओं और सुरक्षा दल के बीच जनवरी, 1966 में ऐसी कितनी मुठभेड़ें हुईं ; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस के 3 व्यक्ति मारे गये तथा 2 घायल हुए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विद्रोही भारी संख्या में हताहत हुए।

(ग) आसाम में जनवरी 1966 के दौरान विद्रोहियों के साथ चार और छोटी मुठभेड़ें हुईं।

(घ) आसाम और मनीपुर की राज्य सरकारों ने इन कार्रवाईयों को रोकने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये हैं। इन क्षेत्रों में गश्ती दस्ते और बढ़ा दिये गये हैं तथा सुरक्षा के प्रबन्ध भी और अधिक सुचारू बना दिये गये हैं।

पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

*577. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से मिले हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से निष्क्रान्त व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) इस बीच कितने व्यक्तियों को अपने घरों में फिर से बसा दिया गया है और उनकी जमीन पर शत्रु का कब्जा होने के कारण कितने व्यक्तियों को वहां फिर से बसाना बाकी है ; और

(ग) अन्य राहत देने के अतिरिक्त, क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को भू-राजस्व कर तथा अन्य करों के सम्बन्ध में रियायत देने का विचार किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 3,07,793 ।

(ख) करीब-करीब 1,50,000 व्यक्तियों को फिर से बसा दिया गया है और शेष लोगों को बसाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) पंजाब के युद्ध-प्रभावित क्षेत्र में भू-राजस्व तथा सिंचाई कर (आबियाना) में पूरी छूट दी गई है। यह ज्ञात हुआ है कि जम्मू और काश्मीर में भी राज्य सरकार भू-राजस्व में छूट दे रही है। राजस्थान में भू-राजस्व में देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Gandhi Harijan School Madangir

*578. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Daji : **Shri Yudhvir Singh :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Bade : **Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **Education** be Pleased to state :

(a) whether it is a fact tnat the management of Gandhi Harijan School, Madangir has not paid any salary to the teachers for the last seven months;

(b) whether it is also a fact that facilities regarding Provindent Fund and regular promotions have also not been provided to them;

(c) whether it is also a fact that the teachers had submitted a representation in this regard to the management but no heed was paid to it; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). A statement is placed on the table of the House **Placed in libary. See No. L.T. 5789/66].**

ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय दिल्ली

*579. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे तथाकथित ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विद्यालय के कार्य के संबध में लगाये गये गम्भीर आरोपों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस संस्था के विषय में केवल एक शिकायत दिल्ली पुलिस को मिली थी तथा जांच करने पर यह अभियोज्य नहीं पाई गई।

Financial Assistance to Shri Savarkar

*581. **Shri Bade :** **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given by Government to Vir Savarkar; and

(b) whether some medical aid was also given to him by Government for his treatment?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs. (Shri V. C. Shukla): (a) A total sum of Rs. 3,900 was granted to the late Shri Savarkar from the Home Minister's Discretionary Grant of which Rs. 1,000 was sent to him last month when reports about his serious illness were received. The Govt. of Maharashtra had also sanctioned him financial assistance at the rate of Rs. 300 per month for a period of 2 years from September, 1964.

(b) No request was received by the Central Government for providing medical aid to the late Shri Savarkar.

विद्रोही नागाओं द्वारा कर वसूली

*582. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट-नागालैंड सीमा पर स्थित दो चाय सम्पदाओं के अधिकारियों ने हाल ही में सरकार को सूचना दी है कि विद्रोही नागा उनकी चाय सम्पदाओं के मजदूरों से बलपूर्वक प्रति व्यक्ति दो रुपये कर वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों संबंधी समिति

*583. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और शिकायतों का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई संसद सदस्यों की उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयमें प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने ऐसी उप-समिति नियुक्त नहीं की है। परन्तु प्रशासनिक सुधार पर संसद सदस्यों के विशेष सलाहकारी ग्रुपों की एक उप-समिति ने इस मामले पर विचार किया था, जिसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है। [**Placed in Library See No. L. T, 5790/66**]

चौथी योजना में उर्वरकों का उत्पादन

*584. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री लिंग रेड्डी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री कालरोलकर :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री रामपुर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य कितना है और इसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है ; और

(ख) कितनी नई उत्पादन क्षमता गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी और कितनी सरकारी क्षेत्र में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इस समय निर्धारित किया गया लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

(i) नाइट्रोजनी उर्वरकों . .	2.0 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन
(ii) फासफेटिक उर्वरकों . .	1 मिलियन मीटरी टन P_2O_5

यह प्रस्तावित है कि इन लक्ष्यों को वर्तमान कारखानों में उत्पादन के विस्तार और अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना से प्राप्त किया जाए।

(ख) इस समय विचार किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन मीटरी टन और गैर-सरकारी क्षेत्र में 0.9 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता होगी।

कार्मिक संघ आन्दोलन

*585. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बहुत अधिक कार्मिक संघ बन जाने के कारण देश में कार्मिक संघ आन्दोलन और औद्योगिक शान्ति को बहुत क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या एक ही कारखाने में बहुत से कार्मिक संघों की विद्यमानता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) क्या इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने और वास्तविक कार्मिक संघ आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए कोई अध्ययन दल बनाने का सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सरकार को अनेक औद्योगिक इकाइयों में बहुत सी मज़दूर यूनियनों की विद्यमानता और इसके मज़दूर संघ आन्दोलन तथा औद्योगिक शान्ति पर पड़े प्रभाव के बारे में जानकारी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) इस समय इस प्रयोजन के लिए अध्ययन दल नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है।

Cultural Delegations Sent Abroad

*586. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of delegations sent abroad during 1965-66 so far under the Department of Cultural Affairs, the purposes of their visits and the expenditure incurred thereon;

(b) whether foreign delegations have also visited India under the scheme of exchange of delegations and if so, the names of countries from where they had come; and

(c) the extent of reduction in the expenditure on Cultural Programmes due to Emergency and its effect on the visits of our delegations to foreign countries?

Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Thirty-three delegations involving an expenditure amounting to Rs. 4,13,940 approximately have so far been sent to Afganistan, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Chile, Denmark, Finland, France, Germany,

Hungary, Italy, Ireland, Nepal, Netherlands, Norway, Paraguay, Poland, Salvador, Sikkim, Syria, Tunisia, Uruguay, U.S.A., U.S.S.R, U.K., U.A.R. and Yugoslavia. The delegations were sent on various cultural assignments including art, education, science and technology with the broad objective of promoting better relations between India and foreign countries.

(b) Yes, Sir. Under the Cultural Activities Programme with foreign countries delegations from Afghanistan, Ceylon, Czechoslovakia, France, Germany (both East and West), Greece, Hungary, Indonesia, Japan, Kenya, Poland, Rumania, Sikkim, Switzerland and the U.S.S.R. have visited India.

(c) The reduction in expenditure in respect of the External Relations Division of the Ministry of Education amounts roughly to Rs. 8.9 lakhs. There has been reduction in expenditure in the case of other implementing agencies as well, but it has not been possible to assess precisely the extent of reduction.

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान

*587. **श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिकीय अनुसंधान का विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन): (क) चौथी आयोजना के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की किसी आयोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर

*588. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति, श्री एन० के० सिद्धान्त की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर और परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ; और

(घ) उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 579/66।]

(ग) और (घ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों के पास उनके विचार जानने के लिए भेजा है।

भारत में नजरबन्द किये गये पाकिस्तानी

*589. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री नारायण रेड्डी :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में नजरबन्द किये गये लगभग एक सौ पाकिस्तानियों ने भारत में रहने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : 91 पाकिस्तानियों ने, जिनको भारतीय सुरक्षा सैनिकों ने अग्रिम क्षेत्रों से पकड़ा था, तथा जिनको बाद में हिसार के पारगमन नजरबन्दी कैम्प में रखा गया था, पाकिस्तान वापिस जाने के लिये अपनी अनिच्छा प्रकट की है। पंजाब की सरकार को उनके मामलों का पुनरीक्षण करने तथा सुरक्षा के प्रति खतरनाक न समझे जाने वालों को छोड़ देने की प्रार्थना की गई है।

Working Hours in Government Offices

*590. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Jedhe :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the period of Pakistani aggression when blackout was being observed, the working hours of certain sub ordinate Government offices were changed with a view to enabling the employees to reach their homes before it was dark;

(b) if so, whether these changed working hours are still in force in certain Offices;

(c) the reasons for which the temporary change made at that time in the working hours is still effective although the position has become normal after the Tashkent Agreement; and

(d) when the previous normal working hours of Government offices would be restored?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) & (d) . (i) It appeared from the representations received that the staff would prefer to have more time in the evenings to a ttend to their personal affairs.

(ii) Frequent changes in office hours dislocate transport arrangements which take considerable time for readjustment.

(iii) It is felt that once the staff gets used to starting early and going home early, they may not like to revert to the old working hours.

पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन-क्रम

*591. **श्री हीo नाo मुकर्जी :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री प्रo रंo चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान पश्चिम बंगाल के कालेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मन में इसबात पर लगातार व्याप्त गंभीर क्षोभ की ओर दिलाया गया है कि बढ़ाये गये वेतन-क्रम 1 अप्रैल, 1966 से लागू करने के संबंध में दिये गये अपने वचन को केन्द्रीय सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया है.,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से उन्हें अविलम्बनीय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या उन्हें यह पता है कि कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों को ऐसे पग अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है जितने उक्त राज्य में उच्चतर शिक्षा अस्त-व्यस्त हो सकती है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा पहले दिये गये वचन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मुo कo चागला) : (क) से (घ) तक : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल के कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक इस बात पर क्षुब्ध हुए हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतन क्रमों को पहली अप्रैल, 1966 से क्रियान्वित नही किया जा सकता है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध कोई वचन दिया था।

(ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि कालेजों के अध्यापकों को 10 रुपए मासिक महंगाई भत्ते की बढोतरी के अतिरिक्त वेतन रूप मे 40 मासिक की तदर्थ बढोतरी दी जाए। राज्य सरकार ने राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किए गए राज्य बजट में यह पहले ही घोषित किया था। आगे, वेतन-क्रमों में कोई संशोधन केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से अखिल भारतीय आधार पर किया जाना चाहिए।

(ग) अध्यापकों ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है कि यदि उनके वेतन-क्रमों में 66–67 से संशोधन नहीं किया जाता है, तो वे विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सभी कार्य का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरकार ने और मैंने उन्हें सलाह दी है कि वे ऐसा कोई काम न करें।

(घ) देश की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण, यह सम्भव नही है कि पहली अप्रैल, 1966 से संशोधित वेतन क्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं। फिर भी कोशिशे की जा रही है ताकि सिफारिशों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों को 1967–68 में जरूरी सहायता देने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें।

डाक तथा तार बोर्ड का पुनर्गठन

*592. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के समान डाक तथा तार बोर्ड का पुनर्गठन करने की सम्भावना का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिसम्बर 1959 में डाक-तार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तभी से, डाक-तार बोर्ड को इस योग्य बनाने के लिए कि वह वित्तीय मुद्दों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर जल्दी निर्णय ले सके, उसमें रेलवे बोर्ड के समान वित्तीय शक्तियां निहित करने से सम्बन्धित कुछ सुझाव खास तौर से डाक-तार कर्मचारी यूनियनों से प्राप्त हुए थे।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

तेलवा बाजार बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन

2184. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर डाक व तार डिवीजन में तेलवा बाजार में एक सार्वजनिक टैलीफोन लगाने के लिय कोई अभ्यावदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि मुंगेर डिवीजन के डाकघरों के सुपरिटेण्डेट ने सिफारिश की है कि तेलवा बाजार में एक सार्वजनिक टैलीफोन तथा तारघर खोला जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नही।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

सोनो में सार्वजनिक टेलीफोन

2185. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोनो (मुंगेर जिले) के नागरिकों की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि तार-फोन (फोनोकोम) सर्किट पर आरम्भ किये गये नये उप डाकघर में तारबर्की (तार भेजने का संकेत यंत्र) लगाया जाय और वहां पर विद्यमान लाइन से तार जोड़ कर एक सार्वजनिक टैलीफोन केन्द्र खोला जाय;

(ख) क्या यह सच है कि सोनो अभ्रक खनन केन्द्र है और इसलिये उस स्थान पर मनीआर्डर भेजने तथा ट्रंक काल करने की व्यवस्था होनी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नही।

(ख) जी हां, सोनो अभरक की खानों का केन्द्र है और वहां के डाकघर मनीआर्डर स्वीकार किये जाते हैं। यहां तार मनीआर्डरों तथा ट्रंक कालों की सुविधा तब तक संभव नही हो सकती जब तक कि इस डाकघर के लिए मानक तार परिपथ सम्बन्धी व्यवस्था नही हो जाती। और एक सार्वजनिक टलिफोन घर स्थापित नहीं हो जाता।

(ग) इन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित नये प्रस्ताव की जांच करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

अनागमाली विद्युत् ट्रांसफार्मर परियोजना

2186. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 अथवा 1965 में अनागमाली विद्युत् ट्रांसफार्मर परियोजना के निष्पादन के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी उद्योगपति को दिये गये ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप केरल सरकार को 2 लाख रुपये देने पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो इस हानि का उत्तरदायित्व किस पर है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने हानि के कारण का पता लगाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : राज्य सरकार ने प्रतिकर के रूप में राशि अदा करदी थी अतः उत्तरदायित्व निश्चित करने तथा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में हथकरघा कारीगर

2187. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल राज्य के कन्नानूर जिले में कितने हथकरघा करीगर बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या इस उद्योग का पुनर्व्यवस्थापन करने की कोई योजना हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन कारीगरों की सहायता के लिये कोई धनराशि नियत की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है, परन्तु विपणन कठिनाईयों के कारण कुछ अपूर्ण रोजगार की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जिन बुनकरों के पास कोई हथकरघा नहीं है उनके लिये नियमित रोजगार की व्यवस्था करने के लिये केरल सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बुनकर सहकारी समितियोंका संगठन किया गया है।

(ग) और (घ) : केरल सरकार द्वारा बुनकर सहकारी समितियों को निम्न सहयता दी जाती है:—

(i) शेयर पूंजी ऋण।
(ii) भूमि, भवन और सुधार।
(iii) करघे तथा अन्य उपसाधन।
(iv) फर्नीचर।
(v) कार्यकर पूंजी।

निजी क्षेत्र के उद्योग की सहायता के लिये केरल सरकार द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर को औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के लिये गारंटी देने की एक योजना अनुमोदित की गई है।

केरल सरकार द्वारा हाथकरघा सप्ताह के दौरान 27-2-1966 से 6-3-1966 तक हाथ के बुने कपड़े के फुटकर विक्रय पर 5 पैसे की वर्तमान दर के अलावा एक रुपये में 5 पैसे की विशेष अतिरिक्त छूट दी गई।

हाथ से बने कपडे के विक्रय को बढ़ावा देने के लिये 12 वें अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह के दौरान प्रचार के लिये 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) की राशि मंजूर की गई।

नारियल जटा उद्योगों में काम करने वाले मजदूर

2188. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि केरल में नारियल जटा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की दशा भारत के सब मजदूरों की दशा से खराब है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी दशा को सुधारने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल की गड़बड़ से नारियल जटा उद्योग को भी नुकसान पहुंचा है।

(ख) कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिये सामान्य उपायों के अलावा केरल सलकार ने एक नारियल-जटा विकास योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत नारियल-जटा उद्योग के श्रमिकों को नारियल-जटा सहकारी समितियां बनाने के लिये संगठित किया जाता है। उस सरकार ने इस योजना में अब तक 247.5 लाख रुपये खर्च किये हैं।

केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता

2189. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट ने अपने कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है; और

(ग) क्या अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाने का निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केरल विश्वविद्यालय सिन्डीकेट ने अपने कर्मचारियों को उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों पर महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया है, जिन दरों तथा शर्तों पर केरल सरकार द्वारा वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसके कर्मचारियों को दिया जाता है।

(ख) लगभग 1100 कर्मचारी।

(ग) विश्वविद्यालय सिंडीकेट ने निर्णय किया है कि अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 50 से 60 वर्ष बढ़ाने के प्रश्न को आस्थगित कर दिया जाए।

आस्ट्रेलिया की पुस्तकों की प्रदर्शनी

2190. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के पुस्ताकालय में आस्ट्रेलिया की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी में किस प्रकार की पुस्तके रखी गई हैं; और

(ग) इस प्रदर्शनी से क्या लाभ हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) कला साहित्य और आस्ट्रेलिया के जन-जीवन तथा संस्कृति के अन्य पहलुओं को दर्शाने वाली पुस्तकें दिखाई गई थी।

(ग) प्रदर्शनी द्वारा भारतीयो को आस्ट्रेलिया के जन-जीवन और संस्कृति को और अच्छी तरह समझने का मौका मिला।

जैल सलाहकार समिति

2191. **श्री प० कुन्हन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जेल सलाहकार समिति की बैठक कितनी अवधि के बाद होने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) त्रिवेन्द्रम, विय्यूर, तथा कन्नानूर सेन्ट्रल जेल के बारे में समिति की अन्तिम बैठकें कब हुई थी ?

(ग) क्या यह सच है कि कन्नानूर सेन्ट्रल जेल के बारे में बहुत समय से जेल सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह विलम्ब इस बारे में किये गये उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) केरल में केन्द्रीय जेलों के जेल सलाहकार बोर्डों की बैठक छः मास में कम से कम एक बार होनी होती है।

(ख) क्रमशः 13-11-1965, 28-2-1966 तथा 18-2-1966 को।

(ग) तथा (घ) : बोर्ड की पिछली बैठक में, जो नवम्बर 1965 में होनी थी, तीन अवसरों पर गणपूर्ति न होने के कारण विलम्ब हुआ। यह बैठक 18-2-1966 को हुई।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशनों की प्रदर्शनी

2192. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकाशनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो नियमित पुस्तकों तथा सामाईक पत्रिकाओं के विवरण सहित प्रदर्शनार्थ रखे गये प्रकाशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदर्शनार्थ रखे गये प्रकाशनों में कितने प्रतिशत हिन्दी प्रकाशन थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) 1960–65 की अवधि के दौरान भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रकाशित स्कूलों और कालेजों की पुस्तकें, लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकें, पत्रिकाएं, बुलेटिन और विश्वकोश संबंधी रचनाएं प्रदर्शनी में दिखाई गई थीं। पुस्तकों और पत्रिकाओ की कुल संख्या क्रमशः 4492 और 768 थी।

(ग) हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रतिशतता क्रमशः 15.40 और 5.00 थी।

पार्टिकल बोर्ड फैक्टरी

2193. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड सरकार के सहयोग के साथ देहरादून में एक पार्टिकल बोर्ड फैक्टरी लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) नये विस्थापितों को उद्योगों में बसाने के कार्यक्रम के अनुसरण में पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा, हरिद्वार देहरादून क्षेत्र में पार्टिकल बोर्ड फैक्टरी स्थापित के विषय, पर विचार किया जा रहा है। मशीनरी की विदेशी मदों के लिये कुछ देशों से जिन्हें रुपये में भुगतान किया जा सकता है दरें मंगवाई गई थीं। दरों की प्राप्ति होने से, पोलैंड निर्यात निगम द्वारा दिये गये टेंड्रों के बारे में, उनके सदस्य जो भारत आये हैं उनके साथ ब्यौरे के बारे में निगम से बात-चीत चल रही है। मशीनरी आयात के स्त्रोत के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) फैक्टरी की क्षमता 6,500 से 7,500 टन होगी और 375 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

(ग) वित्तीय या प्रबन्ध के सहयोग को कोई विचार नहीं है।

मद्रास के लिये मिट्टी का तेल

2194. **श्री म० प० स्वामी :**

श्री काशीनाथ दुरै :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को मिट्टी के तेल की सामान्य मासिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) वितरण के लिये अब कितना तेल दिया जाता है; और

(ग) मद्रास राज्य की मिट्टी के तेल की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) लगभग 20,000 मीटरी टन।

(ख) और (ग) : मार्च और अप्रैल, 1966 के लिये मद्रास राज्य का मिट्टी के तेल का मासिक कोटा 20,200 मीटरी टन निर्धारित किया गया है और अलग अलग कम्पनियों को आवटंन किया गया है। राज्य सरकार को तेल कम्पनियों से बात चीत करके अलग अलग जिले का कोटा निर्धारित करने की राय दी गई है।

खान निरीक्षकों के पद

2195. **डा० सारादीश राय** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान निरीक्षकों के मंजूर पद कितने हैं,

(ख) इनमें से कितने पद 1 अप्रैल, 1965 से खाली पड़े हुए हैं;

(ग) अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा अब तक कितने पद भरे गये हैं; और

(घ) यदि कुछ पद नहीं भरे गये हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर कहां तक प्रभाव पड़ा है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 43.

(ख) और (ग): 1-4-1965 को 19 पद खाली पड़े थे। इनमें से अब 13 खाली पद भर लिए गए हैं।

(घ) निरीक्षकों की लगातार कमी के कारण खानों में सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

Displaced Textile Workers

2196. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :
Shri J. B. S. Bist :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether suggestions have been received from the Directors of Employment Exchanges as per decision taken by the Inter-Ministerial Committee appointed in the last week of September, 1965 for the rehabilitation of the labourers especially of textile industry rendered displaced as a result of the recent Indo-Pak conflict; and

(b) the action being taken on the suggestion made by the Committee that the State Governments should form an organisation to arrange for free movement of the products of the industries in border areas?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) The State Governments were requested to consider the possibility of setting up organisations for the sale of stocks and movement of product of industries in the border areas for minimising of accumulation of stocks. No information is available whether the State Governments found it necessary or possible to set up such organisations or whether any such organisations were actually set up.

Jobs for Vagrant Persons

2197. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government are drawing up a scheme to harness the services of those vagrant persons in agriculture who do not get employment after completing their studies; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वृद्धियां

2198. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारी जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों में गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार ने लगभग दो वर्ष पहले किसी विशेष प्रक्रम पर कुछ अग्रिम वृद्धियां, करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी जिनमें इसी प्रकार का गतिरोध हैं, इसी प्रकार की वृद्धियां देने के प्रस्ताव भी सरकार के सामने विचार के लिये आये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह कहना सत्य नहीं है, कि कथित अनुभाग अधिकारियों को गतिरोध हटाने के लिये दो अग्रिम वृद्धियां दी गई थीं। स्थिति यह है कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड II (रु० 530-800) तथा ग्रेड III (रु० 275-500) को एकल ग्रेड (रु० 350-900) में परिवर्तित किया गया था और परिणामतः भूतपूर्व ग्रेड III अनुभाग अधिकारियों को उन्नति के सम्बंध में हानि हुई थी। इस हानि के लिये प्रतिकर के रूप में इन्हें कुछ विशिष्ट शर्तें पूरा करने पर दो अतिरिक्त वृद्धियां दी गई थीं।

(ख) तथा (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

मिट्टी तेल के भाडे में छूट

2199. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी-तेल के भाड़े में इस समय दी जाने वाली छूट को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या देशी अशोधित तेल से तैयार किये गये तथा बिजली तैयार करने के लिये जनोपयोगी सेवाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मिट्टी-तेल पर वर्तमान छूट दी जाती रहेगी; और

(ग) कोयला क्षेत्रों से बहुत दूरी पर स्थित उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों को सस्ती दर पर पर्याप्त कोयला देकर कहां तक दूर किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : 1 जनवरी, 1966 से भाड़े में छूट को समाप्त कर दिया गया है। देशीय कच्चे तेल से पूर्णतया तैयार किये गये और बिजली तैयार करने की जिवनोपयोगी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए फरनेस तेल के प्रेषण पर उक्त छूट को 1 जनवरी, 1966 से एक साल की अवधि के लिए जारी रखा जायेगा। इसके पश्चात् स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ग) विभिन्न उपभोक्ताओं की चुने ग्रेड कोयले के सिवाय, जिसका मुख्य स्त्रोत बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्र है, शेष कोयला-आवश्यकताओं को निकटतम कोयला क्षेत्र से पूरा किया जाता है। उपभोक्ताओं को, जो पश्चिम एवं दक्षिण भारत में रहते हैं और बंगाल/बिहार से कोयला प्राप्त करते हैं, रेल तथा समुद्री मार्ग द्वारा कोयला ले जाने की अनुमति है। ऐसे

रेल तथा समुद्री परिवहन पर, जो सारे रेल मार्ग के भाड़े और वास्तविक भाड़े के बीच अन्तर के लगभग बराबर होता है, एक उपदान दिया जाता है। इस समय सारे उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त सप्लाई की जाती है।

टेलीप्रिन्टर मशीन

2200. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'अलिवेटी' टेलीप्रिन्टर मशीनें लगाने के पश्चात से मशीनों में गड़-बड़ी के कारण कार्य के बहुत से जन-घंटे नष्ट हो जाते हैं ;

(ख) क्या इन मशीनों को चलाने वाले कर्मचारियों ने इस बारे में जबरदस्त शिकायतें की हैं कि अक्सर मोटर ठीक न रहने के अतिरिक्त इन मशीनों के 'की-बोर्ड' बहुत कड़े हैं और 'रिबन' तथा 'टेप' की व्यवस्था गलत ढंग की होने के कारण ये मशीनें बहुदा खराब रहती हैं और क्या पश्चिम बंगाल सर्किल ने इन मशीनों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है जो इन मशीनों के काम की जांच करेगी और इस समिति द्वारा बताई गई बातों के अनुसार उचित कार्यवाही करेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन मुद्दों पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। फिर भी बाद में इनकी जांच करने पर ऐसा पता चला है कि :

(i) हिन्दुस्थान टेलीप्रिन्टर का 'की-बोर्ड' उतना ही कड़ा है जितना कि उसी गति से चलने वाली अन्य मशीनों का होता है।

(ii) रिबन तथा टेप सम्बन्धी कठिनाइयां रिबनों तथा टेपों की स्वदेशी सप्लाई के कारण होती है।

पश्चिमी बंगाल परिमण्डल के प्रचालकों में से ऐसे किसी भी प्रचालक का पता नहीं लगा है जिसने हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टरों पर काम करने से इन्कार कर दिया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली के केन्द्रीय तार घर से संदेशों का भेजा जाना

2201. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अगस्त, 1965 से 23 सितम्बर, 1965 की अवधि के बीच के आपातकाल में केन्द्रीय तारघर तब की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाया और उसे विभिन्न स्थानों को भेजे गये संदेश डाक द्वारा भेजने पड़े ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अत्यावश्यक संदेशों को भेजने में भी घंटों का विलंब हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। हालांकि पंजाब क्षेत्र के कुछ स्थानों में परियात की मात्रा औसत सामान्य मात्रा से 500 प्रतिशत से अधिक हो गई थी, फिर भी डाक द्वारा भेजे गए तारों की संख्या कुल संख्या के 6 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं हुई। तार परिपथों में गड़बड़ियां हो जाने के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से डाक से भेजे जाने वाले तारों की संख्या भी उक्त संख्या में शामिल है।

(ख) जी नहीं। लाइन में गड़बड़ी हो जाने के कारण केवल एक तार के निपटान में 14 घंटे की देरी और 32 अन्य तारों में 3 से 9 घंटे तक की देरी हुई। इस अवधि में निपटाये गए कुल 2,906 अति तात्कालिक और तात्कालिक तारों में से 60 प्रतिशत तार 30 मिनटों में, 26 प्रतिशत तार 30 से 60 मिनटों में, 11 प्रतिशत तार एक से दो घंटे के भीतर तथा 2 प्रतिशत तार दो से तीन घंटों के भीतर अन्तिम रूप से निपटा दिये गये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपग्रहों की गतिविधियों सम्बन्धी संदेश

2202. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों की गतिविधि के संबंध में वाशिंगटन से नई दिल्ली को प्रसारित किये जाने वाले संदेश वाशिंगटन से हर समय अविलंब प्राप्त होते रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त संदेशों को नैनीताल वेधशाला पहुंचने में घंटों लगते हैं और कुछ संदेशों को तार द्वारा भेजने के बजाय टेलीफोन द्वारा भेजने में सैकड़ों रुपये खर्च होते हैं ;

(ग) क्या सरकार को कुछ कर्मचारियों द्वारा ऐसे संदेश शीघ्र भेज सकने के बारे में कुछ महीनों पहले कुछ सुझाव दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो दक्षता का उच्च स्तर बनाये रखने के लिये तथा इस मामले में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष (अ० शा० सू० व०) के लिए भारतीय राष्ट्रिय समिति के सचिव ने बताया है कि यद्यपि उपग्रहों की प्रकाशकीय खोज का कार्यक्रम भारतीय अ० शा० सू० व० कार्यक्रम का एक भाग है, उपग्रह संबंधी संदेशों के विनिमय के वास्तविक प्रबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल और स्मिथसोनिअन वेधशाला, अमरीका द्वारा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल के निदेशक ने बताया है कि उस वेधशाला में उपग्रहों की गतिविधियों के संबंध में वाशिंगटन से कोई संदेश प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी, उन्होंने लिखा है कि नैनीताल के ऊपर से गुजरने वाले कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों के रास्तों के बारे में सूचना से संबंधित संदेश कैम्ब्रिज (मास), अमरीका से उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला में नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं और इन सन्देशों में से 99 प्रतिशत बिना विलम्ब के और ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि लम्बे मार्ग के टेलीफोन से संदेश भेजना कभी आवश्यक नहीं हुआ है और इस प्रयोजन के लिए वेधशाला द्वारा कभी कोई राशि खर्च नहीं की गई।

कम आय वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2203. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम आय वाले कर्मचारियों को जिन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है अपने काम के स्थानों के निकट ही क्वार्टर दिये जायेंगे ;

(ख) क्या वास्तव में सरकार इन कर्मचारियों को मीलों दूर क्वार्टर देती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी कर्मचारियों को उनकी बारी आने पर तथा जहां कहीं क्वार्टर उपलब्ध होते हैं क्वार्टर दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीप्रिन्टरों का निर्माण

2204. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीप्रिंटरों के अभाव को दूर करने के लिये क्या सरकार को एक जर्मन फर्म से भारत में इनके निर्माण के लिये कारखाने स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव मिला है, जो यहां अपनी किस्म के टेलीप्रिंटर तैयार करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानें

2205. **श्री दाजी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुख्य निरीक्षक के दिनांक 12 मार्च, 1962 के परिपत्र संख्या 1962 के 2, को देश में सब कोयला खानों के व्यवस्थापकों ने कार्यान्वित किया है, जिसके अनुसार कोयला खानों में भूमि के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित बिजली के लैम्पों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कोयला खानों ने उसे कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लगभग सभी गैसयुक्त खानों और बिना गैस की बहुत सी खानों ने अनुमोदित बिजली के लैम्पों की व्यवस्था कर दी है। इस प्रकार भूमि के नीचे काम करने वाले लगभग 2.75 लाख श्रमिकों में से 2 लाख से अधिक श्रमिकों को बिजली के लैम्प दे दिए गए हैं।

(ख) 684 कोयला खानों में से, जिन्हें बिजली के लैम्पों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, 224 कोयला खानों ने मुख्यत: देश में सप्लाई की कमी के कारण बिजली के लैम्पों की व्यवस्था नहीं की है। आशा की जाती है कि चालू वर्ष के अन्त तक भूमि के नीचे काम करने वाले सभी श्रमिकों को बिजली के लैम्प दे दिए जाएंगे।

Activities of Pak Agents in Kashmir

2206. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yashpal Singh :
Shri Bade : Shri Basumatari :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pak. agents have again become active in Jammu and Kashmir; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). There is no evidence to suggest that the Pakistani agents have again become active in Jammu and Kashmir. Adequate vigilance is however being exercised.

आसाम-नागालैंड सीमा

2207. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और नागालैंड के बीच सीमा-निर्धारण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) अभी भी कितनी सीमा निर्धारित करनी शेष है ;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम के शिवसागर डिवीज़न में डिल्ली-रिजर्व और चराईपुंग नामक दो क्षेत्रों पर नागाओं ने दावा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो विवाद को किस तरह निपटाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख) : नागालैण्ड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप नागालैण्ड में नागा पहाड़ी जिल्हा तथा असम में शिवसागर, लखीमपुर व संयुक्त मिकिर तथा उत्तर काचार पहाड़ी ज़िलों के बीच की सीमा अन्तर्राज्य सीमा हो गई थी। इस क्षेत्र में सुनिश्चित सीमा के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के बीच कुछ विवाद हुआ है। 2 अप्रैल, 1963 को आसाम और नागालैण्ड के मुख्य सचिवों ने इस मामले पर विचार किया था। तब यह तय हुआ था, कि भारतीय भूमापन (कार्यालय) द्वारा सीमा निर्धारित किये जाने तक दोनों राज्य अनन्तिम सीमा निश्चित कर लें। इस क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की समस्याओं के कारण इस सम्बन्ध में कोई प्राप्ति नहीं हो सकी है।

(ग) नेफ़ा में रुस्सा ग्राम के निवासियों ने आसम के शिवसागर ज़िले में चराईपुंग तथा डिल्ली-रिज़र्व में झूमिंग तथा अन्य अधिकार मांगे हैं।

(घ) आसाम की सरकार तथा नेफ़ा प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहें हैं।

Police Officers on Deputation to the Government of India

2208. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police Officers of the same category who are on deputation to the Government of India from various States are paid at different scales;

(b) whether they are also paid dearness allowance not at the rates prevalent in Delhi but at the rates prevalent in their respective States; and

(c) If so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : (a) to (c). Police Officers who retain their own State pay scales draw dearness allowance at the rates prevailing in their parent States while those who draw pay in the Central scales get dearness allowance at the Central rates.

पाकिस्तानी जासूस

2209. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में पाकिस्तानी जासूस भारत में आते रहे;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये; और

(ग) क्या इन जासूसों को आश्रय देने वाले कोई भारतीय नागरिक भी गिरफ्तार किये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिसम्बर, 1965 के दौरान या उसके पश्चात भारत में आये पाकिस्तानी जासूसों के कोई मामले ध्यान में नहीं आये हैं।

(ख) तथा (ग) : इस अवधि में दो पाकिस्तानी तथा चार भारतीय पकड़े गये थे। पाकिस्तानी दिसम्बर, 1965 से पूर्व ही भारत में प्रविष्ट हो चुके थे। पकड़े गये भारतीयों में से एक ने यह स्वीकार कर लिया है, कि उसने एक पाकिस्तानी जासूस को संरक्षण दिया था।

इंजीनियर आदि का विदेशों में चला जाना

2210. श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों का विदेशों में चला जाना अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समस्या बहुत गंभीर है; और

(ग) क्या सरकार का इसको रोकने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : विदेशों में लगभग स्थायी निवास के लिये जाने वाले इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। यदि वैज्ञानिकों के समुच्चय में विदेशों से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या की सामान्यत:

बढ़ोतरी को द्योतक रूप में मान लिया जाय तो परीमाण रूप में ऐसे डाक्टरों, इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की संख्या असाधारण नहीं मालूम होती जो कि अध्ययन/नियुक्ति-तथा अध्ययन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारत वापिस नहीं आते। सरकार योग्यता प्राप्त भारतीयों के भारत में वापिस आने को सरल बनाने की आवश्यकता से भिन्न हैं, तथा इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

उर्वरकों का उत्पादन

2211. **श्री लिंग रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में देशी कच्चे माल से उर्वरक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस कार्य में कहां तक सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : अमोनिया/नाइट्रोजनी उर्वरकों के लिए कोयला, कोकभट्टी गैस, प्राकृतिक गैस, शोधनशाला गैस और पैट्रोलियम नेफ्था कच्चा माल है और ये सब पदार्थ देशीय है। कुछ उत्पादन विद्युत्-शक्ति पर आधारित है ; जो भी देशीय है। अत : देश में उपलब्ध कच्चे माल से नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन किया जा सकता है और पूर्ण रूप से किया जाता है।

जहां तक फासफेटिक उर्वरकों का सम्बन्ध है, उनके लिए गंधक और चट्टान फासफेट महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये दोनों पदार्थ आयातित हैं देश में तात्विक गंधक या चट्टान फासफेट के कोई स्त्रोत नहीं हैं और सारी मांग आयातों से पूरी की जाती है। गंधकीय अम्ल के उत्पादन के लिए लोहा पाइराइटस, तांबा पाइराइटस और जस्ता/सीसा पाइराइटस जैसे कुछ गंधक युक्त खनिजों के उपयोग के लिए यत्न किये जा रहे हैं।

चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट

2212. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट द्वारा नवम्बर, 1965 तक कोई पुस्तक प्रकाशित न किये जाने के बारे में जांच कर ली है।

(ख) क्या पुस्तकालय तथा फर्नीचर के लिये दिया गया अनुदान तथा दान उन्हीं वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है जिनके लिये वह विशिष्ट रूप से दिया गया था ;

(ग) क्या किसी ट्रस्टी ने हाल ही में ट्रस्ट से त्यागपत्र दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डॉ० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। क्यों कि न्यास एक स्वतंत्र स्वैच्छिक संगठन है और इसके प्रकाशन कार्यक्रम पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/उपदान उसी प्रयोजन के लिए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके लिए ये दिए गए थे।

(ग) ऐसा पता लगा है कि 1959-60 के करीब एक ट्रस्टी ने इस्तीफा दिया था। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसके बाद किसी अन्य ट्रस्टी ने इस्तीफा दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काजी नजरूल इस्लाम को पेंशन

2213. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काज़ी नज़रूल इस्लाम के लड़के काज़ी सव्यसाची ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाये क्योंकि पाकिस्तान ने पेंशन देनी बन्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

भगत सिंह का स्मारक

2214. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भगत सिंह का स्मारक बनाने के लिये अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने की मांग की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : भगत सिंह का स्मारक बनाने के लिये आर्थिक सहायता के हेतु पंजाब की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग नहीं की है। राज्यों में स्मारकों का व्यय साधारणतः पुरोनिधानकर्ता अथवा स्वयं राज्य सरकारें वहन करती हैं।

दिल्ली ताशकंद रेडियो टेलीफोन सेवा

2215. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकंद में 3 जनवरी, 1966 और इसके पश्चात् दोनों देशों के राज्याध्यक्षों के बीच जब वार्ता हो रही थी तो दिल्ली और ताशकंद के बीच एक विशेष रेडिओ टेलीफोन और दूरसंचार सेवा स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस वार्ता के पश्चात् इस सेवा को बन्द कर दिया गया था; और

(ग) इस सेवा के स्थापित करने पर कितना खर्च हुआ था ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) ये सेवायें 15 जनवरी, 1966 को बंद कर दी गई।

(ग) ये सेवायें मौजूदा उपस्करों को ही इस कार्य में लगाकर स्थापित की गई थीं अत: इस खाते कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

Co-operative House-Building Societies in Delhi

2216. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of the Co-operative House-building Societies in Delhi, who have been earmarked for allotment of land in the near future; and

(b) when the land is likely to be allotted to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 92 as shown in the list attached. **[Placed in library See. No. L.T. 5792/66,]**

(b) The land will be allotted to these co-operative House-building societies after they have deposited the full amount of premium and completed other formalities.

Swatantra Bharat Mills, Delhi

2217. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 3rd February, 1966, the condition of 40 workers of Swatantra Bharat Mills, Delhi became grave because of poisonous gas;

(b) if so, whether the mill-owners deliberately released this gas on account of the strike of workers;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action taken by Government in this regard; and

(d) if reply to part (b) above be in the negative, the origin of the poisonous gas?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) Investigation by Factory Inspectors do not support such an allegation.

(c) and (d). The matter was investigated by a team of Factory Inspectors but they have not been able to locate the source of trouble so far.

Stolen Goods Recovered from Motia Khan, New Delhi

2218. Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the quantum of stolen goods recovered from Motia Khan shops in New Delhi during the year 1965; and

(b) the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b). No stolen goods were recovered during 1965 from Motia Khan shops of New Delhi.

न्याय-व्यवस्था

2219. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1965 को जयपुर में भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त किये गये मत की ओर दिलाया गया है कि न्याय-व्यवस्था में, मुकदमेबाजी पर खर्च, न्याय में देरी और निर्णय के बारे में अनिश्चितता ये तीन मुख्य बाधायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो न्याय-व्यवस्था में इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने वक्तव्य की प्रेस रिपोर्टें देख ली है।

(ख) न्याय प्रशासन के सुधार के लिये विधि आयोग द्वारा की गई विस्तृत सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में लाई जा चुकी है जिनपर की न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

दुर्गापुर उर्वरक परियोजना

2220. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के उत्पादन-स्वरूप को बहुप्रयोजनीय से बदल कर केवल यूरिया किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे परियोजना के प्राक्कलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) अमझोर से पाइराइटस की सप्लाई और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण चट्टान फास्फेट के आयातों से सम्बन्धित असम्भाव्यताओं से बचते हुए ; परियोजना की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए तबदीली की गई है।

(ग) अब परियोजना पर 28.08 करोड़ रूपये लागत लगने का अनुमान है ; जिसमें विदेशी मुद्रा अंश 10.01 करोड़ रुपये होगा जबकि पूर्व अनुमानित लागत एवं विदेशी मुद्रा अंश क्रमशः 38.76 करोड़ रूपये तथा 16.32 करोड़ रूपये था।

पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध जांच

2221. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध जांच के बारे में सरकार इस बीच किसी अन्तिम निर्णय पर पहुच चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो, कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : मामला अभी विचाराधीन है, तथा इसमें कुछ और समय लगने की सम्भावना है ।

पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित कुछ व्यक्तियों के मकानों की तलाशी

2222. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित कुछ व्यक्तियों के मकानों की तलाशी के बारे में 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखों की जांच पड़ताल का कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रांबे उर्वरक कारखाना

2223. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के बारे में 24 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में अनुमानत : कितनी वृद्धि होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति

2224. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई योजना आरम्भ की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रमों को इस तरह तय किया है जिससे काम चाहने वालों के लिए, जिनमें शिक्षित लोग भी शामिल है, कामकाज के ज्यादा अवसर मिल सकें । किसी भी राज्य की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष योजना नहीं है ।

तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी ऋण

2225. श्री यशपाल सिंह :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी संस्थाओं की अमरीका में निर्मित साज-सामान की प्राप्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अमरीकी सरकार से ऋण के सम्बन्ध में चल रही बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : बातचीत अभी जारी है।

जम्मू तथा काश्मीर को सहायता

2226. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री विश्वनाथ राय :

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप राज्य की काफी अस्त-व्यस्त हुई अर्थ व्यवस्था को फिर से स्थिर करने के लिए जम्मू तथा काश्मीर राज्य को केन्द्रीय सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं की खरीद के लिये 30 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है ; 2 लाख रु० की राशि काश्मीर कला की प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये मंजूर की गई है।

बारामूला आग के पीड़ित दुकानदारों, हस्तशिल्पों की सहकार समितियों तथा गृह नौकाओं के मालिकों को अनुदान और ऋण देने के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार को 11.35 लाख रु० की राशि दी गई है।

अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

2227. श्री बालकृष्णन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिसम्बर, 1965 के महीने में मदुरै डिवीजन में बहुत से डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 10 पैसे वाले अन्तर्देशीय पत्रों की कमी थी किन्तु इम्बोस किये हुए लिफाफों की कोई कमी नहीं थी।

(ख) यह कमी डाक-टिकट नियन्त्रक, नासिक द्वारा मदुरै खज़ाने की पूरी मांग की पूर्ति न कर सकने के कारण हुई।

भेषज उद्योग

2228. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से अब तक भारत में भेषज उद्योग में, मुख्यत : इस के वार्षिक उत्पादन के सम्बन्ध में, कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विदेशी स्वामित्व वाली भेषज औषधि फर्मों ने अपने पूंजी ढांचें में भारतीय जनता द्वारा पूंजी लगाया जाना स्वीकार कर लिया था; और

(ग) औषधि निर्माण के लिये आयात किये जाने वाले कच्चे माल तथा थोक उत्पादों की तुलना में भारतीय औषधियों का प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) भेषज उद्योग का वार्षिक उत्पादन,जो 1948 में लगभग 11 करोड़ रुपये था, 1965 में लगभग 150 करोड़ रूपये तक बढ़ गया। देश में तयार किये गये उत्पादों में भेषज पदार्थों की विस्तृत एवं महत्वपूर्ण किस्में शामिल हैं।

(ख) भारत में विदेशी स्वामित्व वाली भेषज औषधि फर्मों में से अधिकांश ने अपने पूंजी ढांचें में भारतीय साझेदारी को स्वीकार किया है। भारतीय भेषज-औषधि संस्था के हाल ही के सम्मेलन में विदेशी भेषज कम्पनियों को भारतीय साझेदारी को शामिल करने के लिए एक प्रार्थना भी की है।

(ग) पिछले पाच सालों के आयात और निर्यात के आकड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आयात किये जाने वाले कच्चे माल और थोक उत्पाद	निर्यात
	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये
1961–62	11.30	0.98
1962–63 . . .	9.28	1.07
1963–64 . . .	8.64	1.05
1664–65 . .	8.27	2.11

पंजाब में बेरोजगार महिलाएं

2229. **श्री दलजीत सिंह :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक स्नातक तथा अस्नातक कितनी महिला उम्मीदवारों के नाम पंजाब के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितनी महिलाओं को दिसम्बर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम):(क) और (ख) :

उम्मीदवारोंकी श्रेणी	1965 के दौरान अपना नाम, दर्ज कराने वालों की संख्या	1965 के दौरान रोजगार कार्यालय की सहायता से नियुक्ति सहायता पाने वाले
स्नातक (जिसमें) स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले भी शामिल है) .	3,030	1,273
मैट्रिक पास (जिसमें हायर सेकण्डरी और इन्टरमीडिएट तक की योग्यता रखने वाले शामिल है) . . .	12,909	4,326
मैट्रिक से कम पढ़े लिखे	20,771	2,893
कुल .	36,710	8,492

पंजाब में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति

2230. श्री दलजीत सिंह : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक पंजाब के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उन में से कितने लोगों को दिसम्बर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) 31 दिसम्बर, 1965 को पंजाब के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 11,618 उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे।

(ख) सन् 1965 के दौरान 6,014 उम्मीदवारों को नियुक्ति सहायता दी गई।

दिल्ली में दूसरी राज भाषा के रूप में पंजाबी भाषा

2231. श्री दलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17, नवम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राजनतिक दलों की प्रार्थना पर पंजाबी भाषा को दिल्ली की दूसरी राज भाषा के रूप में स्वीकार करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, कि इस मामले पर कोई निदेश जारी करने के लिये राष्ट्रपति को सलाह देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लन्दन में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

2232. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलक स्मारक न्यास के प्रधान, लार्ड फेन्नर ब्राकवे की इस प्रार्थना को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कि लन्दन स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को नैतिक तथा आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के सांस्कृतिक केन्द्र की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब वह भारत के प्रधान मंत्री थे, इस प्रायोजना के लिए नैतिक समर्थन हेतु लार्ड ब्राकवे को आश्वासन दिया था। वित्तीय सहायता के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा था, किन्तु अगस्त-सितम्बर 1965 में हुई घटनाओं के कारण यह विचार त्याग दिया गया।

(ख) आमतौर से केन्द्र का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना होगा किन्तु प्रायोजना के ब्यौरो को अभी निश्चित रूप नहीं दिया गया है।

Wages of Workers in Textile Mills in Madhya Pradesh

2233. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a cut of 30 per cent in wages of workers has been exercised in the cotton textile mills in Indore and Ujjain (Madhya Pradesh) on account of their unsatisfactory financial condition;

(b) whether it is also a fact that even after the cut, the workers are not paid their wages in time; and

(c) If so, whether the Central Government have issued any orders to the State Government in this regard?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). The matter falls in the State sphere, but it has been ascertained that the answers to these questions are in the negative.

(c) Does not arise.

औद्योगिक विवाद

2234. **श्रीमती विमला देवी :**

श्री दाजी :

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास कितने औद्योगिक विवाद अनिर्णित पड़े हैं ; और

(ख) वहां इतने अधिक मामले जमा हो जाने के क्या कारण है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 31-1-1966 को 443.

(ख) (i) प्राप्त मामलों की अधिकाश संख्या ;

(ii) सुनवाई के स्थगन के लिए यूनियनों और प्रबन्धकों की प्रार्थनाएं ; और

(iii) प्रधान अधिष्ठाता की बीमारी। (वह 4-9-65 से 6-11-65 तक छुट्टी पर थे)।

कलकत्ता में औद्योगिक न्यायाधिकरण

2235. श्री दाजी : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार का औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण स्थापित करने में विलंब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) कदम उठाए जा रहे हैं।

खान अधिनियम का उल्लंघन

2236. श्री दाजी : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून से 31 दिसम्बर, 1965 तक खान अधिनियम, विनियमन तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन किये जाने पर कितनी कोयला खानों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गयें ;

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में मुकदमा चलाने के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 61 ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा के मेज़ पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 5793/66]**

Aid From Children Fund U. K.

2237. Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Save The Children Fund of Britain has provided sterling assistance for granting relief to the children displaced as a result of the recent Indo-Pak conflict; and

(b) if so, the amount thereof?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes Sir.

(b) The assistance which is in kind will be of the value of £3,000.

गैर-सरकारी उद्योगों में बोनस का भुगतान

2238. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी० दास :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुर्नवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी गैर-सरकारी औद्योगिक तथा व्यावसायिक फर्मों ने अब तक बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार कर्मचारियों को बोनस दिया है;

(ख) बोनस देने से गैर-सरकारी फर्मों में काम करने वाले कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है;

(ग) गैर-सरकारी फर्मों के श्रमिकों और कर्मचारियों को बोनस के रूप में कितनी राशि मिली है;

(घ) लगभग कितनी गैर-सरकारी फर्मों ने बोनस अधिनियम के नये उपबंधों के अनुसार अभी तक बोनस का भुगतान नहीं किया है; और

(ङ) गैर-सरकारी फर्मों में काम करने वाले उन श्रमिकों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक बोनस नहीं दिया गया?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) से (ङ) : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इस अधिनियम के लिए दोनों केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उचित सरकारें है। मांगें गये आंकड़े सरकारों द्वारा एकत्र नहीं किये जाते; अतः वे उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।

Assessment of Oil Position

2239. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether Government have taken an account of their oil stock and supply after the Indo-Pakistan conflict with a view to assess the oil position in the event of a fresh attack by China and Pakistan; and

(b) If so, Government's assessment of the position?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) & (b). The P. O. L. stocks in the country are kept under constant review and, consistent with foreign exchange availability, adequate stocks of various petroleum oil products are maintained to meet the country's requirements. It is not in the public interest to disclose the figures of stocks of various petroleum oil products.

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

2240. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर खर्च बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने खर्चे को यथा-संभव कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सन् 1965 के पिछले अर्धभाग के दौरान मंत्रियों के विदेशी दौरों पर खर्चे में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) : विदेशी दौरों पर मंत्री केवल तभी जाते हैं, जब कि यह अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व या व्यापारिक, आर्थिक सहयोग आदि पर महत्वपूर्ण बातचीत के संबंध में राष्ट्र के हित में नितान्त आवश्यक होता है। अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मंत्री अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिये यह आवश्यक होता है, कि भारत के प्रतिनिधि भी उसी स्तर के हों।

उड़ीसा में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति

2241. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उड़ीसा में पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उड़ीसा के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में (मैट्रिक या इससे अधिक) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 31 दिसम्बर, 1965 को 15,576 थी।

(ख) इनमें से 383 व्यक्ति अनुसूचित जातियों और 275 अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार थे।

उड़ीसा में रिक्त पदों का अधिसूचित किया जाना और भरा जाना

2242. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उड़ीसा के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा उन संस्थाओं में कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : 1965 के दौरान उड़ीसा के रोजगार कार्यालयों को सूचित और उक्त कार्यालयों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए रिक्त स्थानों से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	सूचित रिक्त स्थान	रोजगार कार्यालयों की सहायता से भरे गए रिक्त स्थान
सरकारी क्षेत्र .	34,734	18,164
निजी क्षेत्र .	4,213	2,145
कुल .	38,947	20,309

राजस्थान में कनिष्ठ तकनीकी स्कूल

2243. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में राजस्थान में कोई कनिष्ठ तकनीकी स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के जिला गजेटियर

2244. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में जिला गजेटियरों के संकलन तथा मुद्रण के लिए राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उक्त राज्य को इस कार्य के लिए कितनी धनराशि देने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जिला गजेटियरों के संकलन और मुद्रण के लिए राजस्थान सरकार को 1965-66 के दौरान एक गजेटियर के संकलन के लिए 6,000 रु० तथा एक अन्य गजेटियर के मुद्रण के लिए 3,428 रु० 25 पै० का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था।

(ख) 1966-67 के दौरान राजस्थान सरकार को जिला गजेटियरों के संकलन और मद्रण पर राज्य द्वारा किए गए खर्च का 40 प्रतिशत केन्द्रीय सहायक-अनुदान के रूप में दिया जाएगा। प्रत्येक खण्ड के संकलन के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 6,000 रुपये है।

राजस्थान में स्कू ों तथा कालेजों में श्रोतृशालायें

2245. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कपा करेग कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राजस्थान के विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में श्रोतृशालाओं के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अब तक कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सांस्कृतिक केन्द्र

2246. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को राज्य में सांस्कृतिक केन्द्र बनाने के लिये 1965–66 में अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को सहायता

2247. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में अब तक समाज शिक्षा संबंधी साहित्य तथा नव-साक्षरों हेतु साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : इस अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है।

उड़ीसा में संस्कृत का विकास

2248. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्वयंसेवक संस्थाओं को राज्य में संस्कृत का विकास करने के लिये 1965–66 में अब तक केन्द्र द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में किन किन संस्थाओं को ये अनुदान दिये गये ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : 'मनोरमा' नामक संस्कृत पत्रिका को 3,000 रुपये का अनुदान दिया गया है।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

2249. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस संस्थान (पुरी शाखा) ने वर्ष 1965–66 में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उक्त अवधि में कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) सन् 1965 तथा जनवरी, 1966 के दौरान विशेष पुलिस संस्थान की पुरी (अब भुवनेश्वर) शाखा ने राज्य सरकार के दो कर्मचारियों तथा उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के 52 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की।

(ख) राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये दो मामलों में से एक में जांच पूरी हो चुकी है, तथा एक अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये 5 मामलों में से 19 (मामलों) में जांच पूरी हो चुकी है, तथा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये सम्बंधित विभागों को भेजी गई रिपोर्टें	15
(ii) यथोचित कार्यवाही के लिये विभागों को भेजी गई रिपोर्टें	2
(iii) मुक़दमें के लिये न्यायालय को भेजे गये मामले	2

तारबाबुओं के वेतनक्रम

2250. **श्री गुलशन :**

श्री बूटा सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार विभाग के तारबाबुओं के वेतनक्रमों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) क्या इस बारे में निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

2251. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बचत अभियान के कारण सारे देश में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की अग्रेतर प्रगति रुक गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इस से देश की शिक्षा संबंधी योजनाओं को कितनी हानि होगी; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : अपर्याप्त साधनों और कठिनाइयों के बावजूद, शिक्षा विस्तार की गति को सारे देश में कायम रखा जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी स्तरों पर दाखिला लक्ष्य से ज्यादा होगा।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान प्राथमिक स्तर पर लगभग 270 लाख अतिरिक्त विद्यार्थियों और सकेंडरी स्तर पर लगभग 38 लाख अतिरिक्त विद्यार्थियों के दाखिले के लिए व्यवस्था की जा रही है। सभी स्तरों पर लड़कियों के दाखिले को बढ़ावा देने की विशेष योजनाओं के लिये भी व्यवस्था की जा रही है। कोटि में सुधार के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इन्हें और आगे विकसित किया जाएगा।

भू-भौतिक वर्ष

2252. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने क्या-क्या कार्य किये हैं;

(ख) क्या उक्त कार्य के मूल्यांकन सहित उसका विस्तृत प्रतिवेदन तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों के नाम तथा पदों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए निरीक्षणों संबंधी सूचना निम्नलिखित प्रकाशनों में दी हुई है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं :—

(1) "अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष 1957–58 और अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी सहयोग, 1959" पर अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट।

(2) आयनमण्डलीय आंकड़े जुलाई 1957– दिसम्बर, 1959।

(3) अ० भू० वर्ष परिसंवाद की कार्यवाहियां—खण्ड I & II

(4) भारतीय स्टेशनों के लिए अ० भू० वर्ष तथा अ० भू० सहयोग के आंकड़े खण्ड III भाग 4 आयन मण्डल वास्तविक ऊंचाई के पार्श्वचित्र।

(5) भारतीय स्टेशनों के लिए अ० भू० वर्ष तथा अ० भू० सहयोग के आंकड़े खण्ड III भाग 3 आयनमण्डल अवशोषण और अपसरण।

(6) भारतीय स्टेशनों के लिए अ० भू० वर्ष और अ० भू० सहयोग खण्ड III, भाग 2, आयनमण्डल एस प्लाटस।

(7) कोडैकनाल वेधशाला बूलेटिन संख्या CLVI सौर तथा भू-भौतिकी आंकड़े।

(8) कोडैकनाल वेधशाला बूलेटिन संख्या CLVII, सौर तथा भू-भौतिकी आंकड़े।

(9) कोडैकनाल वेधशाला बूलेटिन संख्या CLVIII, सौर तथा भू-भौतिकी आंकड़े।

(10) कोडैकनाल वेधशाला बूलेटिन संख्या CLIX, सौर तथा भूभौतिकी आंकड़े।

(11) अलीबाग, अन्नामलैनगर और त्रिवेन्द्रम (1957–58) में किए गए चुम्बकीय निरीक्षण।

अन्य देशों (भारत के आस-पास के देशों सहित) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए निरीक्षणों से संबंधित सूचना अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष की इतिवृत्तों के विभिन्न खण्डों में दी गई है, जिनकी प्रतियां अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के सचिव से मिल सकती हैं।

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति

2253. **श्री सरजू पाण्डेय :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में कोयला खनन संबंधी औद्योगिक समिति की कोई बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) जब कभी विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण विषय हों तब अन्य औद्योगिक समितियों की तरह कोयला खान औद्योगिक समिति की बैठक बुलाई जाती है।

खास चलबलपुर और डिगलू कोयला खानें

2254. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खास चलबलपुर और डिगलू कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के दो पंचाटों को कार्यान्वित न किये जाने के बारे में भारतीय खान श्रमिक संघ के महा-सचिव से दिनांक 17 जून, 1965 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को रिपोर्ट मिली है कि डिगलू कोयला खान की मैनेजमेंट ने पंचाट लागू कर दिया है।

जहां तक खास चलबलपुर कोयला खान का सम्बन्ध है, सरकार ने मालिक के खिलाफ पंचाट लागू न करने के कारण उचित कानूनी कार्यवाही करने का फैसला किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की आर्थिक स्थिति

2255. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री लाटन चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ पुराने कालेज वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की है कि वह उन के बजट में हुई कमी को पुरा करने के लिये अनुदान में तुरन्त वृद्धि करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों ने विश्वविद्यालय के पास इस संबंध में प्रतिवेदन भेजा है कि उनका वार्षिक घाटा बढ़ रहा है और सहायक अनुदान के आधार में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को वित्तीय सहायता की प्रणाली में संशोधन किया जाए।

(ख) आयोग मामले पर विचार कर रहा है।

दिल्ली चण्डीगढ़ टेलीफोन सेवा

2256. श्री दे० द० पुरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिली और चण्डीगढ़ के बीच टेलीफोन व्यवस्था में बार बार अव्यवस्था पैदा हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस टेलीफोन सेवा में कितनी बार अव्यवस्था पैदा हो जाने का पता चला है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) माननीय सदस्य की यह धारणा कि दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच टेलीफोन सेवा अक्सर खराब रहती है, ठीक नहीं है। इस सेवा में कुछ गड़बड़ियां अवश्य थीं, लेकिन वे मामूली किस्म की ही थीं ।

(ख) सेवा को अधिक विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से फिलहाल अम्बाला और चण्डीगढ़ के बीच सूक्ष्मतरंग रेडियो प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली के चालू होने पर नई दिल्ली और चण्डीगढ़ के मध्य मौजूदा भूगर्भ सहधुरीय केबल प्रणाली पर ही अम्बाला होकर 24 टेलीफोन परिपथों की व्यवस्था हो जाएगी।

(ग) गड़बड़ियों की निश्चित संख्या तथा प्रत्येक गड़बड़ी अवधि से सम्बन्धित आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी जनवरी, 1966 के अन्त तक औसतन 89 प्रतिशत परिपथ उपलब्ध रहे जिसे संतोषजनक समझा गया है।

महिला मजदूरों की स्थिति

2257. श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी महिलाओं द्वारा अनुभव की जा रही समस्या की ओर विशेष ध्यान देने के लिए "महिला मजदूरों के संरक्षण तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय परिषद" बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है जैसा कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद बनाने के मामले में किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो महिला मजदूरों और दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं की विशेष समस्या को सरकार कौन से अन्य तरीके से हल करने का विचार कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में विशेष व्यवस्था है। जहां तक दफ़तरों में काम करने वाली महिलाओं का प्रश्न है, सरकार के ध्यान में कोई विशेष समस्याएं नहीं आई हैं। परन्तु इस प्रकार के महिला श्रमिकों के लिए होस्टल सुविधाएं देने या उनके विस्तार के लिए केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं।

बांदा में हथियारों का निर्माण

2258. श्री बसुमतारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांदा के निकट अवैध हथियार बनाने वाले एक अड्डे का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में अन्य किसी ऐसे अड्डे का पता लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार निम्नलिखित ढंग से पहले से ही उपर्युक्त सतर्कता बरत रही हैं :—

(i) आयुध अधिनियम तथा नियमों को कड़े रूप से लागू करना ;

(ii) आयुध तथा अग्न्यस्त्रों के गैरकानूनी रूप से बनाने के मामलों पर मुकदमा चलाकर ;

(iii) आयुध तथा अग्न्यस्त्र सम्बन्धी अपराधों की गुप्त सूचना इकट्ठी करके।

देहरादून में छिद्रण-कार्य (ड्रिलिंग)

2259. श्री दे० द० पुरी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में प्रायोगिक छिद्रण-कार्य (ड्रिलिंग) करने का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में प्रायोगिक छिद्रण-कार्य जारी रखने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) देहरादून क्षेत्र में केवल एक गहरे कुएं का व्यधन किया गया ; जिसने तेल या गैस की विद्यमानता को सूचित नहीं किया।

(ख) जी नहीं।

कारों की चोरियां

2260. श्री श्यामलाल सर्राफ :

श्री धर्म लिंगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य बड़े बड़े नगरों से कारों की चोरियों के समाचार मिल रहे हैं ;

(ख) क्या इस अपराध को समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस ने सिफारिश की है कि कार निर्माताओं के लिये दरवाज़ों के तालों तथा दाग तालों की अलग अलग चाबियां बनाना न कि दोनों के लिये एक ही चाबी बनाना, अनिवार्य कर दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु कारों में चोरी विरोधक साधन उपलब्ध करने के प्रश्न पर उद्योग मंत्रालय कार-निर्माताओं के साथ विचार कर रहा है।

विदेशी पाठ्य पुस्तकों की जांच पडताल

2261. श्री कोल्ला वैंकैया :

श्री म० ला० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पाठ्य-पुस्तकों की अन्तर्वस्तु की जांच पड़ताल करने के लिये सरकार ने सतर्कता तालिकाएं बनाने का विचार है ;

(ख) कितनी तालिकाएं बनाने का विचार है ;

(ग) अब तक कितनी तालिकाएं बनाई गई हैं तथा वे किन किन तारीखों को बनाई गई थीं ;

(घ) सतर्कता तालिकाएं बनाने के क्या कारण है ; और

(ङ) उन्होंने अब तक क्या काम किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ङ) : अभी कुछ दिन हुए मंत्रालय को कुछ ऐसी पाठ्यपुस्तकों के बारे में सूचना मिली है जो भारत के कुछ स्कूलों में प्रयोग में लाई जा रही थी और जिनमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य विषयों के बारे में गलत विवरण दिए गए थे। उनमें से कुछ उद्धरण ऐसे थे जिनसे कुछ ऐसे देशों की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी जिनके साथ भारत के मत्रीपूर्ण संबंध हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि स्कुलों में प्रयोग के लिए पाठ्यपुस्तकों की अनुमति दिए जाने से पहले वे उनकी जांच के लिए किसी उपयुक्त मशीनरी/समिति का गठन करे।

बेरोजगार इंजीनियर

2262. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 में बिहार स्थित विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा प्रोद्योगिकी संस्थाओं से कितने इंजीनियरों ने परीक्षाएं पास की और बेरोजगार रहे ; और

(ख) उन्हें काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सन् 1964–65 के दौरान बिहार राज्य के विभिन्न इंजीनियरी कालिजों और पालीटेक्निक से 961 व्यक्तियों को डिग्री और 903 व्यक्तियों को डिप्लोमा दिया गया। इनमें से बेरोजगार रहने वाले इंजीनियरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है।

(ख) आशा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रही विकास योजनाओं द्वारा बेरोजगारों के लिए, जिनमें बेरोजगार इंजीनियर भी शामिल है, रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुलभ हो सकेंगे।

औद्योगिक विवाद

2263. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कार्मिक संघों में इस बात कि प्रतिस्पर्धा कि कौन सा कार्मिक संघ कर्मचारियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, अन्ततोगत्वा औद्योगिक विवाद का रूप धारण कर लेती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विवादों को यथाशीघ्र सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या असंविहित कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) मजदूर संघों में प्रतिद्वंदिता के बारे में कोई सांविधिक व्यवस्था नहीं है और न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में मजदूर संघ को प्रतिनीधि संघ के रूप में मान्यता देने के लिए शर्तों की व्यवस्था है। परन्तु अनुशासन संहिता के अन्तर्गत, जो कि स्वैच्छिक साधन हैं, मैनेजमट द्वारा मान्यता के लिए यूनियन का प्रतिनिधि स्वरूप निर्धारित करने के लिए कुछ स्वीकृत कसौटी नि काली गई है। श्रमिकों के चार केन्द्रीय संगठनों द्वारा स्वीकृत अन्तर्यूनियन आचार संहिता भी विद्यमान है। जब कभी मजदूर संघों में अस्वस्थकर प्रतिद्वंद्विता की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है, तब संबंधित यूनियनो और केन्द्रीय संगठनों से स्वीकृत आचार-संहिता के पालन के लिए प्रार्थना कर दी जाती है। अनुशासन संहिता में उल्लिखित मान्यता सम्बन्धी प्रक्रिया द्वारा यूनियन के प्रतिनिधि स्वरूप से सम्बंधित विवादों के निपटारे के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

त्रिपुरा में आदिम जाति अनुसूचित क्षेत्र

2264. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल त्रिपुरा संयुक्त आदिम जाति परिषद् तथा अन्य आदिम जाति संगठन त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में आदिम जाति अनुसूचित क्षेत्र की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-आदिम जाति तथा उन्नत जातियों के लोगों के कारण भूमि पर अत्याधिक भार पड़ने से त्रिपुरा में सैंकड़ों परिवार पहले ही भूमि से बदखल किये जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अगरतला में टेलीफोन

2265. श्री दशरथ देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अगरतला नगर में टेलीफोन लगवाने के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने टेलीफोन लगाये जा चुके हैं ; और

(घ) शेष टेलीफोनों के कब तक लगाने की आशा है?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 731।

(ख) 547।

(ग) 1966-67 के दौरान जब कि टेलीफोन केन्द्र का विस्तार किये जाने की संभावना है।

अगरतला के मुख्य डाकघर की इमारत

2266. श्री दशरथ देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में अगरतला का वर्तमान बड़ा डाकघर भवन इतना बड़ा नहीं है, जितमें सभी कर्मचारी काम कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष में और बड़ा भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बढ़े हुए काम तथा कर्मचारियों के लिये अपेक्षित स्थान के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रबन्ध करने का विचार है?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) अगरतला स्थित प्रधान डाकघर भवन के विस्तार के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में टेलीफोन

2267. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 तक टेलीफोन दिये जाने के कितने आवेदन-पत्र पंजाब के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) इस काम को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जग नाथ राव) : (क) 16,548।

(ख) उपलब्ध साधनों के अनुसार बकाया मांगों की यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ति करने के उद्देश्य से मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने, अतिरिक्त केबल बिछाने तथा लाइन व तार डालने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

Police Behaviour at Palam Airport

2268. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Delhi Journalists' Association has lodged a complaint with Government for the alleged misbehaviour of the police with the Journalists and Photographers at the Palam Airport while Sucha Singh was brought there;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri Vidya Charan Shukla (a) to (c): The complaint received from the General Secretary, Delhi Union of Journalists, was found on investigation, not to be correct.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2269. श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री कृ० चं० पन्त ।**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री धर्मालिंगम :**

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी समीक्षा समिति ने एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : समिति ने कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी निर्वाह निधि योजनाओं के प्रशासनिक विलय की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन के परामर्श से सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना को "रूपरेखा" बनाने के लिए विशेषज्ञ मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए।

(ग) समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यों के सामान्य सूचकांक

2270. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस प्रकाशन 'बुलेटिन आफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 1965', नामक प्रकाशन के चौथे त्रैमासिक अंक की ओर दिलाया गया है, जिसमें पृष्ठ 68 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यों के सामान्य सूचकांक को 'किराया छोड़कर' पाद टिप्पण के साथ बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को यह सूचित किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ है कि श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित करते समय, मकान किराय के कारण जो मूल्यों में परिवर्तन होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न में निर्दिष्ट पाद टिप्पण सही स्थिति नहीं बताता और मिथ्या बोध पर आधारित मालूम होता है। अखिल भारतीय सूचकांक 27 निर्वाचक केन्द्रों के सूचकांकों की भारित माध्य है, जिसमें मकान किराया भी शामिल है।

Property Tax in Refugee Colonies

2271. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation have decided to collect property tax from refugee colonies for the last six years;

(b) whether it is also a fact that in 1959-60, the refugees were only allottees or tenants and not the owners; and

(c) if so, the reasons for which property tax is being levied for six years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) & (c). The allottable acquired evacuee properties and the Government built properties have been transferred to displaced persons on instalment basis. They were given remission of rent with effect from certain specific dates from which dates they were also made liable to pay local taxes. An agreement to this effect had been executed by each transferee of these properties. The ownership of these properties would also be given to these transferees from the specific dates with effect from which the rent was remitted, after they have paid the entire price of these properties. The local taxes are being recovered in accordance with the terms of the agreement.

Sheikh Abdullah

2272. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supporters of Sheikh Abdullah have started false propaganda these days in the capital that he has been ailing at the place of his internment and he should be removed to Srinagar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) & (b). It is true that some of the relations of Sheikh Abdullah and others had expressed concern over some of the minor ailments from which he has been suffering. The facts regarding the ailments and the medical attention and treatment given to Sheikh Abdullah are known to the members of his family and have also been made known to the public.

Accident in Kolar Gold Mines

2273. Shri Bade : **Shri Indrajit Gupta :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Mohammad Elias :**

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that seven labourers were killed in an accident that took place in Kolar Gold Mines on the 6th February, 1966;

(b) if so, the amount of compensation granted by Government to the families of the deceased labourers;

(c) whether any inquiry has been held; and

(d) if so, the findings thereof and action taken thereon?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) Information is being collected.

(c) & (d). An enquiry is being conducted by the Mines Inspectorate and the report is awaited.

दया याचिकाएं

2274. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में राष्ट्रपति को कितने व्यक्तियों ने दया याचिकाएं प्रस्तुत की ; और

(ख) कितने व्यक्तियों की दया याचिकाएं मंजूर की गयीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : 1965 में मृत्युदण्डाधीन 188 बन्दियों ने दया याचिकाएं प्रस्तुत कीं, तथा 97 बन्दियों के मामलों में राष्ट्रपति जी ने मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। (इस संख्या में कोर्ट मार्शल द्वारा जांचे गये मामले सम्मिलित नहीं हैं) ।

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

2275. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रातिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भार मंत्री (श्री हाथी) : (क) 210।

(ख) सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जाति का कोई लेखा नहीं रखती है।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये वर्दी

2276. **श्री जेधे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को कई वर्ष तक लगातार सेवा करने के बाद भी न तो उन को गर्मियों की अथवा सर्दियों की वर्दी मिलती है और न ही वर्दी भत्ता मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों को निकट भविष्य में वर्दी देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हा, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी, विभाग के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते। ये कर्मचारी केवल अंशकालिक कार्मचारी होते हैं, अत: वे वर्दियां प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता

2277. **श्री जेधे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के नियमित कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता पाने के उसी आधार पर हक़दार हैं जिस आधार पर अन्य सरकारी कर्मचारी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता नहीं मिलता है ;

(ग) क्या सरकार विभागातिरिक्त कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित करना संभव होगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

2278. **श्री जेधे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये उनके सेवा-काल की कोई सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा-काल सीमा कितनी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी पूर्णकालिक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होते, अत: वे स्थायी बनने के अधिकारी नहीं होते। ये कर्मचारी डाक-तार विभाग द्वारा नियुक्त किये गए ए जेन्ट होते हैं जो कि विभाग की ओर से कुछ काम करते हैं और इसके लिए उन्हें निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये काम के घंटे

2279. **श्री जेधे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये (श्रेणीवार) निर्धारित किये गये अधिकतम और निम्नतम काम के घंटे क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गांवों में बरसात के मौसम में डाकगाड़ी देर से पहुंचने के कारण अधिकांश विभागातिरिक्त कर्मचारियों को निर्धारित घंटों से अधिक काम करना पड़ता है किन्तु समयोपरि भत्ता नहीं मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपालों/उप डाकपालों को छोड़कर किसी भी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के लिए काम करने के न्यूनतम घंट निर्धारित नहीं है। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपालों को कम से कम तीन घंटे के लिए और अतिरिक्त विभागीय उप डाकपालों को पांच घंटे के लिये डाकघर खोलना पड़ता है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक से अधिक पांच घंटे तक कार्य करना होता है।

(ख) ऐसी कोई आम शिकायत नहीं मिली कि ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के मौसम में डाक मोटर गाड़ी के देरी से पहुंचने के कारण अधिकांश अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है। फिर भी, यह सच है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता।

(ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी नहीं होते, अतः वे समयोपरि भत्ता पाने के अधिकारी नहीं है।

गोआ

2280. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री जेधे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन दिया है कि गोआ में यथापूर्व स्थिति को 10 वर्ष की अवधि तक जारी रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : यह प्रश्न कुछ अस्पष्ट है। ऐसा कोई ज्ञापन गोआ के प्रतिनिधियों से नहीं मिला है परन्तु गोआ में कुछ समय के लिये यथापूर्व स्थिति बनाये रखने से सम्बन्धित सुझाव कभी-कभी मिल है। गोआ के भविष्य के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निणय नहीं किया है।

U.P.S.C. Examinations

2281. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether all those candidates for the clerks' examination being conducted by the U.P.S.C. in June, 1966, who have filled up their forms in Hindi and desist to take up the examination in Hindi, would get the question papers in Hindi;

(b) when the Hindi books for the clerks' examination would be made available ; and

(c) whether the Master Guide in Hindi like the Master Guide in English would be made available in the market and if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : (a) No, Sir.

(b) & (c). No books have been prescribed by Government for the Clerks' Grade Examinations conducted by the U.P.S.C. Notes and guides published by individuals are sold in the market but Government have nothing to do with such publications.

Telephone Directories in Hindi

2282. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1593 on the 6th September, 1965 and state :

(a) The names of places in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar where telephone directories have been published in Hindi and the number of places in respect of which decision has been taken to publish the directory in Hindi and the publication of which has been pending; and

(b) when the Hindi edition of Delhi telephone directory will be available?

The Minister of State in the Deptt. of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) One directory each in English is being published for all the towns in each of these States and the Hindi Directories when published would also be for all the towns in each of these States.

(b) There is considerable work involved in translating and printing of such large volumes. Efforts are however being made to bring out the Directories as early as possible.

केरल में हड़ताल

2283. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1966 को केरल में पूर्ण हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी वर्गों के कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया था ;

(ग) हड़ताल से कितने कारखानों पर प्रभाव पड़ा ;

(घ) क्या किन्हीं कारखानों में उस दिन काम हुआ था और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ;

(ङ) हडताल के क्या कारण थे ; और

(च) क्या केरल में कर्मचारियों के लिये कारखानों में उचित मूल्य की दुकानें खोल दी गई हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (च) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा की मेज़ पर रख दी जायगी।

विज्ञान की शिक्षा के लिये भारत और यूगोस्लाविया के बीच करार

2284. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक नया करार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दो देशों के बीच पांच वर्ष की अवधि के लिए एक वैज्ञानिक सहयोग समझौते पर 1 माच 1966 को हस्ताक्षर किए गए थ ।

(ख) समझौते के अधीन प्रवर और अवर वैज्ञानिकों के पारस्परिक विनिमय और वैज्ञानिक सूचना और अनुभव के विनिमय की व्यवस्था है। वास्तविक विषय, वज्ञानिक सहयोग प्राप्त करने के तरीके और प्रकार, जिसमें दोनों देशों की वित्तीय जिम्मेदारियां भी शामिल हैं, पारस्परिक कार्यक्रमों के जरिए तय किए जाएंग ।

उड़ीसा का टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय

2285. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय को कलकत्ता से कटक स्थानान्तरित करने में विलंब होने के क्या कारण हैं, जिसके फलस्वरूप उड़ीसा की जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उड़ीसा के टेलीफीन राजस्व लेखा यूनिटों को कलकत्ता से हटाकर सम्बन्धित मण्डल इंजीनियरों के नियन्त्रण में कटक और सम्बलपुर में स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित आदेश जनवरी, 1966 में जारी कर दिये गए थे। उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेने, कलकत्ता के मौजूदा कर्मचारीवर्ग में से स्थानान्तरण के लिए स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाने, नये स्थानों पर स्थानान्तरित होने वाले इन कार्यालयों में पूरी क्षमता लाने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की भर्ती कर लेने तथा इस प्रकार के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाली अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक समस्याओं को निपटा चुकने के पश्चात् ही इस स्थानान्तरण को कार्यरूप में परिणत किया जा सकेगा।

जल्दी से जल्दी स्थानान्तरण करने की दिशा में कारवाई की जा रही है।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा मजदूर संघ को मान्यता

2286. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा मजदूर संघ को मान्यता दिये जाने के संबंध में इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि राज्य सरकार ने किसी विशेष संघ को मान्यता देने के लिये सिफारिश करने से पहले अच्छी तरह सत्यापन नहीं किया ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर पुनर्विचार कर लिया है ;

(ग) किसी संघ विशेष की वर्तमान अवधि कब समाप्त होगी और क्या सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि रूरकेला इस्पात कारखाने की वर्तमान संघों की सापेक्ष सदस्य संख्या का उचित प्रक्रिया के अनुसार नये सिरे से सत्यापन किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सत्यापन कार्य कब आरंभ किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) 30-3-1966।

जी नहीं। इस मामले में राज्य सरकार उचित सरकार है और केन्द्रीय सरकार का इस मामले से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कारखाने में नियुक्त करके प्रशिक्षण देना

2287. **श्री हेमराज** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रशिषु अधिनियम, जिसके अन्तर्गत कारखाने में नियुक्त करके इंजीनियरी सम्बन्धी कामों का प्रशिक्षण देने का उपबन्ध है, प्रशिक्षणार्थियों को आकर्षित करने में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

नगरपालिका बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के निर्वाचन

2288. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरपालिका बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के चुनाव मार्च/अप्रैल, 1961 में हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो अब तक नया चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां आगामी नगरपालिका चुनाव कब कराये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) 1964 के विनियम 1 द्वारा संशोधन अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह (नगर पालिकाएं) विनियम, 1957 के अनुच्छेद 9 (1) के उपबंध के अनुसार नगरपालिका के वर्तमाने सदस्यों की कार्यलय-अवधि 25-4-1966 को समाप्त होगी।

(ग) वहां पर मार्च/अप्रैल, 1966 में चुनाव कराने का विचार है।

निकोबार द्वीप समूह के व्यापार का पुनर्गठन

2289. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री 7 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2036 के उत्तर के समबम्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निकोबार द्वीप समूह के व्यापार को कार-निकोबार के आदिवासियों की कम्पनी द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की दृष्टि से वहां के व्यापार को पुनर्गठित करने के सरकारी निर्णय को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : कार-निकोबार में निकोबारियों द्वारा संगठित रजिस्टर्ड प्राईवेट कम्पनी ने 1 जनवरी, 1966 को व्यापार अपने हाथ में संभाल लेना था। परन्तु वे शर्तें जिन पर वह कम्पनी कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी को अपने हाथ में लेगी, अभी सम्बन्धित दलों के बीच बातचीत द्वारा तय की जा रही है। नंकौरी द्वीपसमूह की जनता इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पहले कार-निकोबार में इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है ।

तमिल कवि, कम्बर के सम्मान में डाक टिकट

2290. श्री म० ए० स्वामी :
श्री रेड्डियार :
श्री मलाईछामी :
श्री नेसामनी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसिद्ध तमिल कवि, कम्बर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) 5 अप्रैल, 1966 को।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी

2291. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में, विशेष कर बुन्देलखंड क्षेत्र में, मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) हाल के कुछ महीनों उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की सप्लाई सामान्य मांग से थोड़ी कम पड़ी है। फिर भी सप्लाई भारत के अन्य भागों की अपेक्षा लगभग समानुपाती रही है।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-वार मिट्टी के तेल के मासिक कोटे और उसके साथ साथ प्रत्येक तेल कम्पनी का उन कोटों के पूरे करने का अंश भी निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को यह भी राय दी गई है कि वे तेल कम्पनियों से बातचीत करके अलग अलग जिले के कोटे को निर्धारित करने पर विचार करें।

सरकारी स्टोरों पर नागाओं के आक्रमण

2292. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 200 से अधिक विद्रोही नागाओं ने मणिपुर के अखरूल सब-डिवीज़न में ताल्लोई गेट में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के एक दस्ते पर आक्रमण करके तीन जीपों को जला डाला और सरकारी स्टोर, सामान तथा शस्त्र एवं गोला बारूद लूट लिया ;

(ख) यदि हां, तो उस आक्रमण के कारण जान और माल की कितनी और कैसी क्षति हुई ; और

(ग) प्रधान मंत्री के साथ हुई विद्रोही नागा नेताओं की मुलाकात के पश्चात 20 जनवरी, 1966 से, विद्रोही नागाओं द्वारा की गई अन्य विध्वंसक कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख): 23 फरवरी, 1966 को नागा विद्रोहियों ने राशन तथा आयुध ले जाते हुये मणीपुर

के उखरूल सब-डिवीजन में टोलोई रोड पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की तीन गाड़ियों पर आक्रमण किया तथा इनमें से एक को जला दिया। इस आक्रमण से दो हल्की मशीन गन, आयुध के एक हज़ार राउंड, एक राईफल, एक पिस्तौल, वस्त्र राशन आदि जैसी कुछ वस्तुओं की हानि हुई। कोई जन हानि नहीं हुई।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

संयुक्त परामर्श योजना सम्बन्धी समझौता

2293. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लक्ष्मीदास :
श्री कोल्ला वेंकया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच सभी झगड़ों को परामर्श/मध्यस्थ-निर्णय द्वारा निपटाने के बारे में हाल ही में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की यथार्थ शर्तें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख): कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ (आवश्यक विवाचन तथा संयुक्त परामर्श की योजना पर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये) भारत सरकार बैठकें करती रही है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप योजना के विवरण के सम्बन्ध में सरकार के तथा कर्मचारी संगठनों के मन्तव्यों की विभिन्नता कम हो गई है, तथा ऐसी आशा है, कि यह योजना शीघ्र ही आरम्भ हो जायगी। योजना के एक बार प्रारम्भ हो जाने पर सारे विवाद स्वाभाविक रूप से इस के अधीन कार्यवाही से समाप्त हो जायेंगे। सम्पूर्ण समझौता होने के पश्चात् कर्मचारी संगठनों की सलाह से ही ठीक-टीक निबंधन बनाये जायेंगे।

अगरतला में महिला छात्र वास

2294. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित सामाजिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत अगरतला शहर में महिला समिति द्वारा चलाये जाने वाला महिला छात्रावास, दिसम्बर, 1965 में बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो यह कितने समय तक बन्द रहा तथा इसके क्या कारण थे ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने छात्रावास को चलाने के लिये चालू वर्ष में कितना अनुदान दिया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जेल संहिता

2295. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी अवधि वाले कैदियों को लौह-छड़ों के भीतर बन्द करने की प्रथा को सरकार का विचार समाप्त करने का है ;

(ख) क्या सम्पूर्ण भारत के लिये एक समान जेल संहिताओं को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार राज्य सरकारों से परामर्श करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार 10 वर्ष की आयु के बच्चों पर दण्ड प्रकिया संहिता न लागू करने के उद्देश्य से विधान बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों को यह सिफ़ारिश की गई थी कि वे व्यवहार्य सिफ़ारिशों के आधार पर अपनी जेल संहिता का मसौदा तैयार करने या उन्हें संशोधित करने के लिये अखिल भारतीय जेल संहिता समिति (1957–1959) द्वारा माडल कारागार संहिता मार्ग-दर्शक पुस्तक के रूप में स्वीकार करें।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू बाल अधिनियम 1960 में बच्चों के संबंध में की जानेवाली प्रक्रिया विहित है।

राजनीतिक पीड़ितों की शिक्षा के लिये अनुदान

2297. श्री हेम राज : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक पीड़ितों को दिये जाने वाले वजीफों का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है ;

(ख) यदि हां, तो 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में पंजाब सरकार ने कितनी रकम मांगी थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी रकम दी ; और

(ग) पंजाब सरकार ने 1965–66 में कितनी रकम मांगी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	पंजाब सरकार द्वारा मांगी गई रकम रु०	केन्द्र द्वारा दी गई रकम रु०
1962-63	1,93,683 + 11,747.29 + (31-3-63 के बाद खर्च किया गया। 1963-64 में लेखादेय नहीं मानी गई)	1,92,852 महालेखाकार, पंजाब द्वारा प्रमाणित खर्च के आधार पर
1963–64	1,83,050	1,83,050
1964–65	1,90,803	1,90,803

(ग) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1965–66 के लिए मांग प्राप्त होगी।

चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जालसाजी

2298. श्री यशपाल सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने मद्रास के वेल्लोर नगर में एक डाकघर में चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के संबंध में हो रही जालसाजी का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद् कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) वेल्लोर डाक-मण्डल में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की वापसी के कुछ मामलों की जांच करने के लिए सितम्बर, 1965 में विशेष

पुलिस सिब्बन्दी से प्रार्थना की गई थी और इस सिब्बन्दी द्वारा हाल में ही एक कर्मचारी के वेल्लोर स्थित मकान की तलाशी ली गई थी।

(ख) तथा (ग) : ऐसे बहुत से दस्तावेज कब्जे में ले लिये गए हैं जिससे अभियोग सिद्ध हो सके और उस कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा तेजी से पूछताछ की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पुरान प्रव्रजकों का पुनर्वास

2299. **डा० रानेन सेन :**
श्री प्रभात कार :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है कि उस राज्य में पुराने प्रव्रजकों को फिर से बसाने के लिये नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाये और अनुमान लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rehabilitation of Muslims in Rajasthan and Jammu and Kashmir

2300. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hem Barua :
Shri Nath Pai :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Buta Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the policy in regard to the bringing back and rehabilitation of those muslims in India who were displaced from Rajasthan and Jammu and Kashmir during the last Indo-Pak conflict and had left for Pakistan;

(b) when the final decision in this regard is likely to be taken; and

(c) the arrangements made to ensure that the persons returning from Pakistan and settling in India do not include infiltrators or other elements indulging in conspiracies in different manners?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a), (b) and (c). Persons who migrated to Pakistan or Pakistan occupied area during the recent conflict are not being permitted to return, for the time being. In considering any future policy the need for keeping out such persons as are referred to in part (c) of the Question will be kept in view.

उर्वरक परियोजना के लिये विश्व बैंक सहायता

2301. **श्री मुथिया** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक सम्बन्धी दो भारतीय परियोजनाओं के लिये पूंजी सहायता देने के बारे में विश्व बैंक विचार कर रहा है ;

(ख) ये परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में हैं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ;

(ग) यदि ये गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, तो किन उद्योगपतियों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(घ) किन विदेशी मुल्कों ने सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ङ) इन दो परियोजनाओं पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र।

(ग) पार्टियां निम्न प्रकार है :—

(i) मैसर्ज़ आन्ध्रा शूगरज़ लि०

(ii) मैसर्ज़ विरला ग्वालियर प्राइवेट लि०

(घ) उक्त दोनों परियोजनाओं के लिय विदेशी सहयोगी अमरीका के है।

(ङ) इन दोनों परियोजनाओं पर 41.43 करोड़ रूपये कुल लागत आने का अनुमान है।

पंजाब में मिट्टी के तेल का संभरण

2302. **श्री रामेश्र टांटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को राज्य के अन्दर मिट्टी के तेल के संभरण को नियमित करने तथा मूल्य नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपाय काम में लाने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार मिट्टी के तेल का राज्यवार कोटा और इस कोट की मात्रा को पूरा करने के लिए प्रत्येक सिविल कम्पनी के संभरण का अंश निर्धारित करने का विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) इस योजना से प्राप्त होने वाला लाभ क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग), (घ) और (ङ) : प्रत्येक राज्य के लिये राज्य वार मिट्टी के तेल का मासिक कोटा और इन कोटों को पूरा करने के लिये प्रत्येक आयल कम्पनी के सप्लाई अंश को निश्चित कर दिया गया है ताकि उपलब्ध प्रदाय का साम्य वितरण हो सके।

तेल का उत्पादन

2303. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व तेल मानचित्र में भारत का नाम भी दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में तेल का कुल कितना उत्पादन हो रहा है ;

(ग) तेल उत्पादन के लिये और अधिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस समय किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) :(क) जी हां।

(ख) 1965 में कच्चे तेल का कुल उत्पादन लगभग 3 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) भारत के सारे पूर्वेक्षित अवसादीय क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य चल रहा है।

(घ) गुजरात के अंकलेश्वर-कैम्बे-अहमदाबाद और कच्छ प्रदेशों; ब्रह्मपुत्र वादी, असम में काचर एवं त्रिपुरा ; पश्चिमी बंगाल ; पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों, तथा संलग्न हिमालय के गिरिपीटों ; राजस्थान के जैसलमेर ; मद्रास के कावेरी, महानदी और गोदावरी डेल्टाओं (deltas), उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप और कैम्बे, कच्छ एवं मद्रास के अतटीय क्षेत्रों।

कोयले का कार्बनीकरण

2304. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा लोहा बनाने के लिये "लो शैफ्ट भट्टी" में प्रयोग में आने के निमित मध्यम ताप में कोयले के कार्बनीकरण के सम्बन्ध में की जा रही जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) "लो शैफ्ट भट्टी" में किन-किन किस्मों के कोयले का प्रयोग किया जायेगा और क्या इस प्रयोग के द्वारा बढ़िया किस्म के कोकिंग कोयले की कुछ बचत होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क चागला) : (क) जांच अभी चल रही है ?

(ख) देश के विभिन्न कोयला उत्पादन क्षेत्रों से निम्न श्रेणी का कोयला उपयोग में लाया जा सकता है। आशा है कि निम्न श्रेणी के कोयले से मध्यम और नीचे तापमान पर बड़ी मात्रा में कोक के उत्पादन से उच्च कोटि के कोकिंग कोयले के सीमित साधनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

देवनगर, नई दिल्ली में चोरियां

2305. **श्री जेधे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवनगर, नई दिल्ली, के एक मंजिला सरकारी क्वार्टरों में चोरियों और सेंध मारी की घटनाएं 15 जनवरी, 1966 से बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो 15 जनवरी से 2 फरवरी, 1966 तक ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं और क्या कोई अपराधी अभी तक गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या वहां के निवासियों की ओर से कोई अभ्यावेदन 8 फरवरी, 1966 को पुलिस के महा-निरीक्षक (आई० जी० पी०) को प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) सेंध के एक मामले तथा चोरी के छः मामलों की रिपोर्ट हुई। अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इलाके के पुलिस अधीक्षक के क्षेत्र का निरीक्षण किया, तथा उन्होंने अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर करने वालों और उस स्थान के अन्य निवासियों से भेंट की और उनकी शिकायतों की जांच की। अपराधों की संख्या कम करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और विरोधी दलोंके सदस्यों के साथ गृह-कार्य मंत्री की बातचीत

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान उनकी हाल की कलकत्ता यात्रा और पश्चिमी बंगाल में फिर से सामान्य स्थिति लाने के बारे मे पश्चिमी बंगाल के मख्य मंत्री और विरोधी दलों के सदस्यों के साथ हुई उनकी बातचीत की ओर दिलाता हूं और उनसे अनरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

गृह-कार्य मंत्री श्री नंदा : सभा को मालूम है कि श्री सुब्रह्मण्यम, और मैं 12 मार्च, 1966 को कलकत्ता गये थे और 14 तारीख तक वहां थे। पश्चिमी बंगाल की स्थिति से सब को चिन्ता थी। प्रधान मंत्री चाहती थीं कि वहां पर सामान्य स्थिति स्थापत हो। पश्चिमी बंगाल सरकार भी यह चाहती थी कि अशान्ति की स्थिति यथाशीघ्र समाप्त हो। हमारा वहां जाने का कारण वहां के मुख्य मंत्री तथा अन्य मित्रों से इसी विषय में बातचीत करना था ताकि सामान्य स्थिति स्थापित की जा सके।

हमने वहां के संसद सदस्यों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों और व्यवसायियों से बातचीत की। हमने कलकत्ता में स्थित विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से भी भेंट की। दो बात मुख्य रूप स स्पष्ट हुई। एक यह कि दंगे समाप्त होने चाहिये और दूसरे, पश्चिम बंगाल विधान-मंडल को प्रतिपक्ष के पूरे सहयोग से अपना कार्य करना चाहिये और वहां की समस्याओं सुचारु रूप से विचार करना चाहिये।

मुख्य मंत्री ने इन बातों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की और संयुक्त वामपंथी मोर्चे को 13 मार्च को कलकत्ता में जुलूस निकालने की अनुमति दी। इससे वहां पर उचित वातावरण उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिली है। यह निर्णय भी किये गये :

(1) सभी विधायकों को जो हाल के दंगों के समय बन्दी बनाये गये थे, रिहा किया जायेगा। प्रतिपक्ष के नेता श्री ज्योति बसु को रिहा कर दिया गया है।

(2) राज्य सरकार जांच अधिनियम के अन्तर्गत एक तीन सदस्यों वाला जांच आयोग स्थापित करगी। इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। यह हाल के दंगों आदि के बारे में जांच करेगा।

मुझे आशा है कि सदन मुख्य मंत्री द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करेगा जिसके फलस्वरुप वहां पर शान्ति स्थापित हो गई है। वहां पर स्थिति सामान्य होती जा रही है। इस कार्यवाही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत उदारता से काम किया है। मुझे आशा है कि सभा इस की सराहना और समर्थन करेगी और पश्चिम बंगाल के विरोधी दल पूरा पूरा सहयोग देंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : क्या गृह-कार्य मंत्री ने अपनी बात चीत के दौरान हिंसात्मक प्रदर्शनों में सरकारी सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया है ? इसको वामपंथी दलों ने कराया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इन बातों की जांच होनीं है तो इस समय उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहते थे और प्रधान मंत्री ने दबाव डालकर उन्हें ऐसा करने से रोका है ? क्या मुख्य मंत्री उदारता की नीति के विरुद्ध थे ?

श्री नन्दा : यह कहना उचित नहीं है । ये निर्णय मुख्य मंत्री के सहमति से किये गये थे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : पश्चिमी बंगाल में लगभग 7,000 व्यक्ति बन्दी बनाये गये है। उनकी रिहाई की मांग सभी दलों ने की है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन क्यों नहीं करती है ? इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिये ।

श्री नन्दा : अदालती जांच की जाने वाली है और प्रतिपक्ष के नेता रिहा कर दिये गये है । बन्दियों को अनिश्चित काल के बन्दी बना कर नहीं रखा जायेगा ।

श्री वारियर : पश्चिमी बंगाल विधान सभा की बैठक न होने के क्या कारण है । झगड़े के समाप्त न होने के क्या कारण है ?

श्री नन्दा : इस बारे में मुख्य मंत्री से बात हुई है और सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है ।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार 1947 से अब तक की घटनाओं के बारे में जांच करा रही है । इसके क्या कारण है ? जांच हाल के गोलीकाण्ड के बारे में होनी चाहिये ।

श्री नन्दा : यह बात सही नही है । जांच में पुलिस द्वारा गोली चलाना भी आयेगा ।

Shri Bagri : May I know the total number of persons arrested so far and number of those against whom charges of violence are there?

Shri Nanda : I have already said that 13 Members and 18 others were detained. All of them have been released. About 1300 are the cases of law and order.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की सलाह से कार्यवाही की गई है परन्तु उनके ध्यान में यह बात लायी गयी है कि संयुक्त वामपंथी मोर्चे न जांच आयोग के निर्देशपदों से असंतुष्टि व्यक्त की है ? और वे इसे स्वीकार नहीं करते । उन्हें 18 तारीख से फिर आंदोलन आरंभ करने की बात की है ।

श्री नन्दा : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि हड़ताल आदि न की जाये क्योंकि सरकार ने अपनी प्रतिपक्ष वालों से सलाह करके प्रत्येक कदम उठाया है ताकि गड़बड़ न हो ।

Shri Vishwanath Pandey : They have decided that those who were arrested would be released and an enquiry commission would be constituted. On the other hand the leftist parties, as has been published in papers, are thinking starting an agitation again. I want to know whether the hon. Minister consulted the Chief Minister in the presence of opposition leaders and whether they had given an assurance that would not indulge in such violent agitation again?

Shri Nanda : It is up to them to be satisfied or not. I feel that they should be satisfied. There is no assurance etc.

श्रीमती रेणुका राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों ने, जो अभी अभी रिहा किये गये है, विधान मंडल का बहिष्कार समाप्त नहीं किया, सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री नन्दा : विधान मंडल कार्य कर रहे हैं । आगे की कार्यवाही मुख्य मंत्री ने नहीं करनी हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री से सलाह के समय प्रतिपक्ष वालों के नेता जेलों में नहीं थे और जिन लोगों को बुलाया गया था क्या वे वास्तविक प्रतिनिधि थे ?

श्री नन्दा : जिन से हम मिले थे वे अपने मित्रों से भी मिल रहे थे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** The Prime Minister had appealed that a new atmosphere should be created in the country. Are the Prime Minister and the Home Minister ready to advise the Bengal government that those who are detained under the Defence of India Rules should be detained under the Preventive Detention Act so that all can present their case before the Advisory Board and that only those persons should be detained in jails who indulge in anti-national activities and those who are not guilty may be released so that cooperation of the opposition parties may be obtained?

Shri Nanda : In my statement, I had mentioned about relaxation and about reconsideration of the remaining matters. I cannot say more than this at present.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि बंगाल में यह उपद्रव खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हुये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये रिहा किये गये बंदियों की मांग को देखते हुये खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ले रही है ?

श्री नन्दा : मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे मे प्रशासन का पुनर्विलोकन करेगी । यह जांच द्वारा ही पता चलेगा कि वह उपद्रवों के लिये कहां तक उत्तरदायी है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, 1966

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं, श्री हाथी की ओर से, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत प्रातरक्षा (संशोधन) नियम, 1966, की एक प्रति, जो दिनांक 16 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 264 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल रखता हूं । **(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5786/66)**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी हैं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 9 मार्च, 1966 को पास किये गये भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।;

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 9 मार्च, 1966को पास किये गये दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1966 से राज्य सभा अपनी 14 मार्च, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

इक्यासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : म गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्यासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सामान्य बजट, १९६६-६७—सामान्य चर्चा (जारी)
GENERAL BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री थेनगौंडर अपना भाषण जारी रखें ।

श्री थेनगौंडर (नागापट्टिनम) : अध्यक्ष महोदय, नागपट्टिनम बन्दरगाह में मलाया और सिंगापुर से आनेवाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें नहीं मिलती । जहांज़ों में स्थानाभाव के कारण बड़ी कठिनाई होती है । अत: एक और जहाज़ नागपट्टिनम होकर मद्रास और सिंगापुर के बीच चलाया जाना चाहिये । इस बारे में मैंने अपने मलाया तथा सिंगापुर के दौरे के बाद परिवहन मंत्रालय को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है । मद्रास राज्य में तन्जौर ज़िले में थोपुत्तुराई के परित्यक्त बन्दरगाह का नवीकरण किया जाना चाहिये । वेदरन्यम पाट (चैनल) को और गहरा करने के लिय कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहयिे ताकि तंजौर से धान और लकड़ी नाव द्वारा नागपट्टिनम सुविधाजनक ठगं से ले जांई जा सके ।

मद्रास राज्य में सेलम ज़िले का औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिये वहां चौथी योजना के अन्तर्गत एक स्थान संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिये । उस से क्षेत्र के प्रकाशित संसाधनों तथा नेवेली लिगनाइट का उपयोग हो सकेगा और दक्षिणी राज्यों की स्पात की मांग की पूर्ति हो सकेगी ।

चौथी योजना के अन्तर्गत मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट सड़क (इस्ट कोस्ट रोड) का राष्ट्रीय राजपथ होने के नाते विकास करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये । इस सड़क का युद्धनीति सम्बन्धी महत्व है और इसके विकास से मद्रास और कन्याकुमारी के बीच परिवहन में गति आ जायगी ।

कपड़ा उद्योग, विशेषकर धागा बनाने वाली मिलें जो हाथ-कर्घा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं हाथ-कर्घा से बने हुये कपड़े के एकत्र होने के कारण बुरी अवस्था में हैं। अतः मैं इस उद्योग पर 7.25 करोड़ रुपय का अतिरिक्त लगाये जाने का कारण नहीं समझ पा रहा हूं । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मद्रास राज्य में कपड़ा उद्योग को कुछ सहाय्य दें ।

अनावृष्टि के कारण सारे देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस पर भी खाद्य मंत्री ने इस समस्या का बड़ी सफ़लता से मुकाबला किया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बजट के विभिन्न पहलुओं पर कुछ कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में नये करों के लगाये जाने की काफ़ी आलोचना की गई है । मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि करों के वसूल करने की कैसी व्यवस्था है और उदाहरण के लिये 100 करोड़ रुपये के बकाया करों को अभी तक क्यों वसूल नहीं किया जा सका है । मैं नहीं कह सकता कि इन बकाया करों को किस प्रकार वसूल किया जा सकेगा ।

वित्त मंत्री ने देश का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें कम आय और अधिकव्यय को समान करने के लिय करों का लगाया जाना आवश्यक है । अतः चीनी, खंडसारी तथा उत्तम कपड़े पर कर लगाया गया है । जिस का सामान्य व्यक्तोपर असर पड़ता है सिगरेटों, चीनी तथा खंडसारी, उत्तम कपड़े और डीज़ल तेल के मूल्य करों की घोषणा किये जाने के बाद दूसरे दिन से ही बढ़ गये हैं। इन करों से सारे देशके विशेषकर किसानों के कष्ट बढ़ गये हैं । यह ठीक है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर अधिक खर्चा होगा और देश की समृद्धि बढ़ाना है परन्तु हर वर्ष करों में वृद्धि होती जा रही है और कर दाताओं को उसके अनुपात में लाभ नहीं हो रहा है । गांधीजी ने कहा था कि करदाता को बड़ा बलिदान करना होता है और यदि कर लगाने वाली सरकार करदाताओं को कुछ सहाय्य नहीं दे सकती तो करदाता को विरोध करने का अधिकार है ।

अतः मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों की दशा और खराब नहीं हो गई है ? इस देश में भूख और भूखमरी के बीच एक दौड़ चल रही है । जब भूख और गुस्सा मिल जायेंगे तो वही हालत होगी जो अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में हुई है । उपद्रव का मूल कारण खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में न मिलना ही है । माननीय मंत्री को सरकार की असफलताओं पर विचार करना चाहिये । सरकार खाद्य व्यवस्था के मामले में असफ़ल रही है । हम विदेशों पर पूर्णतया आश्रित हैं । हम अमरीका तथा अन्य देशों से भीख मांग रहे हैं । शायद संसार का कोई और देश विदेशी ऋणों से इतना नहीं दबा हुआ है जितना कि भारत । हमारे उपर करोड़ों रुपये का विदेशी ऋण है ।

करों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि बक़ाया अभी तक क्यों वसूल नहीं किया जा सका है ? श्री वारियर ने अपने भाषण में कहा था कि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार श्री हरिदास मूंदड़ा ने 1-3 करोड़ रुपये के कर तथा सरकारी पैसे की अदायगी नहीं की है । मुझे ऐसा पता लगा है कि

[श्री० स० मो० बनर्जी]

श्री मुंदड़ा अब 3–4 करोड़ की बजाय केवल 25–30 लाख रुपये का भुगतान करके ही मामला समाप्त कर रहे हैं। सरकार के राजस्व विभाग के लिये यह बड़ी निंदनीय अभियुक्ति है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि श्री मुंदडा पर बकाया इतनी बड़ी राशि के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

नवम्बर 1965 में श्री धुलेश्वर मीना ने प्रश्न किया था कि क्या विदेशों में विदेशी मुद्रा संचित की गई है और छिपाई हुई है। क्या श्री हरिदास मुंदडा ने विदेशी मुद्रा की भारी धनराशि जमा की हुई है? इसका उत्तर अभी मिलना चाहिये क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिमण्डल के एक भूतपूर्व मंत्री ने इंगलैंण्ड जाकर मामले को दबा दिया था।

इन्हीं श्री मुंदडा ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के नाम से 78 लाख रुपये विदेशों को भेज दिये थे और वित्त मंत्रालय के अवर सचिव अथवा सचिव ने उनकी सहायता की थी। ऐसी ही बातें आज भी हो रही हैं। वित्त मंत्रालय अब सर्वश्री टर्नर, मोरीसन एण्ड कम्पनी के संचालकों का जो श्री मुंदडा के साथी है नामनिर्देशन कर रहा है।

एक और प्रश्न है जो मेरे मस्तिष्क को परेशान कर रहा है। सर्वश्री और, डिग्नम एण्ड कम्पनी के स्थान की तलाशी ली गई थी। जिस अधिकारी ने तलाशी ली थी उसे बुरी तरह फटकार दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक अधिकारी ने अपना कर्तव्य पालन किया है तो उसे क्यों डांटा गया? क्या तलाशी के पश्चात् कोई दस्तावेज मिले थे?

अब मैं देश में ग़रीबी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कर यहां लगे हुये हैं। माननीय वित्त मंत्री ने यह अच्छा किया है कि निम्न तथा मध्यम आय के वर्गों तथा 250 रुपये प्रतिमास पाने वाले कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी हैं परन्तु उनके महंगाई भत्ते के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। जिस बैठक के लिये वचन दिया गया था वह अभी तक नहीं बुलाई गई है। मुझे यह जान कर बड़ा दुःख है कि अल्पआय वाले कर्मचारियों को केवल 5 रुपये दिये गये ह जबकि 1,000 से 2,250 और 3,000 अथवा 4,000 रुपये प्रतिमास तक पाने वाले कर्मचारियों को 100 रुपये से 250 और 300 रुपये तक दिये गये हैं। क्या यह समाजवादी व्यवस्था का द्योतक है? मैं यह मांग करता हूं कि कम आय वाले कर्मचारियों को अधिक दिया जाये।

सारे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल रखी है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी कर्मचारी आन्दोलन करने का विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वह राज्य के कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता दे सकती है यदि केन्द्रीय वित्त मंत्री कुछ सहायता करें। क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता कर रही है?

इसी प्रकार उन सैनिक तथा असैनिक पेंशनरों की पेन्शन अथवा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये जिन्हें 300 रुपये से कम प्रतिमास मिलता है। मूल्य बराबर बढ़ रहे हैं। सरकार मूल्यों की वृद्धि रोकने में असफल रही है। कोई और सरकार होती तो त्यागपत्र दे देती।

श्री अशोक मेहता कहते हैं कि अगले दस वर्षों में भी मूल्य कम न होंगे। सरकार 5–10 रुपये दे देती है जिसे मुद्रा स्फिति होती है। हीन वित्त प्रबन्धन के कारण भी मुद्रा स्फ़ीति बढ़ रही है। श्री नन्दा ने कहा था कि चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। पूरे मंत्रिमण्डल को हमेशा के लिये यह निश्चय कर लेना चाहिये कि क्या मूल्य कम होंगे अथवा नहीं, आन्दोलनों को लाठी और गोली से रोका जा सकता है। परन्तु यह बिल्कुल तथ्य है कि लोगों की क्रय-शक्ति अब बहुत कम हो गई है। देश बड़े संकट के समय से गुज़र रहा है। हमें विदेशी आक्रमण तथा भीतरी उपद्रवों

का मुकाबला करना है। मैं अपने प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि लोगों को दोनों समय भर-पेट भोजन मिल जाये तो मैं समझूंगा कि यह सरकार सफल हुई है। कहा जाता है कि रामराज्य होगा। परन्तु रामराज्य दो तरीक़ों से ही हो सकता है। एक तरीक़ा तो यह है कि प्रधान मंत्री राम बन जायें और लोग वास्तव में सुखी हो जायें। दूसरा यह है कि वह राम बन जायें लोग "वानर सेना" बन जायें, वृक्षों पर रहें और फल-फूल खा कर निर्वाह करें और इस प्रकार न आवास की समस्या रहे और न खाद्य की। मैं जानना चाहता हूं कि हम किस रामराज्य की ओर जा रहे हैं ?

श्री रंगा (चित्तूर) : कल प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि भारत के बारे में विदेशों में जो भ्रांति फैल रही है उसे दूर किया जाना चाहिये।

विदेशियों के लिये न सही, हम अपने लिये भारत की कैसी प्रतिमा प्रस्तुत कर रहे हैं? जहां तक विदेशियों का प्रश्न है, यह बात सब को ज्ञात है कि उन्होंने अपने अपने देशों में भारत की सहायता के लिये, भारत के नाम पर, भीख मांगी है। विदेशी लोग अन्न, धन तथा अन्य वस्तुयें एकत्र कर के भारत भज रहे है। इसके विपरित हमारे मंत्री विदेशों में जा कर यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत में भुखमरी नहीं है जबकि देश में यह सब को पता है कि कम से कम आधी जनसंख्या को पर्याप्त पोषाहार नहीं मिल रहा है।

हमारे राजदूतों ने विदेशों में यह आन्दोलन चलाया हुआ है कि भारत में भुखमरी नहीं है बल्कि खाद्यान्न की थोड़ी कमी है। अतः यदि वे देश चाहे तो पूर्त भेज सकते हैं। संसार के अन्य देशों के सामने भारत की इस प्रकार की प्रतिमा प्रस्तुत की गई है। ऐसा विरोधी दलों द्वारा नहीं किया गया है अपितु सरकार की कठोर नितियों द्वारा हुआ है।

इस सभा में जो वाद-विवाद हो रहे हैं उनसे देश के किस प्रकार के स्वरूप का पता चलता है? इस का उत्तर श्री मसानी दे चुके हैं। मैं बजट के केवल राजनैतिक एवं आर्थिक पहलओं तथा सरकार की आर्थिक कार्यवाहियों से सरोकार रखना चाहता हूं क्योंकि इन सब के द्वारा बनने वाली प्रतिमा पहले हमारे सामने और फिर संसार के सामने आती है।

इन तीन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय, पूंजी तथा ऋणों का भारत में तथा उसके बाहर 20,000 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण हुआ है। इस पर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हम अधिकतर विदेशी ऋणों पर आश्रित हैं, हीनार्थ प्रबन्धन और मुद्रा स्फीती और बढ़ते हुए करों के शिकार हैं।

वाद विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं है कि सरकार के करों से अमीरों पर प्रत्यक्ष भार तीन गुना बढ़ा है जबकि सामान्य लोगों पर पांच गुना भार पड़ा है।

अब इस बात पर सर्वसम्मति है, हालांकि पांच वर्ष पूर्व एसा नहीं था, कि मुद्रास्फीति, हीनार्थ प्रबन्धन तथा बढ़ते हुए मूल्यों से लोगों के बजट ही नहीं बल्कि सरकारों के बजट असंतुलित हो रहे हैं। सरकार ने इतने खर्चे बढ़ाये हुए हैं और इतनी योजनायें तथा परियोजनायें चल रही है कि बिना ऋण लिये अथवा कर लगाये केन्द्र अथवा राज्य के वित्त मंत्रियों के बजटों को संतुलित रखना कठिन हो रहा है।

1950 से पूर्व केन्द्रीय सरकार का बजट 300 करोड़ का होता था। अब 2,191 रुपये के करों के वसूल किये जाने के प्रस्तावों का बजट पेश किया गया है। चौथी योजना में 3,000 करोड़ के अतिरिक्त करों की वसूली का अनुमान है। इस वर्ष के अतिरिक्त करों के लगाये जाने के कारण करीब करीब सारे सदस्यों को दुःख है।

[श्री रंगा]

लोगों की प्रतिव्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वह 75 पैसे से कम है।

बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया है। इस से पोषण आहार की क ी, पारिवारिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ गई है। शिक्षित वर्ग में बरोजगारी राष्ट्रीय आय के मुकाबले में अधिक बढ़ी है। संसार के किसी और देश में इतनी बरोजगारी नहीं है।

औद्योगिक विकास में कमी आ रही है। कपड़ा उद्योग को बराबर स्टाक जमा हो जाने के कारण और अधिक कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा बढ़ गया है। अहमदाबाद और कोयमबत्तूर के कपड़ा मजदूरों को आंशिक अथवा पूर्ण बरोजगारी का भय पैदा हो गया है।

मशीनी औजार उद्योग, कास्टिक सोडा, सोडा एश, सिलाई मशीन, साइकल और बिजली के पंखों के उद्योग अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे ह क्योंकि उन्हें पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल रहा है।

सिंचाई योजनाओं में 1,800 करोड़ रुपये की राशि लगाई गई है। 1 करोड़ 10 लाख एकड़ से आरम्भ किया गया था। अब 1 लाख 80 हजार एकड़ की क्षमता है। परन्तु वास्तव में 1 लाख 50 हजार एकड़ का उपयोग किया जा सका है। अतः 20% सिंचाई क्षमता का जो 1,800 करोड़ रुपये की लागत से उत्पन्न की गई है, उपयोग नहीं किया जा सका है क्योंकि सरकार किसानों को आवश्यक सुविधायें नहीं दे सकी है।

सरकार योजनाओं के लिये 3,000 करोड़ रुपये के कर वसूल करती है परन्तु सरकार ने विकास से भिन्न व्यय 400% अधिक कर दिये है। प्रशासन पर होने वाले व्यय में बहुत फिजूलखर्ची है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय में कटौती की काफी गुंजाइश है। अनुमान है कि 300 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की जा सकती है।

1955–56 में प्रशासन पर 201 करोड़ रुपये का व्यय होता था, परन्तु अब 892 करोड़ रुपये का व्यय है जो राष्ट्रीय विकास को देखते हुये कहीं अधिक है। प्रशासन सेवाओं पर होने वाला व्यय 33 करोड़ से 110 करोड़ हो गया है। केवल पुलिस पर होने वाला व्यय 14 करोड़ से 44 करोड़ हो गया है।

यदि, योजनाओं में उचित कटौती की जाये तो आगामी पांच वर्षों में करों के लगाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी चाहे आवश्यक तथा उत्पादक विकास उसी गति से चलता रहे। यदि सरकार अपना कार्य हमें सौंप दे तो हम यह कर के दिखा सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

तीसरी योजना के दौरान सरकार 1,100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर वसूल करना चाहती थी परन्तु वास्तव में 2,248 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी, यानी लक्ष्य से 100 प्रतिशत अधिक वसूल किया गया था। यदि सरकार मितव्ययिता का ध्यान रखती और अधिक लाभ की बात सोचती तो कुछ संतोष होता।

करों के भार के कारण राष्ट्रीय आय का 15% भाग समाप्त हो जाता है। वे प्रथम योजना के अन्तमें 7.7 प्रतिशत थे और दूसरी योजना के अन्त में 9.6 प्रतिशत हो गये हैं। यह बहुत अधिक है। इस बात पर सर्व सम्मति है कि संसार के अन्य देशों के मुकाबलें में

भारत में सबसे अधिक कर लगे हुये हैं। राष्ट्रीय आय इस अनुपात से नहीं बढ़ी है। लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। आय में केवल 60% की वृद्धि हुई है। अतः मुद्रा स्फीती के कारण जनता के बजेटों पर बुरा असर पड़ रहा है।

पिछले 15 वर्षों में केन्द्रीय राजस्व में पांचगुनी वृद्धि हुई है और वह 439 करोड़ रुपये से 2,193 करोड़ रुपये हो गया है। भू-राजस्व में 49.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सिंचाई की दरों में 22 करोड़ की वृद्धि हुई है। सिंचाई शुल्क यदि हटाये न जा सकें तो उनमें कमी अवश्य की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 1950–51 में 61 करोड़ का ऋण दिया था परन्तु 1931 में वह ऋण बढ़कर 333 करोड़ रुपये हो गया था। अब 823 करोड़ रुपये है। यह राशि वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त है। राज्य सरकारें इस धन राशि को व्यर्थ खर्च रही हैं। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों पर अपना नियंत्रण और अधिक मजबूत बनाने के लिये इस धन राशि को व्यय किया है।

सरकार ने कर्जे ले लेकर इस देश को विदेशी तथा स्वदेशी ऋण दाताओं के हाथों में गिरवी रख दिया है। 1950–51 में हमारे ऊपर 2,865 करोड़ रुपये का ऋण था जो कि अब बढ़कर 8,415 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति ऋण ग्रस्तता 400 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि हमारी जनसंख्या में 25 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

अब तक लिये गये कुल कर्ज में विदेशी ऋण का भाग 3,398 करोड़ रुपया है। इस बजट में करों द्वारा 2,760 करोड़ रुपये तथा पूंजी बजट द्वारा 2,277 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने का सुझाव है। मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। सरकार फिजूल खर्चियां करती चली जा रही हैं। सरकार ने परियोजनाओं से होने वाले लाभों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। सरकार से मितव्ययिता नहीं हो पाई है। सरकार ने परियोजनाओं पर 1,800 करोड़ रुपये खर्च किये हैं परन्तु 1.5 करोड़ का लाभ हुआ है और अग्रेतर विकास के लिये देशी संसाधन नहीं जुटाये जा सके हैं। फिर भी सरकारी उपक्रमों में 400 करोड़ रुपये और लगाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने देश के विकास के लिये स्वदेशी व विदेशी ऋण लिया है परन्तु कोई विकास नहीं हो सका है। 5,078 करोड़ रुपये का स्वदेशी ऋण है और 3,396 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण तथा लघु बचत से प्राप्त 2,806 करोड़ रुपये की राशि को मिला कर कुल 11,280 करोड़ रुपये का ऋण है।

यह सरकार दीवालयापने से खेलती है और यह रुपया लगाने वालों में विश्वास पैदा नहीं कर सकती। रुपयों के नोटों का प्रसार 1948-49 में 11,694 करोड़ रुपया था परन्तु 1965 में यह 27,180 करोड़ रुपया हो गया है। यह सरकार इस नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था को विकास का नाम देकर ठीक बतला रही है। सच यह है कि विकास के कार्यों से अधिक रुपया गैर-विकास के कार्यों पर व्यय हो गया है। 100 करोड़ रुपया से अधिक तो महंगाई भत्ते के देने पड़ते हैं।

जन साधारण की बात लीजिये कि बजट के बारे में उनका विचार क्या है। क्या तीसरी योजना की अवधि में उनकी हालत सुधरी है? बिल्कुल नहीं। उन्हें बड़े नगरों में रहना पड़ता है जहां कि खर्च खेतीहर श्रमिकों से अधिक करना पड़ता है। वहां नगरों में कठिन परिस्थितियां हैं और फिर उनका आन्दोलनों में भाग लेने से शिकार हो जाता हैं।

इस देश में तो इंजिनियर भी बेरोजगार हैं हालांकि यह कुल मिलाकर इतने इंजिनियर हैं जितने कि अमरीका प्रति वर्ष प्रशिक्षण देकर तैयार करता है। जब प्रशिक्षित इंजिनियरों की यह स्थिति हो तो औद्योगिक श्रमिकों की हालत का आप भली भांति अन्दाजा लगा सकें।

[श्री रंगा]

सरकार ने खेतीहर मजदूर और किसानों के लिये क्या किया है? कुछ भी नहीं। उनकी दशा अब भी वहीं है जो स्वाधीनता से पूर्व थी। सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से खाद्य सहायता की बात करके जोकि 700 करोड़ रुपये की है, यहां के गरीब किसानों की दशा खराब कर दी है। फिर भी यहां के किसान अपनी पैदावार जोकि 1950-51 में 5 करोड़ 50 लाख टन थी से बढ़ा कर 1964-65 में 8 करोड़ टन कर दी है। उन्हें उर्वरक देने का वचन दिया परन्तु वह भी वचन के अनुसार पूरा नहीं दे सके। उसम से 33 प्रतिशत कम दिया। जापान में तो अपने एक एकड़ भूमि में 270.2 किलो ग्राम है परन्तु हमारे देश में तो यह केवल 2.4 किलोग्राम है। सरकार न अन्न वे बारे में कमी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है। जब उत्पादन अधिक था तब भी यह बाहर से अन्न मंगा रहे थे। पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी परन्तु फिर भी 60 लाख टन अन्न आयात किया। इस खराब स्थिति वे कारण क्या हैं? क्षेत्रीय पाबन्दियां, नियंत्रण चाहे वह किसानों के स्तर पर हो अथवा मिल मालिकों के स्तर पर हो वही इसके जिम्मेदार हैं।

अब मध्यम वर्गीय स्तर के लोगों को लीजिये। वे हमारे आर्थिक ढांचे के केन्द्र हैं। क्या वे प्रसन्न हैं? उनकी दशा तो सब से खराब है क्योंकि उन्हें खाने, पहनने तथा अन्य रिवाजों में एक स्तर पर रहने की आदत है। परन्तु वे इस सब को शान्ति से सहन कर रहे ह। श्रमिक लोगों की तरह उनके पास तो अधिक तर एक ही व्यक्ति कमानेवाला है।

क्या व्यापारी सन्तुष्ट हैं? व्यापारी वर्ग तो सरकार की नीतियों से इतना असन्तुष्ट है कि वे उद्योगों का विकास ही नहीं कर रहे। उनके लिये रुपया लगाने को कोई प्रोत्साहन नहीं है। इस लिये वह अगुआई तथा नय कारोबार आरम्भ करने से बचते हैं।

इस लिये सरकार को क्या करना चाहिये? सरकार को चाहिये कि देश म कानून तथा व्यवस्था बनाये रखे और वह सामाजिक सेवायें दें जोकि भौतिक अधिकारों तथा निदेशन सिद्धातों को कार्यान्वित कराने में आवश्यक हों।

सरकार विरोधी दलों के सहयोग की बात तो करती है परन्तु यदि वह वास्तव म ऐसा सोचती तो उनके कार्य म भिन्नता होती। जब वह अपने ही असन्तुष्ट गुटों से सहयोग नहीं ले सकते तो फिर विरोधी दलों से तो सहयोग की बात ही क्या करनी।

हम इस सरकार से यह चाहते हैं कि प्रशासन में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आप सरकार के सचिव तथा संयुक्त सचिवों आदि से पूछिये और वह आपकों बतलायेंगे कि कितना राजनतिक हस्ताक्षेप उन पर होता है। मुन्दडा कांड में पता चल गया कि मंत्री अपने अधिकारियों स कहते है कि उनकी मर्जी के अनुसार चलें।

लाइसेंस, कोटा तथा परमिट देना एक गर-राजनैतिक न्यायिक संस्था के हाथ में होना चाहिये। यह कार्य आयात तथा निर्यात के परमिट देने तथा लाइसेंस देने में लागू हो। पंचायतों को अनुदान देना एक ऐसे आयोग को दिया जाय जिस पर सारे दलों के प्रतिनिधि हों। राजनीतिकों में से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिय एक "ओम्बडसमन" होना चाहिये। सरकार को तो केवल मुख्य नीतियां ही निर्धारित करनी चाहियें उनको कार्यान्वित करना एक न्यायिक आयोग को सौंपना चाहिये।

हमारी मांग यह है कि कृषि से उत्पन्न हुई वस्तुओं को न्यूनतम तथा पारिश्रमिक मूल्य देने चाहिये। खाद्यान्नों के बारे में भोक्ताओं, उत्पादकों तथा व्यापारियों के बीच बातचीत होनी चाहिये। इस पर जो क्षेत्रीय नियंत्रण है व तुरन्त हटने चाहिये।

सरकार को चाहिये कि निरक्षरता के विरुद्ध अभ्यान आरम्भ करे । इस कार्य में यह 18 वर्ष से विफल रहे हैं ।

यदि हमारी सरकार बनी तो पहला कार्य हमारा यह होगा कि हम भूमि लगान कम करने के साधन खोज करेंगे । एक दो वर्षों में भूमि लगान समाप्त कर सकेंगे और सिंचाई की दर भी समाप्त कर देंगे । इस प्रकार स्वर्गीय प्रधान मंत्री की हम इच्छा पूरी करेंगे ।

क्या हम योजना के विरुद्ध हैं ? बिल्कुल नहीं । मेरे मित्र श्री मसानी ने इसका उत्तर भी दे दिया है । उन्होंने कहा कि हम रूस की ढंग की योजना नहीं चाहते जिसमें भारी उद्योगों पर तो जोर दिया जाये परन्तु लघु उद्योगों का तथा कृषि को प्राथमिकता न दी जाये ।

क्या हम करों के विरुद्ध हैं ? बिल्कुल नहीं । साथ ही हम सरकारी उपक्रमों को निजी उपक्रमों से प्राथमिकता नहीं देंगे । हमने सरकारी उपक्रमों में 1,600 करोड़ रुपया लगा दिया है और नतीजा उसका बहुत खराब निकला है । हम तो नीजी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने में विश्वास रखते हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि हम सारे सरकारी उपक्रमों का अराष्ट्रीयकरण करेंगे । जिनका प्रबंध ठीक प्रकार नहीं चल रहा है काफी समय से, केवल उन्हें हम निजी उपक्रमों को देंगे जो उन्हें ठीक प्रकार चला सकें ।

हम रेलों तथा सड़कों के यातायात को सुधारेंगे और उन में ठीक समन्वय पैदा करेंगे । सारे गांवों का जिलों तथा कसबों से मिलाना आवश्यक है ।

हम मुद्रा स्फीति नहीं करेंगे । यह हमारा मुख्य कार्य होगा । चाहे इस कार्य में एक दो वर्ष लग जावें परन्तु इसे समाप्त कर देंगे । हम जमीन का लगान समाप्त कर देंगे । हम मिट्टी के तेल से भी शुल्क समाप्त कर देंगे । साथ ही हम सोना नियंत्रण अधिनियम भी समाप्त कर देंगे क्योंकि इस का कुछ लाभ नहीं हुआ है । इस से सोने की तस्करी भी समाप्त नहीं हुई है ।

हम व्यापारियों को अपना शत्रु नहीं बनावेंगे । साथ ही हम उनका सहयोग मांगेगे । हम उन्हें अपना पहला शत्रु नहीं समझेंगे ।

जब यह कर समाप्त हो जावेंगे तो प्रश्न होता है कि विकास के कार्य कसे चलाये जावेंगे। यह कार्य हम विकास में आर्थिक दिशा सुधार कर करेंगे और रुपया को ठीक प्रकार लगाने से प्राप्त करेंगे ।

हमें आशा है कि 1967 में जनता इस सरकार को लात मारकर बाहर निकाल देगी क्योंकि इस ने बड़े गैर-जिम्मेदार तथा गैर-लोकतन्त्रीय ढंग से कार्य किया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप को पता है बजट तैयार करना ऐसा कार्य है जिसमें बड़ी कठिनाईयां हैं । परन्तु मैं श्री चौधरी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने साहस से काम लिया और एक सन्तुलित बजट सभा के सामने रखा है ।

आपकी अनुमति से मैं इतना कह दूं कि पहले तो "समाजवादी ढंग" शब्द पर जोर था परन्तु तीसरी योजना में यह जोर समाजवाद पर था जिसका अर्थ साधारण जनता की स्थिति सुधारना था । प्रत्येक को बराबर का अवसर मिलना चाहिये तथा सब का लाभ में भी सांझा हिस्सा होना चाहिये । विशेषाधिकार तथा शोषण समाप्त होना चाहिये । निजी लोगों के पास आय की एक हद्द होनी चाहिये विशेषकर शहरी सम्पत्ति में और दायागत जायदाद में । निम्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये । (1) रहनसहन न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर होना चाहियें ।

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

(2) पैदावार की क्षमता में संस्था के तौर पर बदल होनी चाहिये। (3) आय तथा धन की विषमता में कमी हो ; (4) समान अवसर मिलने चाहिये। और (5) आर्थिक शक्ति का निजी हाथों में केन्द्रीयकरण समाप्त होना चाहिये।

मैंने कांग्रेस के गुन्टूर अधिवेशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे सर्व सम्मति से पास किया गया। वह था कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना। परन्तु अब विरोध सुनने में आ रहा है कि उस पर अमल नहीं हुआ और इसलिये इस पर दुःख प्रकट हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि इस का बिना स्वयं कमाई हुई आय पर 90 प्रतिशत कर लगना चाहिये इस प्रकार आय की विषमता कम की जानी चाहिये।

बंगाल के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को एक छपा हुआ प्रतिवेदन दिया है। उन में बहुत असंतोष है। उन से कहा गया है कि धन की कमी के कारण उनकी मांग पूरी नहीं होगी। शिक्षकों ने हड़ताल करने की धमकी दी है। शिक्षकों के असंतोष का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है।

हम देखते हैं कि मूल्यों के बढ़ने का प्रभाव निश्चित आय वाले वर्ग के लोगों पर बुरा पड़ रहा है। जितना महंगाई भत्ता बढ़ता है उतने ही मूल्य बढ़ते है बल्कि उन से आगे ही रहते है। यह स्थिति श्रमिक वर्ग की है जिस से मेरा संबंध है। इसलिये ऐसे उपाय करने चाहियें जिससे आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित दामों पर निश्चित आय के वर्ग को देना चाहिये।

थोड़ी आय वाले लोग तथा मध्यम वर्ग के लोग रहने को मकान मांग रहे है। 93,000 सरकारी कर्मचारियों में से केवल 35,000 लोगों को मकान दिये गये हैं। 60,000 कर्मचारि तो अब भी वंचित हैं। अब तो मकान प्राप्त करने के लिये पगडी देनी पड़ती है। इस लिये मैं फिर कहता हूं कि बिना कमाये धन का 90 प्रतिशत भाग करों द्वारा ले लेना चाहिये ताकि वह धन उन लोगों के लिये मकान बनाने के काम आ सके जिन के पास मकान बनाने के साधन नहीं हैं।

शरणार्थियों की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को जहां तक बंगाल के शरणार्थियों का संबंध है, सुलझाने के लिये मैं ने कहा था कि 950 करोड़ रुपये से इसे सुलझाया जा सकता है। परन्तु श्री ति० त० कृष्णमाचारी भी, जिनके सामने मैं ने यह बात रखी, सरकार से अलग हो गये। पश्चिमी बंगाल में इस समय 43 लाख शरणार्थी हैं और 90 लाख अभी आने का इन्तजार कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार इस समस्या को केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना हल नहीं कर सकती।

गृह-कार्य मंत्री पीछे कलकत्ता गये और वह वहां बुद्धिमान लोगों से मिले और उन्हें वहां के लोगों के दुःखों का पता चला। ऐसे ही वह दिल्ली में भी गत सर्दी की ऋतु में गये और वहां एक व्यक्ति ने पूछा कि "आप ने हमारे लिये गत 18 वर्षों में क्या किया?" वह व्यक्ति उस समय मर रहा था परन्तु फिर भी वह कह रहा था। इसलिये इन पर संजीदगी से विचार करना चाहिये।

हमें इन समस्याओं से छूटना है तथा यह दिखाना है कि हम अपनी नीतियों को पूरा करेंगे।

श्री रामेश्वर राव (गढ़वाल) : वित्त मंत्री का बजट बनाने का कार्य बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे देश में एक ओर तो रक्षा की मांग तथा दूसरी ओर विकास के कार्य हैं, जो बहुत आसान नहीं है। फिर भी वित्त मंत्री ने यह कार्य बड़ी निपुणता से किया है।

श्री मसानी ने कोई नई बात नहीं कही है। वही बात कही है जो पिछले कई सालों से कहते चले आ रहे हैं। ऐसे ही श्री ही० ना० मुकर्जी ने भी बड़े हारे हुये व्यक्ति की बात कही। श्री नाथ पाई आंकड़े पेश करते रहे। वैसे तो जो उन्होंने कहा है उसम कुछ तथ्य भी है। परन्तु हमें, पूरी तस्वीर का अन्दाजा लगाना है।

मेरी समझ में नहीं आता कि हमने आर्थिक समाजवाद को कैसे छोड़ दिया है जैसा कि आरोप श्री मुकर्जी ने लगाया है। श्री नाथ पाई ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र-संघ के सर्वेक्षण के अनुसार बिना विकासित देशों में सब से नीचे रखा गया है।

श्री नाथ पाई को याद होगा कि तीन वर्ष पूर्व इसी प्रकार के सर्वेक्षण ने भारत के उत्पादन की दर को ऊंचा रखा था। पिछले वर्षों में चीन ने आक्रमण किया है और उस कारण हमें करों को बढ़ाना पड़ा।

यह भी अचम्भे की बात है कि पूंजी बाजार को जो धक्का पहुंचा था, उस से वह अब भी संभल नहीं पाया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ वह और जो सूखा पड़ा जैसा कि गत सौ वर्षों में भी नहीं पड़ा था, उससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पडा है। वित्त मंत्री ने कुछ मानसिक परेशानियां दूर कर दी हैं जैसे कि बोनस अंशों का कर।

मेरे विचार में यह आरोप भी ठीक नहीं है कि वित्त मंत्री ने बड़े बड़े पूंजी पतियों को प्राथमिकता दी है। आय कर में 24 करोड़ रुपयों का कम होना तथा नियमित क्षेत्र से 43 करोड़ का कर और हटाया जाना कोई बड़ी भारी छूट नहीं है।

साथ ही यह बात भी सत्य है कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो कुछ राष्ट्रों ने सहायता देना बिल्कुल बन्द कर दिया। हम अपनी अर्थ व्यवस्था के चलने का एक वर्ष अथवा दो वर्षों में ठीक पता नहीं लगा सकते। इसके लिये तो हमें पिछले 15 वर्ष से चलते कार्यों को देखना होगा। पिछले 15 वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन 70 प्रतिशत बढ़ गया है। पटसन का उत्पादन 50 प्रतिशत तथा कपास का 60 प्रतिशत और सामान्य उत्पादन 140 प्रतिशत बढ़ गया है। केवल मशीनरी का उत्पादन 800 प्रतिशत हुआ है और बिजली का 300 प्रतिशत। राष्ट्रीय आय 60 प्रतिशत बढ़ी है। इन बातों से हमारी आर्थिक उन्नति तथा विकास का पता चलता है। उनसे कहीं भी यह नहीं दिखाई देता कि यह देश दिवालिया हो गया है अथवा हमारी अर्थ व्यवस्था में रुकावट आ गई है। मैं उन आलोचकों के साथ सहमत होने को तैयार हूं कि बहुत अधिक प्राप्त नहीं हुआ है। भारत जैसे देश में यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत हो गया है। अभी बहुत कुछ करना है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि काफी प्रगति हुई है। सरकार ने अगले वर्ष 200 करोड़ रुपये के कर लगाने की बजाय 100 करोड़ रुपये के कर इस वर्ष लगा दिये हैं और 100 करोड़ रुपये के कर अगले वर्ष लगा दिये जावेंगे।

यह भी कहा गया है कि निर्धनों पर अधिक कर लगाया गया है। परन्तु तम्बाकू, हल्के डीज़ल तथा अच्छे कपड़े पर लगाये गये करों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग़रीबों पर कर हैं। चीनी पर कर ग़रीबों पर कर लगाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग़रीबों का खाना तो गड़ है। यदि सारे अप्रत्यक्ष कर जो इस वर्ष लगाये गये हैं उसे गरीबों पर कर लगाना कहा जावे तो यह भी केवल एक रुपया प्रति व्यक्ति आता है।

श्री के० दे० मालवीय ने सरकार की उर्वरक नीती का खंडन किया है। इस समय हम देश में 3 लाख टन नाईट्रोजन उवरक उत्पन्न कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त 3 लाख टन उर्वरक हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता तो 12 लाख टन उर्वरकों की है।

[श्री रामेश्वर राव]

मेरे क्षेत्र के किसानों को तो उर्वरक प्राप्त करने के लिये चार पांच गुना मूल्य देना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति देश के दूसरे भागों में होगी। यदि आपको अधिक अन्न उगाना है तो आपको अधिक उर्वरकों का उपयोग करना होगा। मुझे वास्तव में हैरानी होती है कि श्री मालवीय सरकार से बाहर जाने के पश्चात् हर मौके पर सरकार का विरोध करते हैं।

मेरे विचार में देश की आर्थिक तथा कृषि स्थिति को सुधारने के लिये हमें अपने आदमियों को विचारधारा को बदलना होगा। जब तक हमारे देश के लोगों की बुद्धि आधुनिक नहीं होगी हम पिछड़ हुए रहेंगे। यह जो पंजाब, बंगाल, दिल्ली आदि में हो रहा है वह तो संकुचित बुद्धि की निशानी है।

अब आप पशुओं का ही उदाहरण लीजिये। वैसे तो हम सब पशुओं के पुजारी हैं परन्तु देखिये कि हम अपने पशुओं की देख भाल किस प्रकार कर रहे हैं? यदि मैं कहूं कि 20 करोड़ पशुओं को मार दिया जावे और उनकी खाल को निर्यात करें तथा उसके खून और हड्डी को उर्वरक बनाने के काम में लाओं, तो मेरे पीछे लोग शोर मचा कर पीछे पड़ जावेंगे और पत्थर फकेंगे। यह है हमारे विचार में कमी। इसके लिये हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस दिशा में विचार करे।

श्री लोलाधर कटकी (नवगांव) : मैं वित्त मंत्री को एक यथार्थ वादी बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। मैं इसे इसलिये यथार्थवादी बजट कहता हूं क्योंकि इसमें इस समय की आर्थिक स्थिति का ठीक अनुमान लगाया गया है तथा उन उद्देश्यों तथा नीतियों का भी, उल्लेख है जिनका उल्लेख स्वयं आर्थिक समीक्षा में किया गया है। उन उद्देश्यों को समय समय पर सदन के सम्मुख रखा गया है तथा सदन ने उनका समर्थन किया है। वित्त मंत्री ने इस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आगामी आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए यह सब किया है।

वित्त मंत्री ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमें विदेशी आक्रमणों से देश को बचाना है। साथ ही चीन से खतरा बना हुआ है। इस कारण उन्होंने रक्षा के कार्य के लिये 29 करोड़ रुपया निर्धारित किया है। इसी प्रकार सीमाओं की सुरक्षा के लिये 14 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके बावजूद उन्होंने घाटे की अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया है। यही कारण है कि उन्होंने अतिरिक्त कर लगाने के सुझाव रखे हैं।

वित्त मंत्री ने यह कोशिश की है कि कर का बोझा किसी विशेष वर्ग के लोगों पर न पड़े। इन्हीं कारणों से मैंने इस यथार्थवादी बजट कहा है।

सदन के भिन्न भिन्न वर्गों ने बजट की आलोचना की है। यह स्वाभाविक ही था कि स्वतन्त्र दल तथा साम्यवादी दल के सदस्यों को इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी।

खाद्य समस्या बहुत गंभीर है। सरकार ने सभा तथा देश से कहा है कि क्या क्या कदम उठाये गये हैं। मैं तो सरकार तथा योजना आयोग को सुझाव दूंगा कि कृषि की एक द्विवर्षीय योजना हो। वैसे तो खाद्य तथा कृषि की समस्या तब से है जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं। पहली योजना में तो इस बात का ध्यान भी रखा गया कि हम खाद्य तथा कृषि में आत्मनिर्भर हों परन्तु हम इसे प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी तथा तीसरी योजनायें भी इसमें विफल हुई। पता नहीं कि चौथी योजना इसका ध्यान रखेगी अथवा नहीं। इस लिये मेरा कहना यह है कि क्यों न हम अब खाद्य तथा कृषि को सुधारने के लिये योजना से दो वर्ष के लिये आराम लें। यह हमारे आर्थिक विकास के लिये बहुत ही आवश्यक है। उसके पश्चात हम विकास तथा

प्रगति के दूसरे क्षेत्रों को लेंगे। मेरे विचार में तो यह एक बद्धिमता का कदम होगा। मैं वित्त मंत्री, योजना मंत्री तथा योजना आयोग और सरकार सब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।

अपनी योजनाओं में एक तो यह कमी है कि इन में क्षेत्रीय विषमता है। एक के बाद दूसरी योजना में हम ने कहा कि हम विभिन्न समुदायों के बीच की विषमता दूर करेंगे। संविधान में भी कहा है कि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ वर्ग के लोगों को दस वर्षों में ऊपर उठायगे। हम ऐसा नहीं कर सके और इस कारण यह अवधि बढ़ानी पड़ी। जब तक हम इन समुदायों को नहीं उठायेंगे तब तक हम उन्हें राजनीतिक बराबरी नहीं दे सकते।

एकाधिकार आयोग ने कहा कि धनी और अधिक धनी हो गये तथा निर्धन और अधिक निर्धन हो गये। फिर इस योजना का क्या लाभ हुआ? मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिये।

देश के विभाजन से आसाम, नेफा, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा के क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हो गयी है। आसाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि वहां के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय सब से कम है और प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत भी सब से कम है। विशष बात यह है कि यह क्षेत्र चारों ओर से विदेशों से घिरा हुआ है और उनमें से दो तो हमारे देश के मित्र नहीं है। यदि हम इस क्षत्र की आर्थिक तथा राजनीतिक दशा नहीं सुधारेंगे तो फिर यह रक्षा में कैसे हमारा गढ़ होगा। मिजो जिले में तो संचार के कोई साधन नहीं है। इसी कारण हम वहां अपनी सुरक्षा सेना भी आसानी से नहीं भज सकते। वहां खाद्य उत्पादन में केवल एक मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना है। वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से सहायता की अपील की है। मुझे आशा है कि इस प्रार्थना पर विचार किया जावेगा। हमें नेताओं में पूरा विश्वास है कि हम यह सब समस्यायें केन्द्र की सहायता से सुलझा सकेंगे।

श्री गौरी शंकर कक्कड (फतहपुर) : प्रति वर्ष देश में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि जैसे ही कर बढ़ते हैं वैसे ही मूल्य भी बढ़ जाते है। ऐसा दिखाई देता है कि करों तथा मूल्य वृद्धि में होड़ लगी हो। समझ में नहीं आता कि महंगाई भत्ता देने में कौनसी बुद्धिमत्ता है।

केन्द्र तथा राज्यों में जो बजट प्रस्तुत होते हैं उनसे जो कर लगते हैं, वह निर्धनों की स्थिति को और अधिक खराब करते है। डीज़ल तेल, चीनी, तम्बाकू आदि पर लगाये गये करों का प्रभाव सब से अधिक गरीबों पर पड़ता है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस की कार्य-कारिणी समिति में घोषणा की कि यहां अधिक कर लगाने की गूंजाइश नहीं है। फिर भी सरकार ने नये कर लगा दिये हैं।

कृषि को ही लीजिये, इस पर 0.6 प्रतिशत व्यय होता है और गरीब किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऋण देने के अल्पकालिक साधन इतने लाभ दायक नहीं होंगे। क्यों नहीं मध्य कालीन तथा दीर्घ कालीन ऋण दिये जाते जिससे कि कुछ रचनात्मक लाभ हो। मूल्य तो बहुत ही बढ़ गय है।

सहकारी समितियां जो कि बहुत वर्षों से रजिस्टर्ड हैं, उन्ह चीनी उत्पादन के लाईसेंस नहीं दिये गये हैं। मुझ स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के वह शब्द याद हैं कि कांग्रेस राज्य के 12 वर्षों में कुछ पूँजी पति इतने अमीर हो गये है जितने कि वे अंग्रेजों के 100 साल के राज्य में होते। निर्धन तो और अधिक निर्धन हो गये हैं प्रशासन पर व्यय बढ़ता ही जा रहा है। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

[श्री गौरी शंकर कक्कड]

पिछले कुछ महीनों में देश में बहुत खून खराबा तथा अराजकता हुई है। फिर भी देखना यह है कि आखिर यह लड़ाई, झगड़े क्यों होते हैं। अपने ही नागरिकों को गोली मार कर समाप्त करना न्याय नहीं है। मैं इस हिंसा को ठीक नहीं कहता। उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। फिर भी सरकार को ठंडे दिमाग से इस पर विचार करना चाहिये।

यदि केन्द्रीय सरकार वास्तव में समाजवादी ढंग के समाज में विश्वास रखती है तो उन्हें बजट में वह कदम उठाने चाहिये जिस से साधारण व्यक्तियों को सहारा मिले।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट के समय हम देश की आर्थिक व्यवस्था की छानबीन करते हैं। विरोधी दल जो आलोचना करते हैं उस से हम लाभ उठाते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मूल्य नहीं बढ़े हैं।

परन्तु विरोधी दल तो उन से अपने ही परिणाम निकालते हैं। श्री रंगा निजी उपक्रमों का समर्थन कर रहे थे। साथ ही उन्होंने किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। परन्तु निजी उद्योग कृषि में भी बढ़ता जा रहा है और उसके बारे में श्री रंगा ने कुछ नहीं कहा।

ऐसे ही श्री कृपालानी, जिनके लिये मेरे मन में बड़ा आदर है, कहते हैं कि जनता को विद्रोह करना चाहिये। क्या इस प्रकार हमारी खाद्य तथा मिट्टी के तेल की समस्या हल हो जावेगी। मेरे विचार में विरोधी नेता सब से बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं, वह यह है कि यह लोगों के मनोबल को समाप्त कर रहे हैं। इसी मनोबल पर ही तो राष्ट्र खड़ा रहता है। वह यह धारणा उत्पन्न करते हैं कि सरकार बड़ी निकम्मी है।

विरोधी दलों को चाहिये कि वह रचनात्मक आलोचना करें। ऐसी आलोचना की आजकल कमी भी है।

मैं अभी तक "केन्द्र की नीति" को नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे सामने सीधी सी बात है और निर्धारित नीति है। कांग्रेस की नीति में कोई बांया या दांया नहीं है। वहां केवल लोकतन्त्रीय समाजवाद है।

हमें अपनी नीतियों को प्रगतिशील बनाना चाहिये और उनमें किसी प्रकार की कट्टरता नहीं होनी चाहिये। हाल ही मे एक मंत्री महोदय ने कहा था कि हम प्रतियोगिता में विश्वास रखते ह परन्तु हमारे देश में स्थिति कुछ ऐसी है कि स्वस्थ प्रतियोगिता चल नहीं सकती क्योंकि यहां पर एकाधिकार की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। हमारे देश में आर्थिक विषमता बहुत अधिक है। इस लिये अपने विचारों को व्यक्त करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये।

हमारे देश का व्यापारी वर्ग भी कभी कभी ऐसी बात करने लगता है जो बहुत आकर्षक होती है परन्तु वास्तव में मजदूरों के हित में उनमें कुछ भी नहीं होता। सरकार को समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिये। बड़े बड़े कुछ व्यापारी लोगों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है और अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग अबाध अर्थ व्यवस्था की बात करते हैं परन्तु वे इस कथन द्वारा छिपे धन की अर्थ व्यवस्था को प्रात्साहन देना चाहते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि कुछ नियन्त्रण होना आवश्यक है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अनावश्यक नियंत्रण समाप्त कर देने चाहिये परन्तु खेद है कि आवश्यक वस्तुओं पर भी नियंत्रण ठीक प्रकार से लागू नहीं किये जा रहे हैं।

हमें सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र को एक समान नहीं समझना चाहिये। सरकारी क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक है और उसे गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। हमारे मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों को इन विषयों पर ठीक प्रकार से बात करनी चाहिये। यदि हम अपनी निर्धारित नीति पर ठीक प्रकार से कार्य करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और देश प्रगति कर सकेगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : वित्त मंत्री महोदय का काम बहुत कठिन है। उन्हें अर्थ व्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार करना है। उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। आजकल हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। हमारे देश में 18 वर्षों से योजनाएं चल रही है परन्तु उनकी कार्यान्विति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। इस का परिणाम हमारे सामने है। हमें अपनी प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण करना चाहिये। यहां पर यह मांग की जाती है कि देश के उद्योगों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मैं इस मांग को उचित नहीं समझता क्योंकि इस से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें अपने कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिये। भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये और काम में कार्यकुशलता लानी चाहिये।

कुछ लोगों का विचार है कि समाजवाद के द्वारा हमारी सभी कठिनाईयां दूर हो जायेंगी। एकाधिकार आयोग ने यह भी कहा है कि एकाधिकार से उद्योगों में प्रगति भी होती है। हां, सरकार को देखना चाहिये कि इस से कोई व्यक्ति अनुचित लाभ न उठाये। सरकार को अपने हाथ में अधिकाधिक कार्य लेना चाहिये। गांधीजी भी चाहते थे कि आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिये।

हम दो तरीकों से समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। एक तो सम्पत्ति के स्वामित्व से लोगों को वंचित कर देने से और दूसरे वित्तीय तथा कल्याणकारी तरीकों से। सरकार को दूसरा तरीका अपनाना चाहिये। हमने समाजवाद अपना लक्ष्य बनाया है परन्तु इसे प्राप्त करने के बारे में हम स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं जानते। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बिकट है। सब से पहले तो इसका समाधान होना चाहिये।

मैंने कहा है कि हम अपनी नीति का पुनरीक्षण नहीं करते हैं। इस का एक उदाहरण खाद्यान्नों की क्षेत्रीय व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस लिये की गई थी ताकि कमी वाले राज्यों को अनाज मिलता रहे। परन्तु यह नीति असफल रही है। मैं यह भी नहीं चाहता कि अनाज के लाने ले जाने तथा वितरण आदि का पूरा काम सरकार अपने हाथ में ले लें। मेरा सुझाव है कि बड़े बड़े क्षेत्र बनाये जायें। इससे कमी वाले राज्यों को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

मैं कृत्रिम उर्वरक के पक्ष में नहीं हूं। इसके लिये हमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। हमें देशी उर्वरक का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिये। हमें उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल देना चाहिये। इस समय यही हमारी सब से बड़ी आवश्यकता है। मुझे खेद है कि कुछ राजनैतिक दल जनता को गलत मार्ग पर लिये जा रहे हैं। बंगाल में हुए दंगे वास्तव में अनाज के लिये नहीं थे। वहां पर की गई तोड़फोड़ की कार्यवाही इस बात की द्योतक है कि वहां पर अनाज की कमी के कारण यह कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि देश को सतर्क रहना चाहिये।

आज देश के विधान मंडलों में भी बहुत सी अवांछनीय घटनाएं होने लगी हैं। ये जनतन्त्र के विरुद्ध हैं। इस बारे में स्थिति में सुधार होना चाहिये।

श्री वैं० तेवर (तंजावूर) : श्रीमान हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके अनुसार केवल अंग्रेजी या हिन्दी जानने वाले व्यक्ति ही संसद सदस्य बन सकते हों। मैं चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाने वाले भाषणों का 14 भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये और साथ ही साथ संसदीय समितियों में भी अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। इस समय जबकि देश को खाद्य उत्पादन बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है हमें कृषि उपकरणों के आयात की आज्ञा देनी चाहिये और इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जानी चाहिये।

मद्रास राज्य के थंजावूर जिले में लगभग 5 लाख एकड़ भूमी सिंचाई के अभावसे सूखी पड़ी है। जहां यह सुविधा उपलब्ध भी की गई है वहां भी वर्ष में पांच महीने सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस लिये म ये सुझाव देता हूं :—

1. भूमिगत पानी और नलकूप खोदने के लिये अनुसंधान की सुविधा का दिया जाना।

2. नलकूप का सामान उपलब्ध करने के लिये किसानों को वित्तीय सहायता का दिया जाना।

1966-67 के लिये जोरदार (क्रैश) कार्यक्रम के अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिये। तंजावूर जिले में पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत अल्पावधि के लिये दिया जाने वाले ऋण को एक हजार रुपये की सर्वाधिक सीमा को बढ़ाकर दो हजार रुपये किया जाना चाहिये।

किसान अकेला कीडों आदि से अपने खेतों की रक्षा नहीं कर सकता। सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये। मद्रास राज्य में सभी पंजायतें विकास कार्य करने में असमर्थ है। इसलिये निर्धन पंचायतें योजना कार्य नहीं कर सकती। अत: उत्तर प्रदेश की भाति वित्तीय रूप से पिछले क्षेत्रों में विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है। योजना कार्य पंचायत संघों के स्तर पर आरंभ किये जाने चाहियें न कि उच्चतर पर—जैसा कि इस समय हो रहा है और यही कारण है कि हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे। तामिलनाड में हाल के भयानक तूफानों से रामेश्वरम तथा अरनथांगी तालुकों में हजारों मछुए बेघर हो गये हैं और अनेकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। गत कई वर्षों से ऐसे तूफान आने के कारण मछुआ का समुदाय लगभग मिटता जा रहा है। यद्यपि सरकार उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में असमर्थ है परन्तु सरकार को कम से कम प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक केन्द्र खोलकर उसमें एक रेडियो और टेलीफोन आदि की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि खतरे के समय वे अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकें।

यद्यपि जीवन बीमा निगम बीमा पालिसी रखने वाले व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिये ऋण दे रहा है परन्तु देहातों में भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या कुछ कम नहीं है। वहां भी इस प्रयोजन के लिये ऋण का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम को आवास निर्माण के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर 6 1/2 प्रतिशत के स्थान पर केवल 2 प्रतिशत ब्याज लेना चाहिये और स्टेम्प शुल्क तथा कानूनी राय आदि का व्यय स्वयं निगम को उठाना चाहिये जैसा कि अन्य आवास निर्माण समितियां करती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अंग्रेजों के समय की जमीनदारों और इनामदारों की संस्थायें तो समाप्त कर दी है परन्तु खेद है कि देहात के प्रशासन में अभी भी मुन्सिफ आदि बने हुए है। ये गांव वालों के बारे में सरकार को ठीक जानकारी नहीं भेजते। इससे बेचारे ग्रामीणों को बहुत कठिनाई होती है। मैं चाहता हूं कि मुन्सिफ और करनम के पद समाप्त कर देने चाहिये। भू-राजस्व के एकत्र करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The present conditions in this country are very critical. I have been to Krishan Nagar and have met the parents of that child who was killed by bullet. I have heard just now that three persons have been burnt alive at Panipat. All this shows that things are going beyond control.

Now I want to say something about national debt. Almost all the countries have reduced their national debt during the last 13 years. It is only Germany and Japan whose national debt has increased. These two countries were almost completely destroyed. In the case of India, it has gone up by 50 per cent. It shows the miserable financial conditions of our country.

We are spending large sums of money on army. But I want you to think over this matter as to how our army is being used against our own people. We should make a principle that it would not be used against the people of our own country. In the event of armed rebellion, of course, army can be made use of. We know the ways of working of army in cantonment boards. There they do not care for the civilian members of cantonment Boards.

I have met the parents of the person who was killed in firing. I am against the destruction of public property. It will not serve any purpose. The Political parties and Revolutionary people should think of removing this Government by other methods. They should try to take possession of All India Radio, Secretariat and Arms Stores etc. **(Interruption)**

It is a fact now that India has discarded the principle of non-violence during the last 18 years. I do not preach violence but I urge upon all opposition Parties that they should take over the Power.

Our Government has resorted to firing for hundreds of times during these years. I think about 3000 or 4000 persons have been killed in this firing. I request all the parties that we should improve our standard. Our parties collect money from public for election, The ruling party does this by unfair means.

The foreign exchange position should be inquired into and it should be discussed here. Government should lay down its policies on unanimous opinions or majority opinions. It should not be done on the basis of concensus.

This was exposed when the question of printing the works of the late Shri Nehru was taken up. It has been said that the works of the late Shri Nehru will be printed at a cost of rupees 57 lakhs. The royalty will be paid to the heir who, I guess, is the present Prime Minister. But why should the heir get rupees six lakhs as royalty for nothing ? At least half of the books contain speaches and writings which the late Shri Nehru had delivered or written while he was Prime Minister of India. Besides, Government money will be spent on publishing his works. It is, therefore, very strange that the heir should still yet royalty on such works. Nowhere else in the world such thinge are happening yet the royalty will be paid to the heir. Such "looting" of money has been going on in this country for the last eighteen years.

Similar loot has also been going on in regard to land. The land purchased for the peasant at the rate of one rupee or so per yard sells at the rate of 50 to 150 a yard after a few years.

Due to establishment of public undertakings in Rourkela, Durgapur, Bhilai Bhopal, Vishakhapatnam and Haridwar, deposits in banks have also multiplied there. In Rourkela, the deposits were around rupees 137 lakhs in 1962 but the amount multiplied to rupees 930 lakhs in 1964. The employees, and officers deposit their salaries and the bankers earn a lot.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Here is a dhoti meant for the adivasis. The letter 'I' has been stamped on it which means that due to defect its price should be about 6¼% less. But the manufacturer has printed Rs. 6·79 as price on the dhoti. Actually this price is for fine dhotis. The manufacturer has therefore, looted in broad day light at least 6 to 7 Paise with your. permission I want to lay this dhoti on that Table of the House so that Government may take some action in the matter.

Besides, there are so manv articles which are controlled but similar articles are not controlled so that people make huge profits.

If the finance Minister tells to the House the number of tax payers between 6 months and 1 year of age, the House will come to know how profits are being 'looted'.

So whether it is the Prime Minister or Minister or busniessman this sort of loot has been going on for the last 18 years. In my opinion, the rubbish of all these 18 years shold be cleared and the Government should make a fresh start.

Government has been misusing the Defence of India Rules and the emergency laws. I want to cite the happenings at Krishnanagar when on the 4th, a fifteen years old boy died of police firing and later buildings were set on fire. I do not justify these misdeeds. What I want to emphasise is that when the Home Minister and the Prime Minister talk of abolishing these emergency laws and the Defence of India Rules, the bureaucracv and the Ministers of the States become upset Because they have become used to applying these laws. Hence these people created disturbances so that abolishing of these rules may not be possible at all.

Hence, considering all these things, the Defence of India Rules should be abolished.

Section 109 for the poor and section 109 of the Defence of India Rules are interchangeable. Today a poor man can be arrested any time on one ground or the other Government makes 50 lakhs of criminal due to this section 109. The police officials demand of each police station to arrest a fixed number of people. Unless section 109 is abolished, high handedness on the part of the officials and Government will not end.

Now I would take up the question of Hindi. I give equal respect to Hindi, Tamil, and Bengali. One Shri Ramesh Bhattacharya wanted to be selected for the Emergencv Commission. He was examined and found fit but on account of not knowing Hindi, he was not selected. In reply to my question on the 22nd November, 1965, the Defence Minister had replied that no written test were held for selection of candidates. Shri Bhattacharva savs that on the 14th Februarv 1963, he, along with other candidates, was first given a written test in English. So many a good and able persons are not selected only because thev do not know English.

I would now draw your attention to the wav the Lok Sabha is being misused. In reply to mv question regarding sovereignty of Kashmir, the Minister for External Affairs had said that there is no question of anv portion of Kashmir being given awav.

Later he said that if there is no hope of the other party accepting our point of view, then the talks become nothing. It means that they go to talk with the hope that Pakistan will accept their point of view; thev have to do nothing with the

Pakistani point of view. How far is it proper to conduct the proceedings of Lok Sabha in this way or saying such things? The talks should mean that we should present our point of view and also consider the other parties' point of view.

I have no opinion to express on the 'Punjabi Subha'. I have neither formed any opinion nor will I form any. The late Shri Nehru had written why I oppose the 'Punjabi Subha'? This has become a poison today. How can this poison be removed after 15 years of its continuous existence there?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : पिछले तीन या चार दिनों के वाद-विवाद से पता चलता है कि चूंकि अगले वर्ष चुनाव होनेवाले हैं, सारी चर्चा और आलोचनायें राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई है। जिन माननीय सदस्य ने अन्तिम भाषण दिया है उस से यह और भी पक्का हो गया है। उन्होंने लोकतंत्र की चुनाव की प्रक्रिया का ही मजाक नहीं उड़ाया अपितु ऐसा प्रतित होता है कि चुनाव में उनका विश्वास ही समाप्त हो गया है। मेरा विचार है कि शायद केवल वही एक ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यह मानते हैं कि चुनाव द्वारा देश की समस्यायें इस कारण नहीं सुलझाई जा सकती कि चुनावों की प्रक्रिया से सरकार को नहीं हटाया जा सकता। इसी लिये उन्होंने हिंसा और बल द्वारा सरकार को हटाएं जाने की बात कही है। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है।

अब मैं सभा के समक्ष बजट प्रस्तावों से सम्बन्धित कुछ मसलों पर अपने विचार रखूंगा। बजट की आलोचना विभिन्न दृष्टिकोणों से की गई है। एक आलोचना यह की गई है कि विकास से भिन्न कार्यों पर खर्चे बढ़ रहे हैं और यदि इनमें कमी कर दी जाएं तो अतिरिक्त करों की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात ठीक हो सकती है परन्तु इसे बहुत बढा-चढा कर कहा गया है। इस वर्ष विकास से भिन्न कार्यों पर खर्चे में दो या तीन कारणों से वृद्धि हुई है। 1961–62 में प्रतिरक्षा पर 290 करोड़ रुपये का व्यय था परन्तु इस वर्ष में 769 करोड़ रुपये है। पुलीस पर खर्चा तथा राज्यों को पुलीस के लिये अनुदान के अन्तर्गत खर्चा 22 करोड़ रुपये से 47 करोड़ रुपये हो गया है। तीसरा कारण यह है कि ऋणों पर ब्याज का भुगतान 1961–62 में 214 करोड़ या परन्तु अब बढ़कर 372 करोड़ रुपये हो गया है। इन तीनों कारणों से विकास से भिन्न कार्यों पर तीसरी योजना में कुल खर्चा 661 करोड़ रुपये हुआ है। अगले वर्ष में राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को दी गई राशियों को छोड़ कर, विकास के भिन्न कार्यों पर खर्चे केवल 95 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमे भी करीब 42 करोड़ रुपये की राशि ब्याज के भुगतान के लिये है। प्रतिरक्षा पर 29 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है और सीमा पुलीस तथा अन्य पुलीस पर खर्चे में 13 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों के कारण, कमी वाले क्षेत्रों को सहायता दिये जाने के कारण 11.5 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

कहा गया है कि चालू वर्ष के पुनरीक्षित बजट में राजस्व व्यय में 220 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पी०एल० 480 तथा अन्य संतुलन स्थापित करने वाली मदों को लिया जाये तो कुल योग 292 करोड़ रुपये आता है जिसमें से 144 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को दिये गये अनुदानों के कारण है। ऋणों पर ब्याज की अदायगी के कारण 66 करोड़ रुपये का व्यय है।

राष्ट्र निर्माण तथा समाज सेवा कार्यों पर 2,600, करोड़ रुपये के बजट में से 95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

दूसरी बात यह कही गई है कि प्रशासन पर व्यय में वृद्धि होती जा रही है। 1966–67 के वित्तीय वर्ष में वर्तमान वर्ष के मुकाबले 17,87 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि

[श्री ब० रा०भगत]

मुख्यतः सीमा पुलीस पर 14.7 करोड़ के व्यय के कारण हुई है। इस के अतिरिक्त अगले वर्ष के चुनावों पर 2.5 करोड़ रुपये तथा लेखापरीक्षा पर 1 करोड़ रुपये के व्यय के कारण भी वृद्धि हो रही है।

तीसरी योजना में कहा गया है कि वार्षिक व्यय में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इस वर्ष यह 2 प्रतिशत रहा है।

वास्तव में बात यह है कि यह प्रथम वर्ष है जिसमें हम यह दावा कर सकते हैं कि विकास से भिन्न खर्चों में कमी लाने के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं।

यह कहा गया है कि योजना के परिवय में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कम विनियोजन हुआ है। चूंकि विकास सम्बन्धी व्यय, निर्धारित व्यय हो गया है, विकास से भिन्न व्यय अधिक दिखाई देता है। ऐसा हर 5 वर्ष बाद होता रहता है। योजना के आरंभ में विकास सम्बन्धी व्यय, निर्धारित व्यय हो जाता है।

यह आलोचना की गई है कि 50% औद्योगिक समता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह किसी हद तक ठीक है क्योंकि पाकिस्तान के साथ पिछले संघर्ष के बाद कच्चे माल की कमी के कारण औद्योगिक क्षमता में काफी कमी आई थी। चीनी, कागज़, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और कोयला उद्योगों में हमें आत्मनिर्भर होना है। यह आयात पर आश्रित नहीं है। कपास की कमी के कारण सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन में कोई अड़चन नहीं आई है।

देशी कच्चे जूट की सप्लाई में कमी होने के बावजूद कुछ आयात करके निर्यात के लिये उत्पादन को बनाये रखा गया है विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इंजिनियरिंग उद्योगों तथा रासायनिक उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि इन उद्योगों को आयात किया हुआ आवश्यक कच्चा माल नहीं मिला है। इसी प्रकार उन उद्योगों में भी कमी रही है।

अक्सर हमारी अर्थ-व्यवस्था की तुलना अमरीका और रुस अथवा युरोप के देशों की अर्थ व्यवस्था से की जाती है। इन देशों में विकसित अर्थ-व्यवस्था है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं ने न केवल आधुनिक विकसित देशों की अर्थ व्यवस्था से तुलना की थी बल्कि पाकिस्तान से भी तुलना की थी। मैं ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान हम से कहीं अच्छी अवस्था में है।

श्री ब० रा० भगत : पाकिस्तान में आर्थिक विकास की दर भारत के मुकाबले अधिक है। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार बहुत छोटा है। वहां कृषि के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। इस समय पाकिस्तान की विकास की दर अच्छी हो सकती है। पिछले वर्ष हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर बहुत अच्छी थी।

हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार कहीं व्यापक है। हमारी विकास की दर अवस्था कठिनाइयों के कारण पिछड़ी हुई है। यह माना कि आज पाकिस्तान की विकास की दर हमारी विकास की दर से अधिक है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कमजोर है।

श्री मसानी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि अब यह स्थिति आ गई है कि जितना अधिक कर लगाया जायेगा उतनाही कम लाभ होगा। अतः जैसा केनेडी प्रशासन ने किया था, हमें भी करना चाहिये। हमें करों को कम कर के अच्छी अर्थ-व्यवस्था प्राप्त करनी

चाहिये। मैं कह रहा था कि ऐसा अमरीका जैसे प्रगतिशील देश के लिये ही संभव है जहां पूर्णतया मांग पर आधारित अर्थ-व्यवस्था है। वहां मांग बढ़ाने के लिये करों को कम करना पड़ता है परन्तु हमारे यहां दूसरी परिस्थितियां हैं। आज मांग की कमी के कारण उत्पादन निर्बन्धित नहीं है। इस के विपरित हम देखना है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का अनुचित दबाव न पड़े। हमें अपने विकास के लिये बचत में वृद्धि करनी चाहिये।

श्री मसानी ने कहा था कि बजट से मुद्रा स्फीति बढेगी क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों का उल्लेख किया है। श्री मसानी का यह विचार गलत है कि सब उत्पादन शुल्क मुद्रा स्फीति को बढ़ाने वाले हैं क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होती है। वह यह कहते हैं कि उत्पादन शुल्कों से मूल्य बढ़ेंगे और साथ ही यह भी कहते हैं कि अधिक करों के कारण मन्दी आयेगी। परन्तु मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री मुरारका ने निगम कर के बारे में कहा था कि किसी भी देश में यह कर 54 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कर की दर घरेलु कम्पनियों के लिये जिसमें जनता का रुपया लगा है, 55 प्रतिशित से अधिक नहीं है तथा एक ही परिवार के सदस्यों की कम्पनियों के लिये 65 प्रतिशित है विदेशी कम्पनियों के लिये अधिक से अधिक 70 प्रतिशत होगा।

ऐसे कुल लाँभों पर जिनपर कर लिया जा सकता है, अधिकर की दर 40 प्रतिशित से 35 प्रतिशित कर दी गई है।

कम्पनी, (लाभ) अधिकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी घरेलु कम्पनी की कुल आय के 70% भाग तक पर आय कर तथा अधिकर लगाया जा सकता है जिसमें जनता का पैसा लगा हो। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

श्री मुरारका ने एक या दो बड़े बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हम विदेशी ऋणों को अदायगी वस्तु के रुप में करें क्योंकि हमें ऋण भी वस्तु के रुप में ही मिलते है। पूर्व-योरोपियन देशों के साथ हम ऐसा ही कर रहे है परन्तु पश्चिमी देशोंके साथ ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। अतः यह अच्छा सुझाव है परन्तु इसको कार्यान्वित करना कठिन है।

उन्होंने कहा है कि कुछ वस्तुओं का जैसे धागो और आर्ट सिल्क धागे का आयात अनावश्यक है। हम धागे (स्टेप्ल फैबर) का आयात नहीं करते हैं। हां आर्ट सिल्क धागे का अवश्य आयात करते हैं। इसके लिये कृत्रिम रेशम के कपड़ों को निर्यात करने से उत्पन्न होने वाली हकदारी के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है। अन्यथा रेशमी धागे को आयात करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

श्री मुकर्जी ने कहा था कि 8.8 करोड़ रुपये के रासायनिक साबुन तथा औषधयुक्त प्रसाधन सामग्री का आयात किया जाता है। वास्तव में केवल 8.8 लाख रुपये के रासायनिक साबुन तथा औषधयुक्त प्रसाधन सामग्री का आयात किया जाता है। इससे काफी अन्तर पडता है।

बजट की आलोचना तीन दृष्टिकोणों से की गई है। श्री मसानी कहते हैं कि बजट से मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और यह विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर है। इस से देश को भारी हानि होगी। दूसरे, यह कहा गया है कि यह समाजवादी भावना के विरूद्ध है तथा कांग्रेस और सरकार

[श्री बी० रा० भगत]

के सारी नीतियों की अवहेलना करता है। तीसरी आलोचना यह की गई है कि इस बजट को उत्पादन-प्रधान बजट कहा गया है जब कि वास्तव में ऐसा नहीं है।

किसी वर्ष के बजट का मूल्यांकन करते समय आपको, यथार्थ स्थिति देखनी होगी। सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा आर्थिक विकास के बारे में राजकोषीय नीति का संकुचित दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिये। इन लक्ष्यों की प्राप्ति एक लम्बे काल में हो पाति है और हर बजट उसे समय की आर्थिक अवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ा सा अंशदान देता है। बजट की विभिन्न आलोचनाअें वर्तमान आर्थिक दशा से उत्पन्न होने वाले असंतोष के कारण हो सकती हैं। इस मे संदेह नहीं कि अभी हाल की अदृष्टपूर्व कठिनाइयों के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगा है। हमारी अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हो गई है कि समालोचना की काफी गुन्जाइश है और इसे रचनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिये। हमे देखना चाहिये कि बजट किस कठिन पृष्ठभूमि में पेश किया गया है।

मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि सरकार की नीतियों में कोई शिथिलता नहीं आई है और न ही सरकार आर्थिक विकास तथा समाजवादी समाज की रचना के लिये दिये गये वचनों से पीछे रही है।

मैं अब मुख्य समालोचना को लेता हूं जिसमें कहा गया है कि बजट समाजवादी भावना से परे है। परन्तु यह आलोचना सत्यता से बहुत दूर है। हमारा आदर्श क्या है? आर्थिक विकास असमानताओं को दूर करना तथा सब को समान अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था करना हमारे आदर्श हैं। उत्पादन के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गैर सरकारी सम्पत्ति अथवा क्षेत्र का समापन करना हमारे आदर्शों में नहीं आत। इस विषय पर श्री मुकर्जी को अपना अलग मत रखने का अधिकार है। वास्तविकता यह है कि बजट किसी भी प्रकार से कांग्रेस के आदर्शों से भिन्न नहीं है।

योजना के परिव्यय में तथा कथित कमी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि विनियोजन में कटौती की गई है जो समाजवादी आदर्शों के विपरित है।

अनावश्यक खर्चों में कमी की गई है और विकास की प्रगति को जारी रखने के लिये आधारिक तत्वों को बनाये रखा गया है।

हमने ऐसी व्यवस्था की है कि सरकारी क्षेत्र की प्रगति तथा सामान्य विकास में कोई बाधा न पड़े। हमारी आर्थिक व्यवस्था में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के कारण कुछ खर्चों में कमी की गई है परन्तु कृषि, विद्युत् शक्ति तथा मशीनें बनाने के साज़ सामान पर होनेवाले बुनियादी खर्चे में कोई कमी नहीं की गई है। बोकारो को छोड़ कर हमने कोई और लम्बे काम में पूरी होने वाली परियोजना नहीं स्थापित की है। यह इस बात का द्योतक है कि कुछ वर्षों से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी होने के कारण आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की संभावना हो जाने का हमें ध्यान है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान परियोजनाओं से पूरा लाभ उठाया जाये, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाये और बाद में तज गति से विकास किया जाये।

उदाहरण के लिये सरकारी क्षेत्र को लीजिये। कुछ वर्षों पूर्व इस में 250 करोड़ लगाया गया था परन्तु अब 900 करोड़ है। 1948–49 में 2.8 प्रतिशत था परन्तु अब 4.5 प्रतिशत है। प्रतिशत भाग कम दिखाई दगा क्योंकि इसमें कृषि शामिल नहीं है। सरकारी क्षेत्र में अधिकतर उद्योगही शामिल हैं। इस्पात, विद्युत शक्ति, बुनियादी उद्योग तथा रसायन उद्योगों में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रबल अंशदान रहेगा। इन सब उद्योगों में काफी प्रगति हुई है और अनेक वस्तुयें अब देश म ही बन रही हैं।

अब मैं आय तथा धन सम्बन्धी असमानताओं को लेता हूं। केवल राजकोषीय नीतियों से असमानतायें दूर नहीं की जा सकती। इसी प्रकार करों के लागाये जाने से यह पता नहीं लग सकता कि क्या कोई कर व्यवस्था प्रगतिशील है अथवा नहीं। हमें यह देखना होगा कि क्या लोगों को क्या लाभ हो रहे हैं। करों का बढ़ा भाग सरकारी क्षेत्र के विकास तथा सामाजिक गतिविधियों पर व्यय होता है। यह कहना भी गलत है कि इस वर्ष अतिरिक्त करों का भार गरीब लोगों पर पड़ रहा है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का प्रश्न है, 7,400 रुपये वार्षिक आय वाले लोगों को राहत दी गई है। इस से मध्यम श्रेणी के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा।

सिगार और सिगारटों पर उत्पादन शुल्क लगाने से ग्रामीण लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं और निर्यात का विकास करना चाहते हैं। चीनी पर उत्पादन शुल्क लगाने की बुनियादी उपपत्ति यह है कि निर्यात के खर्चे को उपभोक्ता सहन करे चूंकि चीनी के निर्यात के खर्चे को हमें ही सहन करना है और यह भारी अर्थ-साहाय्य देना है, यह सब खर्चे हमें ही सहन करने होंगे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस वर्ष की राजकोषीय नीति से आर्थिक असमानतायें और बढ़ेंगी।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि यह बजट उत्पादन प्रधान नहीं है। पिछले वर्ष तथा उस से पूर्व वर्ष में उत्पादन बढ़ाने के लिये काफी रियायतें दी गई थी। हमने अधिक उत्पादन के लिये करों में छूट तथा विकास सम्बन्धी छूट देने की व्यवस्था की है।

कृषि सम्बन्धी मशीनों के आयात के लिये आयात शुल्क में भी कमी की है। इस बजट में भी उसी नीति को अपनाया गया है।

अतः इन तीनों दृष्टि कोणों से बजट की जो आलोचना की गई है वह ठीक नहीं है।

ऐसा कहा गया है कि विनियोजन में कमी की गई है। इस वर्ष का योजना विनियोजन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है। यदि उस खर्चे को लिया जाये जो विकास भिन्न क्षेत्र में गया है तो विकास सम्बन्धी खर्चा तथा विनियोजन कम नहीं नजर आयेगा।

यह कहना भी गलत है कि यह बजट मुद्रा स्फीति जनक है अथवा इस से मन्दी आयेगी, अथवा यह विदेशी सहायता पर अधिक आश्रित है। श्री मसानी ने कहा है कि चूंकि 200 करोड़ रूपये का फालतू राजस्व है, करो को बजाय बढाने के घटाया जा सकता है। यह पूरानी विचार धाटा है जिससे अन्तर्गत पूंजी व्यव को करो तथा ऋण से पूरा न कर के केवल राजस्व से ही पूरा किया जाये। यह युद्ध से पहले का सिद्धान्त था यह कभी का खत्म हो गया है। अब 1966 में इस के बारे में कहे जाने पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तथा-कथित सिद्धांत बहुत समय पूर्व ही समाप्त हो गया है।

वास्तव में सरकार के कुल खर्चे को देखना चाहिये न कि राजस्व और पूंजी व्यय को। ऐसी आर्थिक व्यवस्था में जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, यह जरूरी है कि सरकारी बचत सरकार के फालतू राजस्व के अनुसार हो और सरकारी उद्योगों को बढ़ाया जाये ताकि विकास के लिये वित्तीय व्यवस्था की जा सके। हम ने भारत में ऐसा ही किया है और गैर सरकारी बचत को कोई हानि नहीं हुई है। सरकारी तथा गैर सरकारी बचत में वृद्धि हुई है क्योंकि कुल बचत में वृद्धि हुई है।

[श्री ब. रा. भगत]

करों द्वारा संसाधनों को गैर-सरकारी क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाता बल्कि उन संसाधनों के लिये उचित माध्यम की व्यवस्था की जाती है क्योंकि करों के बिना आय अनावश्यक मदों पर खर्चे हो जायेगी। वर्षों से हमारी ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास रहा है कि बचत का व्यय अनुचित ढंग से न हो।

मिट्टी के तेल के बारे में ऐसा नहीं है कि चूंकि हम आयात नहीं कर रहे है इस कारण मिट्टी के तेल की बनावटी कमी हो गई है, और हमने शुल्क बढ़ा दिया है बल्कि बात यह है कि इस समय चूंकि विदेशी मुद्रा की कमी है। ऐसी वस्तु को उपभोग में वृद्धि नहीं कर सकते जो अधिकतर आयात कर के मंगाई जाती है?

गत कुछ वर्षों से और विशेषतया पिछले दो अथवा तीन वर्षों से हमारी वित्तीय नीति यह रही है कि ध्यानाकर्षी अथवा अनावश्यक वस्तुओं की खपत में कमी की जाय और उन सब वस्तुओं की खपत में कमी की जाय जिन का उत्पादन हमारे देश में नहीं हो सकता तथा जिन्हे आयात करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना तथा करारोपण और अन्य उपायों द्वारा योजना एवं आर्थिक विकास के लिये धन का प्रबन्ध करना है।

यह आलोचना करना ठीक नहीं है कि हमारा आय-व्ययक अधिकतर विदेशी सहायता पर निर्भर है। श्री रंगा ने कहा है कि हम ने इस वर्ष गत वर्ष से अधिक ऋण लिया है, परन्तु वास्तविक यह है कि गत वष की तुलना में हम ने 140 करोड़ रुपये की कम विदेशी सहायता प्राप्त की है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है, जो वास्तव म सराहनीय है।

हम अपनी अर्थ व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हमें आत्मनिर्भर होने में कुछ वर्षों का समय लगेगा। आरम्भ में देश के विकास के लिये विदेशी सहायता आवश्यक होती है। परन्तु शीघ्र ही हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। हम सदा के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते। सहायता प्राप्त करने के लिये हम स्वतंत्रता अथवा राजनतिक प्रतिष्ठता अथवा राष्ट्रीय स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकते। हम ऐसी सहायता लेना स्वीकार नहीं कर सकते जिस के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हों। आरम्भ में हमें विदेशी सहायता तो लेनी है, परन्तु हमें उन शर्तों पर विदेशी सहायता लेनी है जो किसी प्रकार से हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें। आगामी चार अथवा पांच वर्षों के दौरान हम ने ऐसे उपाय करने हैं जिन से हम अपने पांव पर खड़े हो सकें, हमें अपनी निर्यात को अधिकाधिक बढ़ावा देना है तथा अपनी आवश्यकताओं को निर्यात द्वारा अर्जित धन राशि से पूरा करना है। यदि हमें आज की दुनिया में सम्मान एवं प्रतिष्ठता से रहना है, तो हमें यह उद्देश्य प्राप्त करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट देश को प्रगति एवं आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिये बनाया गया है। इस में कांग्रेस की नीतियों का पालन किया गया है जिन का उद्देश्य आर्थिक विकास एवं प्रगति है। कुछ कारणोंवश, चाहे यह कारण हमारे कृषि उत्पादन में कमी, औद्योगिक उत्पादन में कमी, वर्षा का न होना आदि जो भी हो, हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, परन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सहयोग से और समस्त देशवासियों के सहयोग से हम इन कठिनाइयों पर अवश्य काबू पा लेंगे तथा हमारे आर्थिक विकास में आशा से अधिक प्रगति होगी।

श्री ल० ना भंजदेव (क्योंझर) : मैं बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इस में निम्न नये आय वर्ग को करों में कुछ राहत दी गई है और घाटे की अर्थ व्यवस्था को समाप्त किया गया है। मुझे आशा है कि अब सदा ऐसा ही होता रहेगा और घाटे की बचतों द्वारा पूर्ति की जायेगी।

हमारा यह सामान्य अनुभव है कि बचत होगी क्योंकि सरकार सामान्यतया आय का कम अनुमान लगाती है और जब पुनरिक्षित बजट बनाया जाता है तो यह ज्ञात होता है कि बड़ी मात्रा में बचत हुई है और इस से घाटे को पूरा किया जा सकता है। इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा नहीं लिया गया है, और मुझे खुशी होगी यदि असैनिक खर्च को रोका जाय, क्योंकि गत तीन योजनाओं की अवधि में इस खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह डर है कि एक समय ऐसा आयेगा, जब राजस्व का अधिकतर भाग असैनिक खर्च पर व्यय होने लगेगा।

प्रत्यक्ष करों पर 10 प्रतिशत का अधिभार उचित नहीं है क्योंकि गत वर्ष भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने हमें बताया कि व्यक्तिगत आय पर अब कोई अधिभार या किसी दूसरे प्रकार का कर नहीं लगेगा।

यह हर्ष का विषय है कि व्यय कर को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इससे राजस्व कम प्राप्त होता था, परन्तु परेशानी अधिक होती थी। मुझ अशा है गत अनुभव को देखते हुये व्यय कर के जैसे एक दफह समाप्त करने के बाद दुबारा लगाया गया था, अब समाप्त करने के बाद पुनः नहीं लगाया जायेगा।

यद्यपि यह बजट बचतप्रधान है, तथापि कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे रास्ते में आयेंगी, अतः हमें उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान रखना चाहिये। जैसाकि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसे समय जब कि हमारी विदेशी मुद्रा की रक्षित पूंजी में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की आयात पर भी नियंत्रण किया जाय। अतः हमारी वित्तीय नीति ऐसी होनी चाहिये, जिस से बचत को प्रोत्साहन मिले।

रुपये के अवमूल्यन के बारे में बहुत तर्क वितर्क हुआ है। कुछ लोग इस पक्ष में है कि रुपये का अवमूल्यन किया जाय तथा अन्य लोगों का यह मत है कि ऐसे समय में जब कि हमें बहुत सी वस्तुओं का आयात करना है, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है तथा हमें उन वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करना है, रुपये का अवमूल्यन करना हमारे हित में नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं श्री मुरारका द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत हूं।

इस संदर्भ में मैं सभा का ध्यान 13 तारीख में छपे "स्टैटसमैन" के एक लेख की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि इस लेख का विषय पूर्णतया हमारी अर्थ व्यवस्था से संबंधित नहीं है तथा इस का मुख्य संबंध इंग्लैंड की अर्थ व्यवस्था से है, तथापि इस लेख में दी गई बातें हमारी अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः लागू होती हैं। इस लेख में कहा गया है कि इंग्लैड में आम चुनाव पाऊंड के अवमूल्यन के प्रश्न को ले कर लड़े जा रहे हैं। आज हमारे सामने वही कठिनाई हैं जो इंग्लड के सामने हैं। हम बहुत सी बातें कहते हैं, पर उन पर अमल नहीं करते हैं। हमें इन कठिनाइयों पर काबू पाना है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री ऐसी नीति अपनायेंगे जिस से हमें इन कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता मिले।

जहां तक राज्यों द्वारा ऋण लेने का संबंध है, यह प्रश्न उठाया गया है कि रिजर्व बैंक राज्यों को उससे अधिक धनराशि क्यों देता है, जिसके कि वे हकदार हैं। इस संबंध में मैं महसूस करता हुं कि कम विकसित राज्यों जैसा आसाम, राजस्थान अथवा मध्य प्रदेश के लिये, जहां आर्थिक क्षमता तो है, परन्तु उस का उचित ढंग से विकास नहीं हो रहा है, ऋण लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बाकी नहीं है। जब तक उन राज्यों में अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये सड़कों का विकास नहीं होता और रेल्वे लाइनों का जाल नहीं बिछाया जाता तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि उन की अर्थ व्यवस्था आत्मनिर्भर होगी।

[श्री ल० ना० भंजदेव]

केवल मेरे जिले से सरकार को खनिजों के स्वामीस्व के रुप में एक करोड़ रुपये की आय होती है। इसी प्रकार यदि सारे राज्य से निर्यात किये जाने वाले खनिजों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया जाय तो ज्ञात होगा कि हमें कितनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि सरकार इस विदेशी मुद्रा का एक भाग भी इस क्षेत्र के विकास पर लगाये, तो इस का विकास निश्चित है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि इस क्षेत्रमें पदार्थ खनिज बहुतायात में उपलब्ध , तथापि इस क्षेत्र में एक भी इस्पात का कारखाना नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में एक इस्पात का कारखाना लगाया जाय, क्योंकि यहां न केवल कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है, बल्कि यहां इस्पात का उत्पादन न्यूनतम मूल्य पर हो सकता है। यदि इन सब बातों को देखते हुये भी यहां निकट भविष्य में एक इस्पात का कारखाना लगाना आवश्यक नहीं समझा जाये, तो यहां कम से कम एक बलास्त फनान्स शीघ्रतिशीघ्र लगाया जाना चाहिये।

जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर को 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत करने के प्रश्न का संबंध है, लोह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क पर कुछ राहत दी जानी चाहिये, अन्यथा उत्पादन पर लागत बढ़ जायेगी और हम विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में मैं सभा का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस क्षेत्र में रेलवे परिवहन व्यवस्था की बहुत कमी है। हमारी योजना क अनुसार देतारी तथा नमागढ़ से उत्पादित 20 लाख मिटरी टन अयस्क का उत्पादन कुछ वर्षों में 50 लाख मीटरी टन हो जायेगा और इसे प्रादीप पत्तन से निर्यात किया जायेगा। अत: यह आवश्यक है कि प्रादीप पत्तन को रेलवे के साथ जोड़ा जाये, ताकि परिवहन व्यय को कम रखा जा सके, क्योंकि यदि हम अयस्क को सड़क परिवहन द्वारा प्रादीप पत्तन तक पहुंचाते है और फिर इस का निर्यात करते हैं, तो इस पर अधिक लागत आयेगी और हम विश्व बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकेंग जापान हमेशा से विश्व बाजार में प्रतियोगिता के पक्ष में रहा है। वह आस्ट्रेलिया से लोह व्यस्क की निर्यात कराना चाहता है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में हमने कोई विशेष कार्य नहीं किया और इस के परिणामस्वरूप हमारे परम्परागत बाजार हमारे हाथ से जाते रहे। हमें ऐसी गलती को दोहराना नहीं चाहिये अत: हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम उन वस्तुओं के निर्यात में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, कोई कमी न आने दें।

Shri B. P. Maurya (Aligarh) : India has decided to establish democratic socialism. Our destination is the achievement of a classless and casteless society. The ruling party is in full agreement with this aim. The Finance Minister has said that the Budget is the main instrument for implementation of our schemes and policies. On listening part 'A' of the speech of hon. Minister of Finance, I was very much pleased because I felt that he was going on the right path but when he started reading part 'B', I was confused. I have come across an article in 'Mainstream' on Budget by Shri Balraj Mehta. He has written that 'Labouring under several pulls and pushes, it attempts to satisfy different interests and objectives which do not necessarily harmonise'.

If you see the Budget, you find that revenue receipts are Rs. 2,617·12 crores and the revenue expenditure is Rs. 2,407·4 crores. The surplus revenue is Rs. 209·71 crores. His proposals for new taxation would fetch Rs. 101·51 crores. For this year the deficit is about Rs. 165 crores and for coming year it would be Rs. 117 crores. In his way there is a big gap of Rs. 25 crores. I think about Rs. 105 crores would be earned by way of new taxes. An additional amount of Rs. 52·86 crores is expected from excise duty and about Rs. 19·00 crores from sales Tax. In this way a burden of Rs. 71·86 crores is going to be put on poor people.

The increase in corporation tax is only 10 percent and it would fetch Rs. 43·46 crores only. It is on account of surcharge. This has been compensated by giving relief in bonus shares, gift tax, estate duty, tax on dividends etc. I feel that by doing so Government has compensated the big people and they would not be put to any adverse effect.

Ours is a poor country. It cannot afford to spend huge sums on defence. This year they propose to spend about Rs. 918 crores on this. We can defend our country by pursuing correct foreign policy. We saw for ourselves at the time of Chinese invasion the results of the way we spend on our defence preparedness. In the case of Pakistan, we have taken about 7 hundred sq. miles of Pakistan territory but Pakistan too had occupied about 600 sq. miles of our territory. We have killed their military men but they have also killed our military men. You can prepare a defence budget worth Rs. 1,500 crores, but even then we would not be able to withstand the Chinese invasion. We must change our foreign policy. We cannot afford to spend huge sums of money in this way. It is not a wise thing to spend so much on defence.

The hon. Minister said that we earned about Rs. 13 crores in foreign exchange by exporting sugar, but we pay about Rs. 20 crores as subsidy. I want to draw the attention of Government to the difficulties being experienced by our countrymen in the case of sugar. If you want to earn foreign exchange, my suggestion is that they should help the leather industry. Government has been spending very liberally on khadi but the foreign exchange earned from this item has not been in proportion with the money invested in this. Had this money been given to leather industry, they would have earned foreign exchange worth Rs. 150 crores. Shri B.R. Ambedkar had drawn Government's attention to this. No subsidy is given to the shoe-makers of Kanpur, Agra and Delhi. Their shoes are in great demand in Russia and other European countries. I want that Government should pay attention to this.

The hon. Minister of Finance has not thought of the fact that the value of rupee is going down. The World Bank has also asked for devaluation of rupee. If the value of rupee was one rupee in 1942 it is 10 paise at present Government try their best to stabilise and strengthen economy, but it might collapse, if the rupee is not devalued.

Here I have got a copy of Economic Survey with me. It shows Government's real position. It says that during 1964-65 the national income increased by about 7·3 percent. It increased by about 2·2 percent during the first two years of third plan and during the current year, it is feared that there may not be any increase & it may go down when compared with the previous two years' income. It shows the lack of efficiency of Government. Government has not been able to rejuvenate our economy during the last 18 years. It has miserably failed in meeting the essential needs of the masses.

The hon. Minister of Finance has stated that State governements indulge in unauthorised overdrafting, but he has not indicated the action he proposes to take in this matter. The State Governments depend too much on Central Government and our Central Government depends too much on foreign aid. It is not a healthy tendency and it should be checked.

The country is passing through very critical time at present. There has been foreign aggression. The Western Powers are putting economic pressure. The country has a new leadership now. There is unprecedented drought. At this juncture

[Shri B.P. Maurya]

a person has been appointed as Finance Minister who does not know anything about Economics and Finance and is actually a lawyer. This year's budget is a pre-election Budget. People expected that it would bring some relief to the poor. It would endeavour to bridge the gap of disparity between the rich and the poor. On the contrary, it is advantageous for the big businessmen, who are giving large sums of money to the ruling party. That is why I oppose this Budget.

Mr. Deputy Speaker, Sir, now onwards I would sit along with Lohia's Group, I oppose this Budget because no steps have been taken for encouraging socialism and removing the economic disparities. This Budget has failed in checking inflation. The Report of monopolies Commission has not been taken into consideration while preparing this Budget. There is no provision in this Budget for helping the poor masses of the country.

It has been alleged that opposition Parties are responsible for lawlessness in West Bengal. This type of revolution can spread in U.P., Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan, if the ruling party does not change its ways. If you do not provide adequate food and other essential commodities to the people they would agitate. Government should provide employment, put an end to corruption and remove social disparities. If this is not done, a violent revolution would do that. I welcome such a revolution.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं, माननीय सदस्यों को अपना दायित्व समझते हुये बोलना चाहिये ।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : Mr. Deputy Speaker, I have raised a point of breach of privilege. A glaring example how this democracy functions is that an hon. Member of this House, Dr. Ram Manohar Lohia was stopped by a police constable, as the Prime Minister's car was passing by that road. It is a very serious thing that an hon. Member is stopped by a police constable.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं पुकारा है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I can understand this if such an incident happens some where else, but it is very serious that an hon. Member of Lok Sabha is stopped even when leaving this House, just to let the Prime Minister's car passed by that road. I want that this question should be raised.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसी प्रकार सभा की कार्यवाही में रुकावट डालते रहे, तो मुझे उन्हें बाहर जाने को कहना पड़ेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : The question raised by me is very important you should safeguard the rights of the Members of this House.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, इसे सभा की कार्यवाही में [सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव : * * * *

श्री बड़े : जब एक संसद् सदस्य सभा से बाहर जा रहा हो, तो क्या पुलिस का सिपाई उन्हें इस प्रकार अपमानित कर सकता है ? यह व्यवस्था का प्रश्न है।

*सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कृपया आप इसे लिखित रूपमें मुझे दे दें।

Shri Bagri : I want to raise a point of order under rule 16. Three congressmen have been burnt alive in Panipat. It is such a serious accident that it should be taken up by the House in one form or the other, otherwise something more serious may happen in our country.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप कृपया बैठ जायें।

श्री राम सेवक यादव : वह नियम 16 का उल्लेख कर रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री बागड़ी : "अध्यक्ष वह समय निर्धारित करेगा जब कि सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिये या किसी और दिन तक के लिये या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिये स्थगित की जायेगी"।

Three congressmen have been burnt to death in Panipat. It is a serious matter. If adjournment motion is not allowed, atleast it should be allowed to be discussed in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसे सभा में उठाना चाहते हैं, तो वह लिखित नोटिस दें।

Shri Bagri : I will not take more than a minute.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी, यदि आप ऐसे ही कार्यवाही में रुकावट डालते रहे, तो मुझे आपको सभा से बाहर जाने को कहना पड़ेगा। आखिर एक हद होती है।

Shri Ram Sewak Yadav : I wanted to inform you that notice has been given at 1·00 pm.

Shri R. S. Pandey (Guna) : This is an august House where 22 to 23 crores of voters express their faith and alligence in democracy through their elected representatives. The honour, dignity and prestige of this House are of paramount importance. But it is very deplorable that since some time past some hon. Members are behaving in this House in such a way which is not befitting to the honour, dignity and prestige of the House. They are talking about violence which is against all cannons of democracy. I have heard Dr. Ram Manohar Lohia with full attention. He has called upon all opposition parties to direct their followers and workers to indulge in disruptive and violent activities. In other words he has encouraged them all to over throw this Government by force. In my opinion to say such things is against the sanctity of this House and the sanctity of our Constitution. In democracy Legislative Assemblies and this Parliament should be kept in high esteem. If we care to see the history of past hundred years, we would come to know how much we have toiled in order to get independence. Democracy is the fruit of our sufferings. So it is very serious that we should behave in such a way which may pollute our democracy.

In this context I would like to quote Shri Kripalani, who said yesterday that 35 lakh people died in Bengal and he was in jail at that time. The fact was that all the freedom fighters under the leadership of Mahatma Gandhi were in jail and 35 lakh people died. Even Bapuji himself was in jail. There was only one party which was out of jail and that was the Communist Party. I want to ask the Communist Party as to what they did at time then. At that time they were one with

[Shri R .S. Pandey]

the Britishers and now they are talking about revolution, about arosen and all sorts of these things. We in Congress have full faith in democracy and have full respect for opposition. It does no matter much whether congress remains in power or not what matter is that the principles of democracy should be followed in letter and spirit. The antinational and disruptive activities cannot be tolerated.

Now I would like to say a few words about the Budget. While presenting this Budget the Finance Minister has said that this is a production oriented Budget. Certain consessions have been given in this Budget and certain taxes have been imposed in lieu thereof which would bring a revenue of Rs. 101 crores. No doubt the basis of our economy is production but it is very painful to note that our production is very low in comparison to the production of other countries of the world. We are talking about socialism, but when we look to our production figures we are horrified to note that our production is lowest in industrial as well as in agricultural sector.

Seventy-five per cent of the foreign exchange that we earn comes from agricultural sector. The total outlay of the Fourth Five year Plan amounts of Rs. 43,000 crores, while the total investment in the agricultural sector would be only 21%. It is to be noted that a net national income of Rs. 15,000 crores is derived from this sector. Therefore the investment in the agricultural sector should be increased so that the production in the sector is increased and raw materials would become available from that sector giving an incentive to our industries.

As a result of a recent research, we have come to know that 60 per cent of our agriculturists own 1 to 5 acres of land and while 20% have no land at all. Persons in the first category belong to a miserable lot. They have neither bullocks, nor fertilizers nor hybrid seed facilities in regard to irrigation and small scale industries are not made available to them. I, therefore, seek the indulgence of the Finance Minister that he should come forword to amileorate the lots of these poor peasents by providing them banking facility, credit facility, crop insurance scheme etc. etc.

Banking facilities should be provided at block level. In order to give incentives to the farmers to raise their agricultural production they should be provided hybrid seeds and fertilizers. There should be proper arrangements for giving them loan through banks.

We want to raise the living standard of our people and Five Year Plans are being implemented for this purpose. But there can be no advance in our economy unless our production is raised. It is very painful to state that the production of wheat is only 890 Kilograms in India per hector, while it is 4,350 Kilograms in U.K., 3840 Kilograms in West Germany, 2610 Kilograms in U.A.R., 2,540 Kilograms in Japan, 2,090 Kilograms in Italy, 1,610 Kilograms in U.S.A. and 1,050 Kilograms in U.S.S.R. The average production of wheat per hector in the world is 1,260 Kilograms. This shows that our production of wheat per hector is very low. Likewise our production of rice is also not encouraging. The production of rice per hector in India is 1,380 Kilograms, while it is 6,030 Kilograms in Australia and 5,840 Kilograms in U.A.R.

Now it is evident from the above figures that our production is very low and we must increase our production without any further delay. We cannot wait for more time. We have to expedite the development of small scale and medium scale industries.

श्री दास (तिरुपति) : इस वर्ष का आय-व्ययक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चौथे पंचवर्षीय योजना का आरम्भ कर रहे हैं। सौभाग्य से मेरा निर्वाचन क्षत्र तिरुपति है जहां हिन्दुओं का सब से पवित्र भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन वहां आते हैं। मंदिर के अधिकारियों तथा राज्य सरकार ने भक्तजनों की सुख सुविधा का प्रबन्ध कर रखे हैं। इस मंदिर की ओर से एक विश्वविद्यालय, दस कालेज तथा अनेक हाईस्कूल चलाये जा रहे हैं।

मैं रेलवे आय-व्ययक पर हुई चर्चा में भाग नहीं ले सका, अतः इस अवसर का लाभ उठाते हुये मैं रेलवे मंत्री से अपील करूंगा कि वह तिरुपति की इस महत्वपूर्ण मांग पर विचार करें कि रानीगुंटी से तिरुपति तक छः मील लंबी छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये, क्योंकि तिरुपति एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है और बहुत बड़ी संख्या में देश के सब भागों से यात्री यहां आते हैं। मीटर गैज लाइन पर यात्रा करना बहुत असुविधाजनक है। अतः इस स्थान के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाय।

दूसरे इन दस कालेजों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 20 से 25 मील की यात्रा करके आते हैं और इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में मीलों तथा कारखानों में काम कर ने वाले मजदूर भी वहां आते हैं। परन्तु इन विद्यार्थी यों एवं मजदूरों के लिये कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है। इसलिये इन लोगों की सुविधा के लिये पालका से तिरुपति और कालाहस्ति से तिरूपति तक डीजल गाड़ियां चलायी जानी चाहियें।

खाद्य स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। केरल में राशन की मात्रा बढ़वाने के लिये आन्दोलन हुआ तथा बंगाल में यह आन्दोलन हो रहा है। अमरीका, रूस, जापान, जर्मनी तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों ने हमें सहायता करने का वचन दिया है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 18 वर्ष बाद भी हम प्रत्येक निर्धन व्यक्ति हरिजन एवं कृषि मजदूर को रोटी, कपड़ा तथा मकान आदि अत्यावश्यक वस्तुएं देने में भी सफल नहीं हुये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम विदेशी शासकों को इस के लिये दोषी ठहराया करते हैं और कहा करते थे कि कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति को खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र तथा रहने को मकान दिया जायेगा, परन्तु यह खेद की बात है कि हम यह आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सके हैं। गत 18 वर्षों में हम ने कृषि के विकास के लिये उचित कदम नहीं उठाये हैं। सरकार ने बड़ी सिंचाई योजनाओं पर करोड़ो रूपया व्यय किया है तथा खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बड़े भूस्वामियों को करोड़ो रुपया दिया गया है। इन बड़ी सिंचाई योजनाओं से तो केवल बड़े भूस्वामियों को ही लाभ हो सकता है। अतः केवल बड़े भूस्वामियों को सहायता दे कर हम अन्य 18 वर्षों में भी खाद्यान्न के उत्पादन में वृध्दि नहीं कर सकते हैं। खाद्यान्न के उत्पादन में तभी वृद्धि हो सकती है, जब छोटे कृषकों की सहायता की जाय। यदि उन्हें भूमि दी जाय और कृषि उपकरण खरीदने के लिये कुछ सहायता दी जाय तो वे भारत की सम्पूर्ण जनता के लिये खाद्यान्न उत्पन्न कर सकते है।

सरकार ने देश की निर्धन जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का वचन दिया है। निर्धन लोगों का जीवनस्तर तभी ऊंचा उठ सकता है, यदि भूमिहीन निर्धन लोगों को भूमि एवं अन्य सहायता दी जाय। उस के उपलक्ष में वे सारे राष्ट्र को खाद्यान्न उपलब्ध कर सकते हैं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र, रायलसीमा ऐसा क्षेत्र है जहां हर दस वर्ष में एक बार अत्यन्त भीषण अकाल आवश्यक पड़ जाता है। कई बार पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। वर्ष 1951 में जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने चित्तूर का दौरा किया था तो वह देख कर आश्चर्य चकित रह गय थे कि इतनी भीषण अकाल की परिस्थितियों में लोग कैसे रह रहे हैं। परन्तु उस क्षेत्र के सुधार के लिये कुछ नहीं किया गया है। सरकार देश के अन्य भागों के लिये अरबों रुपया व्यय कर रही है, अतः चित्तूर तथा रायलसीमा के लिये भी कुछ धन व्यय किया जाना चाहिये। यहां विद्युत तथा सिंचाई की

[श्री. दास]

अत्यन्त आवश्यकता है। इन जिलों में न केवल पानी की कमी है, बल्कि यहां उद्योगों की भी अत्यन्त आवश्यकता है। यहां गन्ने का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। यहां चीनी तथा कपड़े के कारखाने लगाये जाने चाहिये।

हमारे नेता समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जातिवाद का उन्मूलन करना है। संविधान में यह उपबन्ध किया हुआ है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। परन्तु सभी प्रतिवेदनों में कहा गया है कि ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां अस्पृश्यता नहीं है। गांधीजी तथा नेहरु जी हरिजनों को अन्य लोगों के स्तर पर लाना चाहते थे। वे उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। संविधान में उनके लिये विशेष सुविधायें तथा संरक्षणों का उपबन्ध किया गया है। हरिजनों के स्थान रक्षण हटाना उनके प्रति बड़ा अन्याय होगा। उनके लिये आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आय०एफ०एस० की विशेष परीक्षायें होनी चाहियें। प्रत्यक कालेज तथा स्कूल के साथ हरिजन विद्यार्थियों के लिये होस्टल बनाये जाने चाहिये। हरिजनों के बच्चों के लिये पब्लिक स्कूलों तथा सैनिक स्कूलों में स्थान रक्षित होने चाहियें। गृह-निर्माण के लिये उन्हें राज्य सहायता दी जानी चाहिये। हरिजनों के कल्याण का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये।

पुनर्वास मंत्रालय की भांति हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के लिये एक पृथक हरिजन कल्याण मंत्रालय होना चाहिये।

Shri Virbhadra Singh (Mahasu) : I Congratulate the Finance Minister for the nice budget he has presented for the year 1966-67. I welcome this Budget. Today the country is passing through most critical times. We are facing many problems. There is food shortage in the country and we are facing the shortage of foreign exchange. There are economic problems before us. The Finance Minister has reviewed the entire economic condition of the Country duing his Budge speech.

Shri Onkar Lal Berwa: Mr. Deputy Speaker, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय सभा में गणपूर्त्ति नहीं है। सभा को स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात् सभा गुरुवार 17 मार्च, 1966/26 फाल्गुन 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 17th March 1966/Phalguna 26, 1887 (Saka)

भा. स. मु. ना.—भा.6—37 लोक सभा 66—4-7-67—600.